Powers and duties of its officers and employees [Section 4(1)(b)(ii)]

(i) Powers and duties of officers (administrative, financial and judicial)

- (1) Bureau of Energy Efficiency (Powers and Duties of Director-General of the Bureau) Regulations, 2017. (Annexure I)
- (2) Delegation of financial powers to Secretary in connection with the day to day functioning of the office of Bureau of Energy Efficiency (BEE). (Annexure II)
- (3) Bureau of Energy Efficiency (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2007. (Annexure III)
- (4) Bureau of Energy Efficiency, Energy Conservation Fund (Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2015. (Annexure IV)

(ii) Power and duties of other employees

As per Section 11 of the EC Act, 2001, all orders and decisions of the Bureau shall be authenticated by the signature of the Director General or any other officer of the Bureau authorized by the Director General in this behalf.

(iii) Rules/order under which powers and duty are derived and exercised

Already provided in (i) above

(iv) Work allocation (The existing work Allocation)

(1) National Mission for Enhanced Energy Efficiency (NMEEE) & Climate Change

NMEEE PAT (Perform, Achieve and Trade), ROSHANEE (Roadmap of Sustainable and Holistic Approach to National Energy Efficiency) Coordination, ESCert (Energy Saving Certificates) Trading, Energy Mapping of power plants, Coordination with Ministry of Environment, Forest on climate change, Technology identification, Vigilance matters

(2) Administration & Finance

Finance & Expenditure, HR Matters, Accounts, Audit & budget, Parliament matter, Coordination with Ministry for Governing Council/Management Advisory Committee matters. Media & PR activities including Social media, State Designated Agency (SDA) Strengthening scheme, NCERT & Energy Club, HRD programme, Energy Security for Small and Medium Enterprises (SME) sector, Coordination with Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, National Energy Conservation Day (All events), IT & website matter, Public Grievance & RTI, HRD programme

(3) Building and Regulation Division

Enforcement, Amendment of Energy Conservation Act, Coordination with Ministry on Regulatory matters, Energy Conservation Building Code (ECBC) development & implementation, Certification of Energy Auditor (Buildings), Star rating of Building, Net Zero buildings, PAT (Building Sector, Airport), Transport Sector, Power Minister Conference.

(4) PAT old sectors and Examinations Division

PAT legal matter, PAT old sectors, Overall PAT coordination, Enenrgy Auditor/Energy Manager examinations, Refresher Course, Capacity building of EA/EM, ISO 50001, Energy Mapping of Steel Plants/Mines

(5) PAT New sectors, SME and DISCOM Division

Global Environment Facility (GEF) projects with UNIDO, Energy Security for SME sector, R&D, Innovation matter, Industrial Efficiency guidelines, PAT sectors (Refineries, DISCOM, Railways, Petrochemicals), Capacity building of DISCOMs.

(6) International Cooperation Division

Energy Service Company (ESCO), International Cooperation matters, Planning, Statistics & Data Management, District Cooling, Cold Chain Sector, Coordination with ISA, NITI and all Bilaterals.

(7) Standard & Labelling

Standards & Labeling, India Cooling Action Plan, , Coordination with BIS matters, Lab capacity building, Check testing and surveillance, Super Efficient Equipment Program (SEEP)

(8) Electric Vehicle Division

Electric Vehicles

(9) Division

Capacity building of DISCOMs, BLY, HRD programme, SFCs

(10) **PAT Financing Division**

PRGFEE, VCFEE, Climate Finance, PAT Trading, ESCerts, Financial assistance to SMEs, Energy Efficiency Financing Facility, Standing Finance Committee (SFC)

(11) Awards & Painting Division

National Energy Conservation Awards & IT matters

(12) State Designated Agencies Division

State Designated Agencies (SDAs) Strengthening scheme, Coordination with States on Financial matters, State Energy Conservation Fund, National Council of Educational Research and Training (NCERT) & Energy Club.

(13) **Demand Side Management (DSM) and Vigilance Division** DSM and Vigilance matters

(14) Media Division

Media & PR activities including Social Media

(14) Finance and Accounts

Finance & Expenditure, Accounts Audit & Budget, SFC Financial matters.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939

No. 309]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/ SRAVANA 17, 1939

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

सं. 2/11(3)/13-बीईई.— कितपय प्रारूप विनियमों अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो के महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम, 2017, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अधिसूचना सं. 2/11/(3)/13-बीईई तारीख 13 फरवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 तारीख 23 फरवरी, 2017 में प्रकाशित किए गए थे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (i) के अधीन अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं;

और उक्त प्रारूप विनियमों को 23 फरवरी, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दिए गए थे;

और उपरोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अब ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 9 की उपधारा 6 के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो निम्निलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** -(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो के महानिदेशक की शक्तियां और कर्त्तव्य), विनियम, 2017 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **परिभाषाएं :-** (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) "ब्यूरो" से उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है;
- (ग) "अध्यक्ष" से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष अभिप्रेत है:
- (घ) "मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी" से ब्यूरो का महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (ड.) "सचिव" से ब्यूरो का सचिव अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, उनका क्रमश: वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में है।
- 3. **ब्यूरो के महानिदेशक की शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन** (1) शासी परिषद द्वारा कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध के अधीन रहते हुए, ब्यूरो का महानिदेशक मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी के रूप में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नीचे विनिर्दिष्ट ब्यूरो की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात् :
 - (क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित ब्यूरो के नाम से उस पर वाद लाया जाएगा या वह वाद लाएगा और उसे संविदा करने और जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी;
 - (ख) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपस्करों या प्रक्रियाओं की बाबत ऊर्जा संरक्षण के मानक या मानक विनिर्मित करने के लिए उतनी संख्या में विशेषज्ञों की तकनीकी समितियों का गठन कर सकेगा जितनी वह आवश्यक समझे:
 - (ग) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन ब्यूरो में उतने अन्य अधिकारियों (सचिव से भिन्न) और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जितने वह ब्यूरो के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे
 - (घ) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ब्यूरो को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन करने में विद्यमान संसाधनों और अवसंरचना को मान्यता देगा और उसका उपयोग करेगा, अभिहित उपभोक्ताओं अभिहित अभिकरणों और अन्य अभिकरणों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करना:
 - (ड.) अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (क) के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया के लिए मानक और ऊर्जा उपभोग सन्नियम के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना;
 - (च) अधिनियम की धारा 14क के अधीन अभिहित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना:
 - (छ) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के अधीन उपकरणों या उपस्करों के लेबल पर प्रदर्शित किए गए विवरणों या इनके प्रदर्शन की रीति के बारे में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना;
 - (ज) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ड.) के अधीन एक अभिहित उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा के किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ताओं के वर्ग को अधिसुचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करना;
 - (झ) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (त) के अधीन ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करने हेतु उपयुक्त उपाय करना;
 - (ञ) उर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने और जानकारी का प्रसार करने के बारे में सभी आवश्यक उपाय करना:

- (ट) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण की तकनीकों में कार्मिकों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और उसका आयोजन करना:
- (ठ) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ बनाना;
- (ड) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना;
- (ढ) परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रक्रिया का विकास और उपकरणों तथा उपस्करों की ऊर्जा की खपत के लिए प्रमाणन और परीक्षण के लिए परीक्षण सविधाओं को बढ़ावा देना:
- (ण) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा और सूत्रण;
- (त) ऊर्जा दक्षता प्रक्रम, उपस्कर, युक्तियों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना;
- (थ) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नवाचारी वित्त पोषण को बढ़ावा देना;
- (द) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता देना;
- (ध) ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त निकायों के लिए शैक्षिक पाठ्यचर्या तैयार करना और उनकी पाठ्यचर्या में उक्त पाठ्यक्रम के समावेश के लिए समन्वय करना;
- (न) ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के प्रमाणन ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए परीक्षा आयोजित करना और सेवाओं को सुदृढ़ बनाना;
- (प) केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो को सौंपे गए ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना;
- (2) अधिनियम की धारा 52 के अधीन महानिदेशक को ब्यूरो के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना पाने की शक्ति होगी।
- (3) महानिदेशक, ब्यूरो के कृत्यों के निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के अतिरिक्त, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का जो ब्यूरो की शासी परिषद द्वारा, समय-समय पर अधिनियम की धारा 51 के अधीन यथा उपबंधित प्रत्यायोजित की जा सकेगी. प्रयोग करेंगे।

पंकज कुमार, सचिव, बीईई

[विज्ञापन- III/4/Exty./160/17]

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

No. 2/11(3)/13-BEE.—Whereas certain draft regulations, namely, the Bureau of Energy Efficiency (Powers and Duties of Director-General of the Bureau) Regulations, 2017, were published via Bureau of Energy Efficiency notification No. 2/11(3)/13-BEE, dated the 13th February, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, dated the 23rd February, 2017, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which the said notification is published are made available to the public;

And whereas the said draft regulations were made available to the public on the 23rd February, 2017;

And whereas no objection or suggestions has been received in respect of the said draft regulations within the aforesaid period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 58 read with sub-section (6) of section 9 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Powers and Duties of Director-General of the Bureau) Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);
 - (b) "Bureau" means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of section 3 of the Act:
 - (c) "Chairperson" means the *ex-officio* Chairperson of the Governing Council specified in clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act;
 - (d) "Chief Executive Authority" means the Director-General of the Bureau;
 - (e) "Secretary" means the Secretary of the Bureau.
- (2) Words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the rules framed thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the rules made thereunder.
- 3. **Delegation of powers and functions of Bureau to Director-General.**—(1) Subject to general superintendence, direction and management of the affairs by the Governing Council, the Director-General shall, as the Chief Executive Authority of the Bureau, discharge the functions and exercise the powers of the Bureau as are specified below in accordance with the provisions of the Act, namely:-
 - (a) acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, sue or be sued in the name of the Bureau as provided under sub-section (2) of section 3 of the Act;
 - (b) constitute such number of technical committees of experts for the formulation of energy consumption standards or norms in respect of equipment or processes, as considered necessary as provided under sub-section (3) of section 8 of the Act;
 - (c) appoint officers (other than Secretary) and other employees in the Bureau as are considered necessary for the efficient discharge of functions of the Bureau under sub-section (1) of section 10 of the Act;
 - (d) co-ordinate effectively with designated consumers, designated agencies and other agencies, recognise and utilise the existing resources and infrastructure, in performing the functions assigned to Bureau by or under the Act, as provided under sub-section (1) of section 13 of the Act;
 - (e) recommend to the Central Government the norms for processes and energy consumption standards, required to be notified by that Government under clause (a) of section 13 of the Act;
 - (f) recommend to the Central Government for issue of energy saving certificates to the designated consumers under section 14A of the Act;
 - (g) recommend to the Central Government the particulars required to be displayed on label on equipment or on appliances and the manner of their display under clause (d) of section 14 of the Act;
 - (h) recommend to the Central Government for notifying any user or class of users of energy as a designated consumer under clause (e) of section 14 of the Act;
 - (i) take suitable steps to prescribe guidelines for energy conservation building codes under clause (p) of section 14 of the Act;
 - (j) take all measures necessary to create awareness and disseminate information for efficient use of energy and its conservation;

- (k) arrange and organise training of personnel and specialists in the techniques for efficient use of energy and its conservation;
- (l) strengthen consultancy services in the field of energy conservation;
- (m) promote research and development in the field of energy conservation;
- (n) develop testing and certification procedure and promote testing facilities for certification and testing for energy consumption of equipment and appliances;
- (o) formulate and facilitate implementation of pilot projects and demonstration projects for promotion of efficient use of energy and its conservation;
- (p) promote use of energy efficient process, equipment, devices and systems;
- (q) promote innovative financing of energy efficiency projects;
- (r) give financial assistance to institutions for promoting efficient use of energy and its conservation;
- (s) prepare educational curriculum on efficient use of energy and its conservation for educational institutions, boards, universities or autonomous bodies and coordinate with them for inclusion of such curriculum in their syllabus;
- (t) conduct examination for capacity building and strengthening of services in the field of energy conservation including certification of energy mangers and energy auditors;
- (u) implement international co-operation programmes relating to efficient use of energy and its conservation as may be assigned to the Bureau by the Central Government.
- (2) The Director-General shall have power to obtain information as may be required by the Bureau under section 52 of the Act.
- (3) The Director-General shall, in addition to discharging the functions and exercising the powers of the Bureau, as are specified in these regulations, perform such other duties and exercise powers as may be delegated to him from time to time by the Governing Council of the Bureau as provided under section 51 of the Act.

PANKAJ KUMAR, Secy., BEE [ADVT.-III/4/Exty./160/17]



BUREAU OF EMERGY EFFICIENCY 4th Floor, Sewa Bhawan, R K Puram, New Delhi - 110066

02/02/00/Admn-2013

March 26, 2013

Office Order

Delegation of financial powers to Secretary in connection with the day to day functioning of the office of Bureau of Energy Efficiency (BEE)

The following Financial Powers delegated to the secretary in connection with the day to day functioning of the BEE office are hereby enhanced as per the recommendation of the Management Advisory committee:-

S.No.	Item of Expenditure	Existing Powers	Enhanced Powers
1	Salary of office staff as per rules	Full Powers	Full Powers
2	Medical reimbursement	Full Power (provided Individual bills does not exceed Rs. 2,000/-)	Full Power (provided within the permitted limit for outpatient expenses)
3	Over-time Allowance (As per rates approved by Government)	Full Powers	Full Powers
4	Local Conveyance,	Full Powers, provided local conveyance for staff in a month does not exceed Rs. 150/-	Full Powers, provided local conveyance for staff in a month does not exceed .Rs. 300/-
5	Children Education Allowance to BEE Staff as approved by Government.		Full Powers (Upto the limit fixed)
6	Printing of Stationery	Rs. 5,000/- at a time	Rs. 10,000/- at a time
7	Books & Periodicals	Rs. 2,000/- at a time	Rs. 2,000/- at a time
8	Payment of petrol bills, telephone, Fax and postage, electricity/ water charges and AMC for office equipment including Computers Fax, UPS etc.	Full Powers	Full Powers
9	Payment of office expenses including office rent as per contract agreements, service maintenance contracts	Full Powers	Full Powers
10	Payment to travel agents viz. B&L and . Taxid Hiring Services, etc.	Full Powers	Full Powers
11	Monthly payments to Contract Employees including reimbursement of expenditure, as per agreement	Full Powers	Full Powers

12	CA		
12	Contingent expenditure	Recurring uptoRs. 3,000/- In each case	Recurring upto Rs. 5,000/- in each case
		Non-recurring uptoRs. 5,000/- in each case	Non-recurring upto Rs. 10,000/- in each case
13	Payments to agencies/firms as per agreement whose deliverables has been approved by DG. (Concerned section under whom the contract/agreement has been executed will submit the file for acceptance of deliverable to DG for approval.)		Full Powers. The Programm Managers will give full justification for payment and fulfillment of conditions of the contract/agreement
14	Release of payment where administrative approval has been obtained and the cost is equivalent or less than estimated.		Full Powers

Secretary, BEE will be the controlling officer for traveling allowance purposes for the staff and officials of BEE other than Energy Economist (if the level is higher or equivalent to Secretary, BEE), who shall be their own controlling officers.

Every month, Finance & Accounts Officer will submit to DG, BEE through Secretary, a statement of expenditure incurred in the previous month on recurring/non-recurring/misc. expenditure to keep a check on the expenditure with reference to the amount allocated under the each budget head.

The above delegation is subject to compliance of GFR 2005 provisions and applicable rules/ instructions of Govt. of India. aminions adam.

Distribution

- 1. Secretary, BEE
- 2. F&AO
- 3. Energy Economists
- 4. Office Order File

- 1. Secretura

Annexure III

= रेडि

रत की The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड ३ - उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (f) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921

नंई दिस्सी, सोमवार, मार्च 5, 2007/फाल्गुन 14, 1928 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 2007/PHALGUNA 14, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 173(अ),—केन्द्रीय सरकार कर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (प) और धारा 25 की उपधारा।(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- सर्क्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम कर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेखों के प्ररूप) नियम, 2007 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) "अधिनियम" से कर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
 - (ख) "संपरीक्षा अधिकारी" से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या ब्यूरों की संपरीक्षा और लेखा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (ग) "ब्यूरो" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित कर्जी कार्यकुशलता ब्यूरो अभिप्रेत है;
 - (घ) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त ब्यूगे का महानिदेशक अभिन्नेत है;
 - (ङ) "वित्त और लेखा अधिकारी" से ब्यूरो का वित्त और लेखा अधिकारी या वित्त और लेखा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्द्र अधिकारी अभिप्रेत है;
 - (च) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (छ) "राचिव" से अधिनियम को धार 9 को अधीन नियुक्त कर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो का सचिव अभिप्रेत है।
 - (2) उन शब्दों और पदों के जो प्रवृक्त हुए में और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं महा व व अर्थ होंगे जो अधिनिक पह
- स्पूरों के लंखें -(1) ब्यूगे वर्ष 2004-05 है प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष व लिए वर्षिक लंडा विवरणी तथार करेगा। व ने का महानिदेशक अपने निर्मित संख्या तैयार करने के किए एन और केंग अधिकारी को प्राविश्वत हुए नहांसा

26 GI/2 H-7

- (2) बयूरों का सचिव, ब्यूरों के लेखा रखने, वित्तीय विवरण और विवरणों के संकलन का पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा के ब्यूरों के लेखाओं की संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए संपरीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित ब्यूरों के लेखा, लेखाओं, बहियों संबंधी वाउचरों और अन्य दस्तावेजों को उस अधिकारी के निपटान के लिए प्रस्तुत किया गया है।
- (3), ब्यूरो की शासकीय परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरणी और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणन के पश्चात् ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष के 15 नवम्बर तक या किसी अन्य तारीख तक, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे।
 - (4) (क) ब्यूरो, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक द्वारा विहित वित्तीय विवरणों के सामान्य फार्मेंट के अनुसार आवश्यक अनुसूचियों, लेखों पर टिप्पणों तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के साथ निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करेगा, अर्थात् :--
 - (i) प्ररूप-क में तुलनपत्र;
 - (ii) प्ररूप-ख में आय और व्यय लेखा,
 - (iii) प्ररूप-ग में प्राप्ति और भुगतान के लेखा।
 - (ख) अधिप्रमाणित 'रसीद और संदाय लेखा', 'आय और व्यय लेखा' और 'तुलन-पत्र' पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व्यूरो का वित्त और लेखा अधिकारी, सचिव और महानिदेशक होगा।
 - (ग) ब्यूरो टिप्पण, अनुदेशों और वित्तीय विवरण के सामान्य फार्मेट ब्यौरे के अनुसार वित्तीय विवरण के संकलन के लिए लेखाकरण नीतियों के अनुसार तथा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करेगा।
- 4. लेखाओं की संपरीक्षा .—(1) वार्षिक लेखा विवरणी संपरीक्षा अधिकारी को उस अनुवर्ती वर्ष के जिससे लेखा संबंधित हैं, 30 जून को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षा अधिकारी ब्यूरो के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा और उस पर रिपोर्ट देगा।
- (2) ब्यूरो संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसमें होंगत किए गए किसी दोष या अनियमितता के उपचार के लिए कार्रवाई करेगा और वार्षिक लेखा विवरणी, संपरीक्षा रिपोर्ट तथा उस पर की गई कार्रवाई के टिप्पण सहित शासकीय परिषुद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (3) वार्षिक लेखा विवरणी, संपरीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई सहित शासकीय परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदन सहित वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा और उसे प्रत्येक वर्ष के 15 नवम्बर तक या किसी अन्य तारीख तक जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

प्ररूप क [नियम 3(4)(क)(1) देखें] 31 मार्चको तुलन पत्र

(रकम-रुपये)

	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW		
संग्रह/पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्षे	पूर्व वर्ष
समग्र/पूंजीगत निधि	1	-	
अत्सित और अधिरोष	2		
নিহিত্যনিকৃষ্ট নিমিমা	3	-	-
पुर्वता क्रम संग्रह्म च	4	4	
, न्यूरीका प्रवास र ^{ाम} व	5	- 19	

(भागII—खण्ड 3(i)) भारत	का राजपत्र : असाधारण
	2
आस्तियां	Miles Name
नियत आस्तियां	8
विनिधान-उदिष्ट/दान निधियों से	9
विनिधान-अन्य	10
वालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि प्रकीणं व्यय	11
(समायोजित अथवा उपलिखित न की गई सीमा तक)	
3 е	
पार्थक लेखागत नीतियां	25
आकस्मिक देयतार्थे और लेखों पर टिप्पण	26
[नियम ३(४	प्ररूप ख ।)(क)(॥)देखें] ई के लिए आय और व्यय
[नियम ३(4 31 मार्च को समाप्त वर	।)(क)(॥)देखें] र्वकेलिए आय और व्यय
[नियम ३(४ 31 मार्च को समाप्त वर आय) (क) (ii) देखें] र्व के लिए आय और व्यय अनुसूची
[नियम 3(4 31 मार्च को समाप्त वर आय वक्रय/सेवाओं से आय	।)(क)(॥)देखें] र्वकेलिए आय और व्यय
[नियम 3(4 31 मार्च को समाप्त वर्ष आय वेक्रय/सेवाओं से आय अनुदान/सहायतायें) (क) (ii) देखें] र्व के लिए आय और व्यय अनुसूची
[नियम 3(4 31 मार्च को समाप्त वर्ष आय वेक्रय/सेवाओं से आय अनुदान/सहायतायें होस) (क) (ii) देखें] र्व के लिए आय और व्यय अनुसूची 12
[नियम 3(4 31 मार्च को समाप्त वर्ष आय वेक्रय/सेवाओं से आय अनुदान/सहायतायें होस वेनिधान से आय) (क) (ii) देखें] र्व के लिए आय और व्यय अनुसूची 12 13 14
[नियम 3(4 31 मार्च को समाप्त वर्ष अगय वक्रय/सेवाओं से आय अनुदान/सहायतायें हीस वेनिधान से आय अभिदाय/दान निधि से अन्य निधियों में हस्तांतरित किये गये विनिध	(क) (ii) देखें] र्व के लिए आय और व्यय अनुसूची 12 13 14 15
[नियम 3(4 31 मार्च को समाप्त वर अग्रय वेक्रय/सेवाओं से आय अनुदान/सहायतायें होस वेनिधान से आय अभिदाय/दान निधि से अन्य निधियों में हस्तांतरित किये गये विनिय् वामित्व, प्रकाशन आदि से आय	(क) (ii) देखें] र्व के लिए आय और व्यय अनुसूची 12 13 14 15 वेश पर आय)
[नियम 3(4 31 मार्च को समाप्त वर्ष अग्य वेक्रय/सेवाओं से आय अनुदान/सहायतायें होस वेनिधान से आय अभिदाय/दान निधि से अन्य निधियों में हस्तांतरित किये गये विनिध् व्यक्तित्व, प्रकाशन आदि से आय	(क) (ii) देखें] र्व के लिए आय और व्यय अनुसूची 12 13 14 15 वेश पर आय)
[नियम 3(4 31 मार्च को समाप्त वर अय क्रय/सेवाओं से आय नुदान/सहायतायें स निधान से आय मिषदाय/दान निधि से अन्य निधियों में हस्तांतरित किये गये विनिध गिमत्व, प्रकाशन आदि से आय	(स) (स) देखें] र्व के लिए आय और व्यय अनुसूची 12 13 14 15 वेश पर आय)

		- - - -
		-
		_
		-
	-	
2	- ^	_
		- ,
4 . 13		-
-1 .		_
		- 7
)		
- 100		_
		_
		-
		_
		·

4

(रकम-रूपये)

पूर्व वर्ष

प्रक्रम ग

[नियम 3(4) (क) (iii) देखें]

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(रकम रूपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पर्स वर्ग	भुगतान	FILES	क्रा	पूर्व. वर्ष
	जार्गू वय	नूप पप		वालु	वष	पूत. तथ
I.आरंभिक अतिशेष			L व्यय			
(क) हाथ नकदी	-	-	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 की ततस्थानी)		-	-
(ख) बैंक शेष	-	-	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 की तत्स्थानी)		-	100
(i) चालू खातों में	-	-				
(ü) जमा खातों में	-	-				
(iii) बचत खातों में	-	-				
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान			
(क) भारत सरकार से	-		(निधि या परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के			
			लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाया			
4 4 5 5 5 5 5			जाए)			
(ख)राज्य सरकार से	-	-				
(ग) अन्य स्रोतों से	-	-				
(विवरण दें) (पूंजी अनुदान और राजस्व व्य को अलग-अलग से दर्शाए)	4					10
🖽 निम्नलिखित से विनिधान पर व्यय			HI. किया गया विनिधान और जमा			
(क) निश्चित/विन्यास निधि से	-	_	(क) निश्चित/विन्यास निधि में से		-	-
(ख) स्वयं की निधियों से (अन्य विनिधान)	-	-	(ख) स्वयं की निषियों से (अन्य विनिधान)		-	-
IV. प्राप्त ब्याज			IV. स्थिर आस्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	व्यय		
(क) बैंक जमा पर	-	_	(क) स्थिर आस्तियों की खरीद		-	227
(ख) ऋग, अग्रिम आदि	-	-	(ख) पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय		-	-
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	V. अधिशेष धन/ऋणों की वापसी			
			(क) भारत सरकार को		_	#-
			(ख) राज्य सरकार को		-	-
			(ग) आय निधि के प्रदाताओं को		-	-
VI. उद्यार ली गई रकम	-	_	VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)			
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें)	-	-	VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)			7.
E			VIII. ऑतिम श्रेष			
			(क) हाथ नकदी		-	
			(ख) बैंक अति शेष		-	# "
			(i) चालू खातों में		_	_
			(ii) जमा खातों में		-	
			(iii) बचत खातों में		-	
	-		कुल		_	-

31 मार्च तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रकम-रूपये)

अनुसूची 1 संग्रह निधि/पूंजीयत निधि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष		
जोड़ें : समग्र/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	-	- 1
जोड़े/(घटाए) आय और व्यय लेखा से हस्तांतरित	-	
आय/(व्यय) लेखा का रोष		
वर्ष के अंत में शेष		
अनुसूची 2-आरक्षिती और अतिशेष		
1. पूंजीगत आरक्षिती		
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान संबर्धन	1 - 1 × = 0 × + 00	
घटाएं - वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	(-)
2. पुनर्मृत्यांकन आरक्षिती		
ऑवम लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान संवर्धन	4	1 V = 1 10 - 1
घटाएं - वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	(-)
3. विशेष आरक्षिती	f.	1
पिछले लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान संवर्धन		-
घटाएं - वर्ष के दौरान कटौतियां	(-)	(-)
4. साधारण आरक्षिती		
ऑतिम लेखा के अनुसार	-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	7- X	
घटाएँ - वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(-)	(-)
कुल		

(रकम-रुपये)

अनुसूची 3- निश्चित/विन्यास निधि	f	नेधिवार ब्यौरा			रकम-रूपय)
	निधि ब ब	निधि भ भ - निध्नि म	म निधियय	- चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	-		-		
(क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष:	4		and a state of		4.7
(ख) निधियों में संवर्धन	EJT-			-	-
(i) संदान/ अनुदान	_			_	- 1
(ii) निधियों के मद्दे विनिधान से आय	-			_	_
(iii) अन्य संवर्धन	-		2.1		4 2 1 3
(प्रकार को विनिर्दिष्ट करें)	-				
जोह (क+ख)				-	_
(ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय	-			_	_
ा. पूंजीगत व्यय				-	12
– नियत आस्तियां				_	
– अन्य			, -	-	200
कुल	-	12- TE -	-		

अनुसूची 4-सुरक्षित ऋण और उधार .	11.4		वालू वर्ष		1	पूर्व वर्ष
।. केन्द्रीय सरकार		/A				70 4
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)			40			-
3. वित्तीय संस्थाएं		 -100				
(क) आवधिक ऋण			-			7
(ख) ब्याज उदभूत और देय		*			1	-
4. बैंक						
(क) आवधिक ऋण						-
-ब्याज ठदभूत और देय	70		-			
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		14	-			-
- व्याज् उपाजित और देय						-
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण		- K.	-			-
 डिबेंचर और बंधपत्र 			-			-
७. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
and the state of t			-	-		-
कुल	5-1	 			-	_

टिप्पण-एक वर्ष के भीतर देय रकम।

(रकम-रूपये)

अनुसूची 5-असुरिक्षत ऋण और उधारी		, चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	v		
2. राज्य सरकार (विनिर्दिध्ट करें)		-	The same of
3. वित्तीय संस्थाएं			
4. बैंक :			
(क) आवधिक ऋण			
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)			

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण और ठधारी	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
 अन्य संस्थाएं और अभिकरण 	- 125	-
6. डिवेंचर और बंधपत्र		-
7. नियत निश्चेप		
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		-
कुल		
टिप्पण-एक वर्ष के भीतर देय रकमा		
अनुसूची 6- आस्थगित प्रव्यय दायित्व	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों को बंधक रख कर स्वीकृतियां	-	-
(ख) अन्य	-	
कुल		- i -
टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम।		

= (रकम-सपर्वे)

अनुसूची 7-चालू दायित्व और उपबंध		घालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क, चालू दायित्व			1
1. स्वीकृतियां			
2. विविध लेनदार			0.00
(अ) माल के लिए			9.5
, (ब) अन्य		-	-
3. प्राप्त अग्रिम .		-, -	
4. च्याज उदभूत किंतु देय नहीं			
(अ) सुरक्षित ऋण/उधार		-	
(व) असुरक्षित ऋण्/उधार			
5. कानूनी दायित्व			
(अ) अतिदेर्य			
(ब) अन्य		-	
 अन्य चालू दायित्व 			
कुल (क)	- W-1		13 THE P. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.
ख, उपबंध			***
1. कराधान के लिए			_
2. उपदान			
3. अधिवर्षिता/पेंशन			7 2 2
4. सीचत छुट्टी के बदले नकद भुगतान	1 7-15	4. 2	
 ट्रेड वारंटी/दावे 		-	10 10 - 1
 अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 			
कुल (ख)			
कुल (क+ख)			

अनुसूची 8 स्थिर आस्तियां

(राशि रुपये)

		सकल ब	लॉक			अवक्ष	यण	f	नेवल ब्लॉक	14.
वर्णन	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	अभि-	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	प्रारंभ में	अनुदान आस्तियों		अंत में जोड़	चालू वर्ष की समाप्ति पर	
ह, नियत अस्तियां	200									
. भूमि										
(क) फ्री होल्ड	=	-	(-)	-	-	-	- 19	-		-
(ख) पट्टापृति	-	-	(-)	-	-	-	- '	-	-	-
, भवन 🗼										
(क) पूर्ण फ्री होल्ड भूमि पर		-	(-)	- 1	-	-	20	-	-	-
(ख) पट्टावृत भूमि पर	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वामित्व भवन/परिक्षेत्र	-	-	(-)		-	-1	- 0	-	- 11	-
(घ) अस्तित्व से असंबंधित भूमि पर अधिसंरचना	-	-	(-)	-	-	-		-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी और उपस्कर	-	-	(-)	-	7	-	Terre	-	-	-
4. वाहन	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
5. फनींचर फिक्चर्स	-	- "	(-)	- 1	-	-	4 10 1	-		-
६. कार्यालय उपस्कर	- 1	-	(-)	-	-		-	-	-	-
7. कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर पैरिफेरल	=	-	(-)	-	-	-	+;	-	-	- (
वैद्युत संस्थापन	-	-	(-)	-	-	_		-		7
9. पुस्तकालय की पुस्तकों	-	- :	(-)	-	-	F	-	7	-	- 40
 ट्यूबैल और जल आपूर्ति 	-	- /	(-)	-	-	*	-	-	-	-
 अन्य स्थिर परिसंपत्तियां 	_	- 1	(-)	-	=	-	-	-	-	-
प्रालू वर्ष का योग .	- "	-	(-)			-	-		-	
ूर्व वर्ष.	-	-	(-)		-	-			- 1	-
व. पूंजीगत कार्य-प्रगति	-	_	(-)	-	-	-	-	-	-	-,
рег	-	_	(-)		_	-	1			

(रकम-रूपये)

		((41-) (14)
अनुसूची 9-निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
 सरकारी प्रतिभृतियों में 		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां	-	-
3. शेयर		
4. डिबेंचर और बंध-पत्र	4	
s. सहायता और संयुक्त उद्यम	-	
6. अन्य (विनिर्दिष्ट)		
े जो इ ं		
नुसूची 10 विनिधान अन्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
 सरकारी प्रतिभृतियों में 		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां		-
३. शेयर		* 6 2
4. डिबेंचर और बंध-पत्र		-
s. सहायता और संयुक्त उद्यम		
अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएं)	-	
जोड		

अनुसूची 10-चालू आस्तियां, ऋण अग्रिमं अन्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. चालू आस्तियां		Live te
1. तालिका		
(अ) भंडार एवं स्पेयर्स		ATTENDED
(व) खुले उपकरण		March 200
(ब) व्यापार स्टाक		
तैयार माल	2.0	
कार्य-प्रगति		
कच्ची सामग्री		
2. विविध देनदार		THE REPORT OF
(अ) छ: मास से अधिक की अवधि के ऋण		
(ब) अन्य	-	
 हाथ में नकद शेष (बैंक/ड्राफ्ट और अग्रदान समेत) 		W. W.
4, बैंक शेष		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खातों पर		
 जमा खातों पर (मार्जिन धन समेत) 		-
 — बचत खातों पर 72.6GI/07 —2. 		

		(रकम-सपने
अनुसूची 10-चालू आस्तियां, ऋण अग्रिम अन्य	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(ख) गैर अनुसूचित वैंकों के साथ		
– चालू खातों पर	-	
– जमा खातों पर (मार्जिन धन समेत)		-
वचन खातौँ पर	-	
5. डाकघर-वचन खाता		
जोइ(क)		
		(राशि रूपये)
अनुमूखी 11-चालू आस्तियां, ऋण अग्निम आदि (क्रमागत)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ख. ऋण अग्निम और अन्य आस्तियां		The state of the s
1. ऋण		
(क) कर्मचारिवृंद		- 0
(ख) इस अस्तित्व के समान गतिविधियों/उद्देश्य में संलग्न अन्य अस्तित्व		
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
 अग्रिम और नकद या दान में वसूली योग्य धनराशि या प्राप्त किया जाने वाला मूल्य 		
(अ) पूंजीगत लेखा पर		
(ब) पूर्व-अदायगी		
(स) अन्य	4 4 1	
3. उद्भूत आय		
(अ) निश्चित/विन्यास निधि से निवेश पर	The Later of the	
(ब) विनिधान पर-अन्य		
(स) ऋण और अग्रिम पर	_	
(र) अन्य		
(इंसमें वसूल न की गई सम्यक रकम रुपयेसम्मिलित)		
4. प्राप्य दावे		dancing by
কুল (ত্ত)		
कुल (क+ख)		Trace.
		(स्कम-रूपये)
अनुसूची 12-विक्रय/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1) विक्रय से आय		
(क) तैयार माल का विक्रय	-	
(ख) तैयार माल का विक्रय		100
(ग) रही माल का विक्रय		

(रक्रम-सपये)

चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	the free to the second
7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	- /
चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
- 1	The street of the same
-	- 1 - Val
	-
-	
-	
	(रकम-रूपये)
चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	2
	4 7 4 7
Total e de la colonia	
	The law to
	् (रकम-रूपये)

अनुसूची 15-विनिधान से आग

निश्चित निधि से विनिधान निवेश-अन्य निश्चित/विन्यास निधि के विनिधन चालू वर्ष पूर्व वर्ष पूर्व वर्ष चालू वर्ष को अन्य निधियों में हस्तांतरित करने पर आय 1. ब्याज (क) सरकारी प्रतिभृतियाों पर (ख) अन्य बंध पत्र (हिबेंचर) 2. लाभांश (क) शेयर पर (ख) पारस्परिक निधि प्रतिभृतियों पर 3. किमाया 4. अन्य (विविदेश्ट करें) विश्वित /विन्यास निधि में अतिरित

(रकम-रूपए)

अनुसूची-16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) स्वामित्व से आय		
(ख) प्रकाशन से आय		
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	
जोड़		
अनुसूची-17 ऑर्जेत ब्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
।. आविधक जमाओं पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		-
(ग) संस्थाओं के साथ	-	- 1000
(घ) अन्य		
2. बचत खातों पर		
(क) अनुस्चित वैंकों के साथ	-	
(ख) गैर-अनुस्चित चैंकों के साथ	A 2	
(ग) डाकघर बचत खाते		_ 1
(घ) अन्य		
3. ऋणों पर		A The second second
(क) कर्मचारी/कर्मचारी वर्ग		2
(ख) अन्य	_	
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		- 150
3 е		
नोट :—स्रोतों पर काटे गए कर निर्दिष्ट करें ।		
अनुसूची-18 अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. विक्रय पर लाभ/आस्तियों निपटान		
(क) स्वामित्व वाली आस्तियां		of the second and the second
(ख) निःशुल्क प्राप्त लागत या अनुदानों से अर्जित आस्तियां	-	
2. वसूल किया गया निर्यात प्रोत्साहन		
3. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस	-	- 1
4. प्रकीर्ण आय		
क ुल	-	
अनुसूची-19 तैयार माल का स्टॉक और कार्य प्रगति में बढ़ोत्तरी∕(कमी)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) बंद स्टॉक		
–तैयार माल	The 5 House	The second
−कार्य प्रगति		7 July 2
ख) घटाएँ-प्रारंभिक स्टॉक	-	
-तैयार माल -कार्य प्रगति		

A PROPERTY OF TANKS IN THE PARTY OF THE BETT OF

(रकम-रुपये)

ानुभूची 20 -स्थापना व्यय	चाल	ू वर्ष	पूर्व वर्ष			
	(आई एंड ई)	(आर एंड पं	ो (आई एंड ई)	(आर एंड पी)		
(क) वेतन और मजदूरी		£	4			
(ख) भत्ते और बोनस	- 1			-		
(ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-	_	-		
(म) अन्य निधियों के अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)			_			
(इ) कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय		-	-			
(च) कर्मचारी सेवा निवृत्ति और सेवांत हितलाभ पर व्य	u –	-	-	5 4- 1		
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	- 1	0-			
जोड़	-	-	-	. 2		

रकम-रूपये)

भनुसू	री 21–अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चा	लू वर्ष	पूर्व	वर्ष
		(आई एंड ई)	(आर एंड पी) (आई एंड ई)	(आर एंड पी)
(本) खरीद	7.7 4		-	
(ख) श्रम और प्रक्रिया व्यय		-	¥	Maria Maria
(1) दुलाई और वहन इनवर्ड		_	- 10	
(1) विद्युत और बिजली	- 3 -	-	-	
(多) जल प्रभार	4	-	_ **.	
(日) बीमा	-		-	t =
(छ) मरम्मत एवं अनुरक्षण				
(ज) उत्पाद शुल्क		-	- 1	
(झ) किराया, दरें और कर	3-11		_	
(স) चालू वाहन और रखरखाव		-	= -	10 - 12
(2)	डाक, टेलीफोन एवं संचार प्रभार	- : .	-	_	
(3)	छपाई और लेखन सामग्री	J. 74	-	-	-
	यात्रा और वाहन व्यय	-	2 1	-	
	– ओवरंसीज समिति	·	-	-	
	-अधिकारी और कर्मचारिवृन्द के सदस्य	-			
	-समिति सदस्य	THE WAR	THE PERSON	-	
(8)	सेमिनार और कार्यशाला पर व्यय		ALC: University	- News	., 441
(m)	अशंदान व्यय				WE TEN
(a)	फीस पर व्यय				1-1-
(四)	लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	-		2 19 1	
(4)	सत्कार पर व्यय	X = .	-	_	
(4)	वृत्तिक प्रभार	_	-	_	
(7)	ड्बंत और संदेहास्पद ऋणों/अग्रिम के उपबंध				
	समाप्त किए गए अपलिखित बकाया			_	
40	पैकिंग प्रभार				
22/11/15	मालभाड़ा व अग्रेषण व्यय				
	वितरण व्यय				
100	प्रचार एवं प्रसार	-			
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
	क्ल	1	-		

			(रकम-रूपमे
अनुसूची	22-अनुदानों, सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष -
(新)	संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
(亚)	संस्थाओं/संगठनों को दी गई आधिक सहायता		-
	बुल		-
टिप्पण-	अस्तित्व के नाम के साथ अनुदान/सहायता की रकम को प्रव	नट करें	
अनुसूची	-23 च्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क)	नियतं ऋणाँ पर	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
(ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		4
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	Englisher - Links	
	कुल		
अनुसूची	24-परीक्षण पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(事)	बाहरी प्रयोगशालाओं को दी गई परीक्षण फीस		
	बाजार नमूना		
(刊)	प्रयोगशाला संहित और स्टोर्स		-
	जोड़		

अनुसूची 25-महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (उदाहरणार्थ)

(1) लेखा कन्वेंशन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कनवेंशन के आधार पर, जब तक कि अन्यथा न कथन किया जाए और लेखा की संभूति प्रणाली पर तैयार किए जाते हैं।

(2) तालिका मूल्यांकन

- 2.1 स्टोर और स्पेंयर (मशीनरी स्पेयर सहित) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
- 2.2 कच्ची सामग्री, अर्ध कच्ची सामग्री तथा तैयार माल न्यूनतम मूल्य और शुद्ध विश्वसनीय लागत पर मूल्याँकित किए जाते हैं। लागत नापे गये औसतन लागत पर आधारित है। तैयार माल और अर्ध रूप से तैयार माल की लागत सामग्री, श्रम और संबंधित उपरिष्ययों द्वारा अवहारित किया जाता है।

(3) विनिधान

- 3.1 ''दीर्घकालिक विनिधान'' के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी से फिन्न अन्य गिरावट के लिए उपबंध ऐसे विनिधान की लागत में किए जाते हैं।
- 3.2 ''करेंट'' के रूप में वर्गीकृत विनिधान न्यूनतम लागत और डचित कीमत पर किए जाते हैं। ऐसे विनिधानों के मूल्य पर हेतु उपबंध व्यक्तिगत तौर पर माने गये प्रत्येक विनिधान के लिए किया जाता है। न कि वैश्विक आधार पर।
- 3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टैम्प जैसे अधिग्रहण व्यय सम्मिलित हैं।

(4) उत्पाद शुल्क

निर्यात से अन्य अस्तित्व द्वारा उत्पादित माल के संबंध में उत्पाद शुल्क हेतु देयता का हिसाब उत्पादन के पूरा होने पर लगाया जाता है।

(5) नियत आस्त्रियां

- 5.1 नियत आस्तियां इनवर्ड भाडा, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित अनुपारिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित अधिग्रहण के मूल्य पर निश्चित किए जाते हैं। सॉनर्माण की परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व प्रचालगत व्यय (अपनी पूर्णता से पर्व विशेष परियोजना हेतु ऋणों पर व्याज सहित), पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य का भाग होते हैं।
- 5.2 गैर-आर्थिक अनुदानों (समग्र निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियाँ पूंजी आरक्षित में तत्संबंधी प्रविधि में कथित पर पूंजीगत की जाती है।

(6) अवक्षयण

- 6.1 मूल्यहास विदेशी मुद्रा बदलने के कारण उत्पन्न होने वाले मूल्य समझौतों पर मूल्यांकन के सिवाय आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा प्रणाली पर उपलब्ध कराया जाता है। अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु देवता जो संबंधित परिसम्पत्तियों के अविग्रहण होतु देवता जो संबंधित परिसम्पत्तियों के अविग्रहण जीवन पर परिशोधित किया जाता है।
- 6.2 वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में अभिवृद्धियां/से कटौतियों के संबंध में, अवक्षयण प्रोरेटा आधार पर माना जाता है।
- 6.3 प्रत्येक 5000 रुपये या कम के मृत्य की आस्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती है।

(7) प्रकीर्ण व्यय

आस्मिगित राजस्य व्यय उपगत किए गए वर्ष से पांच वर्ष की अविधि के लिए अपलिखित किया जाता है।

(8) विक्रय के लिए लेखा

विक्रय में उत्पाद शुल्क और विक्रय रिटर्न, रिबेट और व्यापार खट ना शुद्ध मूल्य है।

(9) सरकारी अनुदान अथवा सहायता

- 9.1 परियोजनाएं स्थापित करने के पूँजीगत लागत के संबंध में अंशदान प्रकृति के सरकारी अनुदान पूँजी आरक्षित के रूप में माने जाते हैं।
- 9.2 प्राप्त विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों से संबंधित अनुदान, संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दिखाए गए हैं।
- 9.3 सरकारी अनुदान/सहायता का हिसाब वसूली के आधार पर लगाया जाता है।

(10) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहार का हिसाब संव्यवहार की तारीख पर प्रचलित संव्यवहार दर पर किया जाता है।
- 10.2 चालू आस्तियां, विदेशी मुद्रा, ऋण और चालू दायित्व वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित की जाती हैं और परिणामस्वरूप लाभ/हानि निर्धारित आस्तियों के मूल्य में समायोजित की जाती हैं, यदि विदेशी मुद्रा देयता निर्धारित आस्तियों से संबंधित होती है और अन्य मामलों में राजम्य निर्धारित आहित हो।
- (11) पद्टा

लाज किराया, लीज निबंधनों के अनुसार व्यय किए जड़ो हैं।

(12) सेवानिवृत्ति फायदा

- 12.1 कर्मचारियों के देहाँत संवानिवृत्ति पर देव उपदान की देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त होती है।
- 12.2 कर्मचारियों को अर्जित एकत्रित छुट्टी फायदा का उपबंध इस धारणा पर प्राप्त तथा ठद्भूत किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अनुसूची-26 आकस्मिक दायित्व एवं लेखा पर डिप्पण (बदाहरणार्थ)

- 1. आकस्मिक दायित्व
 - 1.1 कपये (पूर्व वर्ष कर्पये क्षेत्र कर्पये के ऋण के रूप में स्वीकृत न किए गए अस्तित्व के विरुद्ध दावे।
 - 1.2 निम्नलिखित को संबंध में

अस्तित्व द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गार्रटी रूपये (पूर्व वर्ष रूपये)

बैंक के साथ कटौती किए बिल ----- रुपये (पूर्व वर्ष ----- रुपये)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगें :-

आयकर ---- रुपये (पूर्व वर्ष ---- रुपये)

विक्रय कर हपये (पूर्व वर्ष हपये)

नगरपालिका कर ----- रुपये (पूर्व वर्ष ----- रुपये)

- 1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन हेतु पश्चकारों के दावों के संबंध में किंतु जो अस्तित्व द्वारा किए गए रुपये (पूर्व वर्ष
- 2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखा पर निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेकों का प्राक्कलित मूल्य और रुपये पर उपलब्ध नहीं है।

3, पद्टा बाध्यता

संयंत्र एवं मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टे की प्रबंध के अंतर्गत रेंटल के लिए भावी बाध्यता रुपये की कोटि में आते हैं (पूर्व वर्ष रुपये की कोटि में आते

4. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के विचार में, चालू अस्तियां, ऋण एवं अग्रिम राशियों की कीमत कारबार के साधारण क्रम में वसूली पर तुलन पत्र में दर्शायी . गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान

आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कोई कर योग्य आय न हो 4 को ध्यान में रखते हुए, आय कर के लिए किसी उपबंध को अनिवार्य नहीं माना गया है।

The state of the s

विदेशी मुद्रा संव्यवहार

(रकम-रूपये) वर्तमान वर्ष-पूर्व वर्ष

6.1 सीआईएफ आधार पर परिकलित आयार्तों का मूल्य

् निर्मित वस्तुओं की खरीद

- कच्ची सामग्री एवं संघटक (इन ट्रॉजिट सहित)
- पूंजीगत वस्त्एँ
- भंडार, स्पेयर और खपत योग्य सामग्री
- 6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय
 - (क) यात्रा
 - (ख) विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को श्रेजी गई रकम तथा ब्याज भुगतान
 - (ग) अन्य व्यय विक्रय पर कमीशन विधिक और वृत्तिक व्यय प्रकीर्ण व्यय
- 6.3 उपार्जन एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य
- 6.4. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक
 - -लेखापरीक्षकों के रूप में
 - कराधान संबंधी मामले
- . प्रबंधन सेवा के लिए
 - प्रमाणपत्र के लिए

अन्य

- पिछले वर्ष के लिए तत्स्थानी आंकड़ों को पुनर्प्रप/पुनर्व्यवस्थित किया गया है, जहां आवश्यक हो।
- 8. सूची 1 से 26 तक संलग्न की गई है और पर तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अ एवं व्यय लेखा का आंतरिक भाग है।

वित्तीय कथनों के संकलन के लिए टिप्पण, अनुदेश एवं लेखा सिद्धांत

1. वित्तीय वितरण (अर्थात् तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखा) प्रोद्भृत आधार पर तैयार किया जाएगा और सुझाए गए रूप में ह अथवा जितना संभव हो सके उसके समीप होगा।

यदि इस प्ररूप में किसी मद अथवा उप-मद के अंतर्गत दी गई किसी अपेक्षित सूचना को, यथास्थित, तुलनपत्र अथवा आय और व लेखे में ही सुविधाजनक रूप से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है तो इसे तुलनपत्र अथवा आय एवं व्यय लेखे के साथ जोड़े जाने वाले त उसके भाग के रूप में इससे वंपाबद पृथक सूची अथवा सुचियों में दिया जा सकता है। जहां मदें अनेक हों वहां इसकी सिफारिश की जाती

- 2. तुलनपत्र तथा आप एवं व्यय लेखा तैयार करने में सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण वित्तीय विवरणों में सम्मिलत जाएगा और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटन एक ही स्थान पर होना चाहिए। लेखा नीतियों का तात्पर्य विशेष लेखा नीतियों तथा विवरणों की तैयारी में अस्तित्व द्वारा अपनाए जाने वाले इन सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया से है। यदि कोई लेखा नीति लेखा मानकों अनुरूप नहीं है और लेखा मानकों से विचलन का प्रभाव आर्थिक है तो विचलन के ब्यौरे उसके कारणों सहित तथा वित्तीय प्रभाव सहित दश जाएंगे। केवल वही नहीं जहां ऐसा प्रभाव निश्चित नहीं होता है।
- 3. लेखा नीतियां एक विचीय वर्ष से दूसरे विचीय वर्ष तक लगातार लागू की जाएंगी। लेखा नीतियां में कोई परिवर्तन जिसका वर्तग अविध में तात्विक प्रभाव है अथवा बाद की अविधयों में तात्विक प्रभाव पड़ने की युक्तियुक्त संभावना है, दशाया जाएगा। वर्तमान अविध महत्वपूर्ण प्रभाव वाली लेखा,नीतियों में किसी परिवर्तन के मामले में, वह राशि जिसके हारा विचीय विवरणों में कोई मद किसी परिवर्तन है प्रभावित है, उसे भी अभिनिश्चित सीमा तक प्रकटन किया जाएगा। जहां ऐसी सिश पूर्णत: या अशंत: अधिनिश्चित नहीं है वहां इस तथ्य प्रकटन किया जाएगा।
- 4. तुलनपत्र में लेखा उपचार एवं प्रतिनिधित्व और आय और विनिध्य एवं संव्यवहार तथा घटनाओं का व्यय लेखा उनके साधेशी शासित किया जाएगा और न केवल विधिक तेंग्रेके से ही शासित किया जाएगा।
- लेखा उपचार एवं तुलनपत्र में किसी मद को दर्शाने के तरीके और/अथवा आयं. एवं व्यय लेखा के निर्धारण में, तात्विकता अवधारणा को सम्यक रूप से मान्यता दो जाएगी।
- 6. सभी ज्ञात दायित्व एवं हानियों के लिए उपबंध किया जाएगा यद्यपि ग्राशि वास्तविक शुद्धता से निर्धारित न की जा सके (और उप की ग्राशि उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए केवल वैवीतम प्राक्कलन दर्शाती है)।
- "उपबंध" से अस्तित्व के मूल्य में हास नवीकरण क्षेत्रवा कमी के लिए उपबंध द्वारा लिखी गई अथवा जारी रखी गई कोई राशि और वि जात देयता की व्यवस्था के माध्यम से जारी रखी गई राशि, जिपकी राशि को वास्तविक शुद्धता से निर्धारित नहीं किया जाता है, अभिग्रेत है।

आकस्मिक हानि के लिए उपबंध किए जाएंगे यदि:-

- (क) यह सम्भाव्य है कि भावी घटनाएँ इस बात की पुष्टि करेंगी कि किसी भी संबंधित संभाव्य वसूली को ध्यान में रखते हुए आस्ति को कम कर दिया गया है अथवा तुलनपत्र की तारीख पर दायित्व का वहन किया गया, और
- (ख) परिणामस्वरूप हानि की राशि का युक्तियुक्त प्राक्कलन किया गया है। यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं होती है तो आकस्मिक हानि की अस्तित्व आय एवं व्यय लेखे के टिप्पण के माध्यम से दशाया जाएगा, जब तक कि हानि की संभावना दूर न हो।
- 7. जहां कोई राशि आस्ति के मूल्य में इस, नवीकरण एवं कमी द्वारा अपलिखित अथवा जारी की जाती है या किसी ज्ञात दायित्व की व्यवस्था द्वारा जारी रखी जाती है जो उस राशि से अभिक है जो कि इस प्रयोजन के लिए उचित रूप से अनिवार्य मानी जाती है तो यह अभिक राशि आरक्षित के रूप में मानी जाएगी, उपबंध के रूप में नहीं।
 - 8, राजस्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि:-
 - (क) संबंधित निष्पादन प्राप्त नहीं कर लिया गया है।
 - (ख) प्रतिफल की राशि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, और
 - (ग) वस्ली एवं अतिम संप्रहीकरण की आशा करना गैर-युक्तियुक्त नहीं है।
 - 9. निम्नलिखित के संबंध में आब एवं व्यय लेखे में पृथक प्रकटन किया जाएगा:-
 - (क) 'पूर्व अविधि' मद जिसमें आय अथवा ज्यम की तात्विक मद सम्मिलित है जो एक या अधिक पूर्व अविधियों के वितीय विवरणों की तैयारी में शुटियों या लोगों के परिणामस्वरूप वर्तमान अविधि में उत्पन्न होती है।
 - (ख) ''असाधारण'' मरें जो आय अधवा व्यय की महत्वपूर्ण मरें हैं जोकि घटनाओं एवं संव्यवहार से उत्पन्न होती है जो अस्तित्व की सामान्य गतिविधियों से स्पष्ट कप से पृथक है और इसलिए बारंबार अथवा निरंतर होने की कोई संभावना नहीं है।
 - (ग) "प्रकीणं व्यय" के शीर्व के अंतर्गत कोई मद जो अस्तित्व की कुल आवर्त/सकल आय के 1 प्रतिशत या 50,000 रुपये से अधिक है, जो भी अधिक है। इसे आय एवं व्यय लेखे में उपयुक्त लेखा शीर्व के विपरीत दर्शाया जाएगा।
 - (भ) "प्रकीण व्यय" शीर्ष के अंतर्गत कोई मद जो अस्तित्व की कुल आवर्त/सकल आय के 1 प्रतिशत या 50,000 रुपये से अधिक है, जो भी उच्चतर है। इसे आय एवं व्यय लेखे में उपयुक्त लेखा शीर्ष के विपरीत पृथक एवं भिन्न मद के रूप में दशाया जाएगा।
 - 10. प्ररूप में निर्दिष्ट अनुसूचियां, लेखा नीतियां तथा स्पष्टीकारक टिप्पण वित्तीय विवरणों का आंतरिक भाग बनाएंगे।
 - 11. तुलनपत्र एवं आय तथा व्यय लेखे के टिप्पण में तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेखे में मद से संबंधित स्पष्टीकरण तात्विक सामग्री अंतर्विष्ट होगी।
 - 12. तुलनपत्र एवं आय एवं व्यय लेखे में आंकड़े यदि पूरे कर लिए गए हैं तो निम्नलिखित के रूप में पूरे किए जाएंगे :--

आवर्त की रकम (रुपये में)			(रुप	ये) तक पूरा व	करना	
एक लाख से कम	7. 7.		1-1-3	- सी	1.5	W. T. A.
एक लाख या उससे अधिक किंतु एक करोड़ से कम	32			हजार		
एक करोड़ या उससे अधिक किंतु सौ करोड़ से कम		85.		साख		
सौ करोड़ या उससे अधिक किंतु एक हजार करोड़ से कम			1	करोड्	5	
	एक लाख से कम एक लाख या उससे अधिक किंतु एक करोड़ से कम एक करोड़ या उससे अधिक किंतु सौ करोड़ से कम	एक लाख से कम एक लाख या उससे अधिक किंतु एक करोड़ से कम एक करोड़ या उससे अधिक किंतु सौ करोड़ से कम	एक लाख से कम एक लाख या उससे अधिक किंदु एक करोड़ से कम एक करोड़ या उससे अधिक किंदु सौ करोड़ से कम	एक लाख से कम एक लाख या उससे अधिक किंतु एक करोड़ से कम एक करोड़ या उससे अधिक किंतु सौ करोड़ से कम	पक लाख से कम सी एक लाख या उससे अधिक किंतु एक करोड़ से कम हजार एक करोड़ या उससे अधिक किंतु सौ करोड़ से कम लाख	पक लाख से कम सी एक लाख या उससे अधिक किंदु एक करोड़ से कम हजार एक करोड़ या उससे अधिक किंदु सौ करोड़ से कम लाख

13. सुझाँवित फारमेट के संबंध में संकलन के लिए संलग्न टिप्पण एवं अनुदेशों के प्रति भी निर्देश किया जाए।

अनुसूचियों के लिए टिप्पण और अनुदेश

संग्रह /पूंजी निधि एवं दायित्व

अनुसूची-1 संग्रह/पूंजी निधि

- (क) संग्रह/पूंजी निष्धि, पूंजी शेयर पूंजी अधवा स्वांमी के कोष से संबंधित है। उसमें आय एवं व्यय लेखे में दर्शित शुद्ध प्रचालन परिणामों द्वारा। बढ़े/घटे (आरक्षित अधवा चिन्हित कोष में अंतरित किसी अधिशेष की छोड़कर)।
- (ख) संग्रह/पूंजी निधि की प्रारंभिक शेष, इसमें परिवर्धन इससे कटौतो तथा ओंतम शेष को इस शीर्ष कं तहत दर्शाया जाएगा।
- (ग) संग्रह निधि में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, तो अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अथवा लागू विनियमों के अनुसार किसी आरक्षित अथवा चिन्हित कोष में आरंभ सं अंतरित होंगे।

72551 107-3

संग्रह/पूंजी निधि और बाध्यताएं

अनुसूची-2 आरक्षित एवं अधिशेष

1. पूंजी आरक्षितः

	प्रारम्भिक शेष	'पूंजी आरक्षित' की अभिव्यक्ति में आय एवं व्यय लेखे के द्वारा नि:शुल्क वितरण से संब
-	वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	कोई राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी। पुन: मूल्यांकन के अधिशेष को पूंजी आरक्षित के 🕻
-	वर्ष के दौरान कटौतियां	में माना जाए तथा पृथक रूप से दर्शाया जाए । विदेशी शाखाओं के वित्तीय वितरण के दें
		परिवर्द्धन के वित्तीय विवरण के अंतरण के अधिशेष, यदि कोई हो तो, पुन: मूल्यांकन आर

2. पुनः मृल्यांकन आरक्षित :

- ्रप्रारम्भिक शेष	परिवर्तनीय कीमतों के प्रभाव को दर्शाने के लिए अथवा आस्तियों, जिन्हें दूसरे रूप
- वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है, का पुन: मूल्यांकन किया जाता है तथा पुन: मूल्यां
- वर्ष के दौरान कटौतियां	द्वारा स्थानापन्न ऐतिहासिक लागत सामान्यतया सक्षम मूल्यांकनकर्ता द्वारा तय को ज परिणामस्वरूप आय पुन: मूल्यांकित ऐसे स्थानापन्न को ''पुन: मूल्यांकन आरक्षित''
4	रूप में दर्शाया जाना होता है । यह आरक्षित अवसूलीकृत प्राप्ति होता है तथा इसे आय प्

3. विशेष आरक्षितः

-	प्रारम्भिक शेष	इसमें तत्व पर लागू किसी साविधिक अथवा विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार स्था
-	वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	किए जाने के लिए सम्मिलित अपेक्षित, विशेष आरक्षित हो सकते हैं तथा यदि ऐसा हो तो
4	वर्ष के दौरान कटौतियां	अनुसूची 27 में लेखों पर टिप्पणियों में स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

4. साधारण आरक्षितः

	प्रारम्भिक शेष	"साधारण आरक्षित" अभिपद का अर्थ है पूँजी आरक्षित तथा पुन: मूल्यांकन आरक्षित
-	वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	् छोड्कर कोई भी अन्य आरक्षित ।
-	वर्ष के दौरान कटौतियां	इस मद में अलग से वर्गीकृत किए गए आरक्षित को छोड़कर शेष सारे आरक्षित सम्मित
	The state of the s	होंगे।

टिप्पणियां - साधारण,

- (क) आरक्षितों के वर्गों का संचालन उसी प्रकार से दर्शाया जाना चाहिए जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है ।
- (ख) "आरक्षित" की अभिव्यक्ति में ऐसी कोई राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया हो अश् मृत्यहास काटते हुए प्रतिपादित किया गया हो । आस्तियों के मृत्य को नवीकृत अथवा हास करे अथवा किसी अज्ञात दायित्व लिए प्रबंध करते हुए प्रतिपादित किया गया हो ।

अनुसूची-3 निश्चित/विन्यास निधियां

अनुदान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु अधिताल प्रितिपादित तथा शेष बची सिंश को जिस विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए यह विचारित है, के लिए खर्च/उपयोग की जानी हो, को इस शीर्ष के तहत् प्रक्रिया जाना अपेक्षित है। ऐसे कोष सरकार, सरकारी अधिकरणों, संस्थानों अथवा अन्य अधिकरणों आदि के नकद अथवा सामान के रूप में प्रक्रिय जाएं तथा अनुबद्ध निश्चित शतों एवं निबंधन के तहत् अस्तित्व द्वारा इनका अनुपालन किए जाने की शतों के अधीन है। इस कारण उपलब्ध शेष तथा इसके उपयोग को अनुसूची में मुझावगत हंग से प्रकट किया जाना चाहिए। केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों से प्राप्त योजना कि विधि पृथक वर्ग के रूप में दर्शाया जाना होता है।

किसी पद, गृह, भवन, न्यास आदि के लिए निश्चित/प्रदान विचासित की गई अन्य योजना निधि को कोष के पृथक वर्ग के रूप में दर्शाया जाना होता है।

निम्नलिखित की गणना, निश्चित निधि के भाग के रूप में नहीं की जाएगी।

- (क) ऐसे अनुदान/निधि जिनमें प्रोत्साहक योगदान के गुण हो, जो संग्रह निधि में परिवर्धन/सहवर्धन करने वाले हाँ;
- (ख) गत वर्षों में हुए व्यय/हानियों के लिए प्रतिकर के रूप में सत्ता द्वारा प्राप्त निधि/अनुदान क्योंकि इनकी गणना केवल उस वर्ष के आय एवं व्यय लेखे में की जानी है।
- (ग) पूंजी आस्तियों अथवा अन्य स्रोतों के रूप में गैर-वित्तीय अनुदायों जब तक ऐसे अनुदान को, संग्रह अप्रत्यादेय अंशदान के रूप में विनिर्दिष्ट न किया गया हो जिनके तत्स्थायो जमा पूंजी आरक्षित प्रकार की है ।

टिप्पणियां-साधारण

- (क) यह सुनिश्चित किया जाना समुचित है कि निश्चित निधि की अनुवृद्धि तथा उपयोग इससे संलग्न निबंधन और शर्तों के अनुसार हों ।
- (ख) निश्चित निधि प्रतिनिधित्व उनकी प्रकृति को देखते हुए विनिर्दिष्ट रूप से निश्चित विनिधान अथवा अन्य आस्तियों के द्वारा किया जाता है।
- (ग) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त नियोजन कोष को अलग पृथक कोष के रूप में दर्शाया जाना होता है तथा इसे अन्य किसी भी कोय के साथ नहीं मिलाया जाना होता है।
- (घ) प्रत्येक चिन्हित निधि के लिए उपार्जित/निर्मित नियम आस्तियों से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना चाहिए। तथापि, वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रयोजन से ऐसी नियत आस्तियां यदि आस्ति को संरक्षण में ले लिया जाए तथा अनुसूची-8 में सम्मिलित न कर लिया जाए तो तथा प्रत्येक वर्ष की संपूर्ण साँचत लागत का विवरण दिया जाए।

अनुसूची-4 प्रतिभृति ऋण और उधार 🛊

1.	केंद्रीय सरकार	प्रतिभृति की प्रकृति तथा पुनर्भुगतान की शर्ते राज्य सरकार का नाम तथा प्रतिभृति की प्रकृति एवं पुनर्भुगर्तान की शर्ते उपदर्शित करें ।
2	राज्य सरकार	
3.	वित्तीय संस्थाएं	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात, आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (भागीदारी प्रमाण-पत्र के दायित्व, यदि कोई हो तो, सहित) सम्मिलित है।
4.	बैंक	वाणिज्यिक बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) से प्राप्त किए गए उधार/पुनर्वित सम्मिलित हैं । आवधिक ऋणों को अन्य सुविधाओं से पृथक किए जाने की आवश्यकता है ।
I	(क) आवधिक ऋण	
	(ख) अन्य ऋण	
5.	अन्य संस्थाएं और अभिकरण	उपरोक्त वर्णित संस्थाएं/अभिकरण सम्मिलित हैं ।
6.	ऋण पत्र एवं बंध पत्र	ढिबेंबर एवं बंध पत्र की छूट की शतें अपने मोचन की पूर्व तारीख के साथ दर्शायी जानी चाहिए।

टिप्पण-साधारण

- (क) दी गई प्रतिभृति की प्रकृति के संबंध में प्रत्येक मामले में सूचना दी जाएगी ।
- (ख) प्रतिभृति ऋण एवं उधार उतना होगा जिसका अस्तित्व की आस्तियों पर आहमान/गिरबी/प्रभार के विरुद्ध हैं।
- (ग) प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत ऋणों की सकल स्कम जो केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा गारंटी की गई है को भी इस तथ्य के साथ वर्णित किया जाए कि इन्हें ऐसा गारंटीकृत किया गया है।

- (घ) ऋणों एवं उधारों में संस्थाओं एवं अभिकरणों से पुनर्वित और भागीदारी प्रमाण पत्रों के लिए देयता सम्मिलित है।
- (ङ) देनदारों अथवा प्राप्तियों की छूट या बिलों की पुन: छूट के माध्यम से प्राप्त राशि को उधार के रूप में नहीं दर्शाया जाएगा ।
- (च) प्राप्त तथा शेष ब्याज को प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत् सम्मिलित किया जाएगा । शेष को छोड़कर प्राप्त ब्याज को इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा किंतु वर्तमान में बाध्यताओं के रूपे में दर्शाया जाएगा ।
 - (छ) क्रेडिट में असहमत आंतरिक शाखा बकाया प्रविष्टियां उधार के रूप में नहीं दर्शायी जानी चाहिए !
 - (ज) तुलना पत्र को तारीख पर 12 माह से कम तक ही अवधि के भीतर शेष रकम को दर्शाए जानि की आवश्यकता है।

अनुसूची-5 गैर-प्रतिभृति ऋण और उधार

1.	केंद्रीय सरकार	पुनर्भुगतान की शर्ते उपदर्शित करना
2	राज्य सरकार (सरकारें)	राज्य सरकारं का नाम तथा पुनर्भुगतान की शते उपदर्शित करना ।
3,	वितीय संस्थाएं	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्य एंड रूरल डेवलेपमेंट से प्राप्त उधार सम्मिलित है ।
		साधारणतया ये अवधि ऋणों के रूप में हो सकते हैं, आस्तियों पर प्रभार के सृजन के लम्बन ब्रिज ऋणों को गैर-प्रतिभूति ऋणों के रूप में देखा जा सकता है ।
4.	बैंक	वाणिज्यिक बैंकों (को-ओपरेटिव बैंक) से प्राप्त किए उधार सम्मिलित हैं।
		सुविधाओं की प्रकृति उपदर्शित करना ।
1		किताबों के अनुसार निकाली गई शेष राशियों में ऋण नहीं आते और नहीं शेष की अधिकता में जारी किए गए चैकों के कारण उत्पन्न होते हैं ।
5.	अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	उपरोक्त वर्णित से भिज्ञ अन्य संस्थाएं/अभिकरणों से ऋण सम्मिलित हैं।
6	ऋण पत्र एवं बंध पत्र	ऋण पत्रों एवं बंध पत्र की छूट की शर्ते अपनी छूट की पूर्वतम तारीख के साथ दर्शायी जानी चाहिए।
7.	नियत जमा	इनमें नियत अवधि के लिए तथा बिना किसी प्रतिभृति के सार्वजनिक या अन्य तरीके से प्राप्त जमा राशियां सम्मिलित हैं ।

टिप्पण-साधारण

- (क) असुरक्षित ऋण एवं उधार में वे राशियां सम्मिलित हैं जिसके संबंध में अस्तित्व की किसी भी आस्ति को प्रतिभूति के रूप में चार्ज नहीं किया गया है अथवा विल्लंगमित नहीं किया गया है ।
- (ख) उद्भूत एवं सम्यक् ब्याज को प्रत्येक उप-शोर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा । प्राप्त ब्याज जो कि बकाया नहीं है, को इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा किंतु चालू दायित्वों के भाग के रूप में दर्शाया जाएगा ।
- (ग) तुलन पत्र की तारीख पर 12 महीने से कम की अवधि के भीतर बकाया राशि को प्रकट किए जाने की आवश्यकता है अनुसूची-6-आस्थिगित प्रव्यय दायित्व
- (1) आस्तियों के अधिअर्जन के संबंध में अनुबंधित स्वीकृतियां तथा अन्य समान दीर्घाविध दायित्व जिसके भुगतान का दायित्व तुलन पत्र की तारीख पर 12 मास से अधिक की अविध में आती है।
- (2) यदि आस्तियों को प्रतिभृति के रूप में प्रभारित किया जाता है अथवा दायित्व के समनुरूप विलंगमित किया जाता है तो इस तथ्य का भी कथन किया जाना चाहिए ।
- (3) यदि स्वीकृतियां सरकार, किसी सरकारी अभिकरण, चैंक, संस्थान अथवा अन्य निकाय/अस्तित्व द्वारा पुनर्भुगतान के लिए गाँरटी दी जाती है, तो इस तथ्य को भी कथन किया जाना चाहिए।
 - (4) तुलन पत्र की तारीख के एक वर्ष के भीतर सम्यक् रकम को पृथक रूप से प्रकट किए जाने की आवश्यकता है

अनुसूची-7 चालू दायित्व और उपबंध क. चालू दायित्व

-	and an are	18.000
1.	स्वीकृतियां	इस उप शीर्ष के अंतर्गत लेखीवाल के आदेश के विनिमय पत्र पर लेखीवाल की आस्ति होगी
2	विविध लेनदार	इस उप शीर्ष के सामने दर्शायी जाने वाली राशियों में खरीदी गई वस्तुओं अथवा प्रदान की गई
	(क) माल के लिए	सेवाओं अथवा ठेका दायित्वों के संबंध में अन्य के पक्ष में आस्तित्व के स्वामित्व वाली राशिय
	(ख) अन्य	सम्मिलित होंगी । इन्हें वस्तुओं के लिए पृथक किए जाने तथा पृथक रूप में दर्शाए जाने की आवश्यकता है ।
3	प्राप्त की गईं अग्रिम राशि	इस उप शीर्ष के विपरीत दायित्व में प्राप्त रकम समाविष्ट होगी जिनके संबंध में जिसके लिए वस्तुओं की आपूर्ति दी जानी है या जिसके लिए मूल्य दिया जाना है और अग्रिम चंदा स्मिमलित है।
4.	उद्भूत ब्याज जो देय नहीं है	वर्ष के अंत तक उद्भूत ब्याज जो कि देय नहीं है सुरक्षित/असुरक्षित ऋण एवं उधार सम्मिलित
	(क) सुरक्षित ऋण/ठधार	₹1 '
	असुरक्षित भूण उधार ।	
5.	कानूनी दायित्व	इसमें अस्तित्व को शासित करने वाली केन्द्रीय/राज्य से संबंधित दायित्व समाविष्ट हैं और
	(क) अतिशोध्य	आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्त्रोत से काटे गए कर के लिए भुगतान न की गई देयता,
	(ख) अन्य	बैंधानिक बोनस, भविष्य निधि, पेंशन, उपादान, एसएसआई यूनिटों के अपने अतिशोध्य पर इंएसआई ब्याज, बिक्रीकर, एक्सरसाइज, सीमा शुल्क एवं अन्य कानूनी उदग्रहण ।
		अतिशोध्य दायित्व गैर-विवादित रकम होती हैं जो देय होती हैं और जो सामान्य देय तारीख/ अनुबंधित अवधि से अधिक न दो हुई रहती है अर्थात जो व्यतिक्रम में होती हैं ।
6.	अन्य चालू दायित्व	इनमें अन्य उप शीर्षों द्वारा सम्मिलित न को गई राशियां सम्मिलित हैं । इस उप शीर्ष के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण राशि उसकी प्रवृति दर्शाते हुए पृथक रूप से दर्शायी जाए ।
		पुस्तकों के अनुसार ओवर ड्रॉन बैंक अतिशेष, जहां अस्तित्व के पास कोई मंजूर सीमा/ओवर ड्रॉफ्ट सुविधाएं नहीं है को भी इस उप शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा या ''बुक बैलेंस की अधिकता में ओवर ड्रॉन बैंक अतिशेष'' के रूप में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

टिप्पण-साधारण

चालू दायित्व वह होती है जो लघु अवधि के भीतर संदाय के लिए देव होती है, साधारणतया 12 मास से अधिक नहीं ।

ख. ठपबंध

~		
1.	कराधान के लिए	वर्ष के अन्त तक कर मामलों की प्रस्थिति के आधार पर उपबंध किए जाने तथा बनाए रखे जाने वाले की आवश्यकता है।
2.	ठपदान	उपदान की मृत्यु सेवानिवृत्ति पर देय दायित्व के लिए देयता के प्रावधान को वास्तविक आधार पर प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत तक व्यवस्था किए जाने का उपबंध है।
3.	अधिवर्षिता/पेंशन	कर्मचारियों की अवधिवर्षिता के लिए देय प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत तक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।
4.	संचित छुट्टी	कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी रोकड़ की देयता के उपबंधों को वास्तविक आधार पर उद्भूत किए जाने की आवश्यकता है और वर्ष के अंत तक प्रसंस्करण व्यवस्था की गई है।
5.	व्यावसायिक वारंटी/दावे	जहां अस्तित्व विक्रय हेतु वस्तुओं का उत्पादन/प्रसंस्करण कर रही है तो वह व्यावसायिक वारंटी जोखिम के प्रति उत्तरदायी है जिसे युक्तियुक्त/विवेक के आधार पर व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।
6.	अन्य	इन्हें विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है और संदेहास्पद के लिए उपबंध सम्मिलित नहीं होगा जो कि सुसंगत आस्ति शीषों से कम किया जाएगा।
_		

टिप्पण-साधारण

उपनंध आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण **अथवा कमी के** लिए प्रदल्त की गई अपलिखित लिखी अथवा बनाई गई रकम है या ज्ञात दायित्व की व्यवस्था द्वारा बनाई रखी गई रकम **है जिसकी राशि को** वास्तविक शुद्धता से अवधारित नहीं किया जा सकता। आस्ति

अनुसूची-8 नियत आस्तियां

- 1. भूमि
 - (क) फ्रीहॉल्ड
 - (ख) पर्टाधृति
- 2 भवन
 - (क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर
 - (ख) लीजहोल्ड भूमि पर
 - (ग) स्वामित्व फ्लैट्स/परिसर
 - वैसी भूमि जिस पर सुपरस्ट्रक्चर स्थित हैं, किन्तु जो अस्तित्व में सम्मिलित नहीं हैं।
- संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर

4. वाहन

फर्नीचर, फिक्सचर

जहां स्थावर संपत्ति की खरीद/अर्जन संयुक्त भुगतान के द्वारा किया जाता है, वहां भूमि लागत का उचित/विश्वसनीय अनुमान लगाना चाहिए और इसे अलग से दर्शाना चाहिए। यदि पट्टा की निरंतरता बनी रहती है, तो पट्टाधृति भूमि का क्रमिक रूप से भुगतान किया जाना चाहिए।

जहां तक संभव हो विभिन्न दरों पर मूल्य-हास के उपबंध के लिए कारखानों एवं कार्यालय भवनों के अंतर करना चाहिए।

भवन/परिसर वे होंगे जो पूर्णत:/ऑशिक रूप से एन्टिटी के कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त होंगे और जिसमें "निवेश संपत्ति" सम्मिलत नहीं होगा।

पट्टाधृति भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर को इस प्रकार कम करना चाहिए कि वह भूमि के परिशोधन के साथ समाप्त हो, यदि सुपरस्ट्रक्चर का जीवन घाटा नहीं हैं।

भवनों में सड़क, सेतु एवं कटवर्ट सम्मिलित होंगे ।

इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगे

- -अर्थ मृविंग मशोनरी
- -बॉयलर
- -फर्नेस
- -जेनरेटर
- -डाइ/मोल्ड
- भवन ठेका, हॉस्पिटल/क्लिनिक, प्रसंस्करण यूनिट, हाइड्रोलिक कार्य (पाइपलाइन सिंहत) जैसे विशिष्ट उद्योग/सेवाओं में प्रयुक्त मशीनरी
- -विनिर्माण/प्रसंस्कारण आदि के लिए प्रयुक्त अन्य गरें।
- -लेजर में पृथक लेखा शोर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रिजस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए। उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है।

इस उप-शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी।

- टैक्टर/टेलर
- -ट्रक, जीप और वैन
- -मोटर कार
- –मोटर साइकल, स्कूटर, तिपहिया वाहन और मोपेड
- —रिवशा
- —लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखंना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए। उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है।

इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगी

- (क) कैबिनेट/अलमीरा/फाइलिंग टैक्स
- (ख) वातानुक्लन/वातानुक्लन संयंत्र
- (ग) एयर कुलर
- (घ) वाटर-कृलर
- (छ) मेज/कुर्सी/सोफा/कालीन .
- (च) बोल्टेज स्टेबिलाइजर, यूपीएस सिस्टम
- (छ) अन्य मदें
- —लंजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रिअस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए। उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत मृजना के प्रकटन को , प्रोत्साहित किया जाना है।

कार्यालय उपस्कर

7. कंप्यूटर/पेरिफेप्लस

विद्युत संस्थापन

इस तप-शीर्ष में निम्नलिखित मद सम्मिलित होंगी :

- (क) टाइपराइटर
- (ख) फोटोकॉपियर/इप्लीकेटर
- (ग) फैक्स मशीन

-लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए। उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के खुलासे को ताँत्विक उपस्कर के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

कंप्यूटर, प्रिंटर एवं फ्लापी, सीडी, सॉफ्टवेयर आदि इस शीर्ष में सम्मिलित होंगी।

—लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत आस्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए। उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के प्रकटन को तात्विक उपस्कर के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

इस उप-शीर्ष में निम्नलिखित मर्दे सम्मिलित होंगी :

- (क) विद्युत मशीनरी
- (ख) विद्युत प्रकाश/पंखा
- (ग) स्विच गिया इन्स्ट्रमेन्ट्स
- (घ) ट्रांसफॉर्म
- (ङ) इलैक्ट्रिक वायरिंग और फिटिंग

-लेजर में पृथक लेखा शीर्ष रखना चाहिए और इसका नियत परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ समाधान कर लिया जाना चाहिए । उक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत सूचना के खुलासे को प्रोत्साहित किया जाता है ।

कुछ मामलों में पुस्तकालय की पुस्तकों बहुत अधिक हो सकती हैं या स्थापित पुस्तकालय भी हो सकता है। ऐसे मामलों में इन पुस्तकों को पृथक आस्ति प्रवर्ग में दर्शाना चाहिए। पुस्तकालय की पुस्तकों सीडी रॉम में संग्रहित पुस्तक जर्नल/सूचना सम्मिलित होंगी।

ट्यूबवेल और जलापूर्ति प्रणाली को पृथक प्रवर्ग के रूप में दर्शाया जा सकता है।

वनके आशयित उपयोग के लिए इस शीर्ष के लिए निर्माण कार्य में नियत आस्तियों को दर्शाना चाहिए। अर्जित संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर तथा लींबत संस्थापन को इसमें सम्मिलित करना चाहिए।

पुस्तकालय की पुस्तकों

10. ट्यूबवेल और प्रदाय प्रणाली .

11. जारी पूंजीगत कार्य

टिप्पण-साधारण

- नियत आस्तियां वे हैं जिन्हें उत्पादन या सेवा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए रखा जाता है, और इन्हें व्यापार के सामान्य क्रम में बेचा नहीं जाता है।
- प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित दर्शाना चाहिए :
 - (क) वर्ष के आरंभ में या मूल्यांकन
 - (ख) वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (अर्जन एवं अनुदान-दोनों के जरिए)
 - (ग) वर्ष के दौरान कटौती (विक्रय, निपटान, बट्टा सहित)
 - (घ) वर्षांत में कुल लागत/मूल्यांकन
 - (ङ) पिछले वर्ष के अंत में अवक्षयण, वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/कटौती तथा वर्षांत में कुल संचयी अवक्षयण
 - (च) वर्षांत में आस्तियों का शुद्ध ब्लॉक
- प्राप्त अनिर्मित नियत आस्तियों के लिए लेखा से संबंधित लेखा नीति (अनुदान या रियायती दर समेत) को अवश्वयण/क्रमिक अपाकरण के लिए अपनाई गई विधि के साथ दर्शाना चाहिए।
- 4. जहां पुन: मूल्य निर्धारण के कारण आस्तियों का पुन: लेखांकन हुआ है, उसके आधार बताना चाहिए और प्रत्येक तुलन-पत्र में संशोधन की वारीख एवं राशि के साथ पांच वर्षों के लिए संशोधित आंकर्ड दर्शांना चाहिए।

5. जहां विनिर्दिष्ट नियतं आस्ति के संबंधित अनुदान प्राप्त होते हैं और ये आस्ति की पूरी लागत के बराबर है, तो नियत आस्ति को तुलन-पत्र में न्यूनतम मूल्य पर दशाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से अवक्षयण योग्य नियत आस्तियों से संबंधित अनुदान को स्थिगित आय माना जाए तथा ऐसी आस्तियों के उपयोगी जीवन पर उपयुक्त आधार पर आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया जाए, अर्थात् ऐसे अनुदान क्रिमक अविध में देने चाहिए।

अवक्षयण नहीं होने वाली आस्तियों के अनुदान को "पूंजी रिजर्व" में रखना चाहिए, यदि पूर्ति की आवश्यकता के लिए पूर्व-शर्त निर्धारित हो।

6. अवश्रयण

अवश्यम की आस्तियों पर अवश्यम प्रभार लगाया जएगा। अवश्यम आस्तियों के मूल्य कम होने, समय-अपव्यय या तकनीक एवं बाजार प्रभारों के जरिए निश्नीरित एक प्रभार है। इसमें आस्तियों का परिशोधन सम्मिलित है, जिसमें आस्तियों का निर्धारण एवं शरण सम्मिलित हैं।

इस प्रयोजन के लिए

- (क) अवक्षयण आस्ति से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है :
 - (i) जिसका एक से अधिक लेखा अवधि में उपयोग होना आशातित है, और
 - (11) जिसका जीवन उपयोग पूर्ण सीमित है, तथा
 - (iii) जिसे अस्तित्व द्वारा दूसरे को किराया देने या प्रशासनिक उद्देश्य से, न कि व्यवसाय/प्रचालन कार्य के लिए तथा सामानों एवं सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है।
- (ख) अवश्यण वाली आस्ति के अवश्यण कां अर्थ इसकी आरोभक लागत या इसके बदले की राशि है, जो वित्तीय विवरण में अवस्मान्य से कम हो।
- (ग) उपयोगी जीवन से अभिप्रेत है-
 - (i) वह अवधि जिसमें अवक्षयण वाली आस्ति को अस्तित्व द्वारा ठपयोग किया जाना है, या
 - (ii) अस्तित्व द्वारा आस्ति के उपयोग से प्राप्त आशयित उन्हीं खदान युनिटों की संख्या ।

अनुसूची-9 निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान

- सरकारी प्रतिभृति—इसमें केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभृतियां तथा सरकारी खजाना बिल सम्मिलित हैं। ये प्रतिभृतियां लागत/बुक बैल्यू पर दर्शानी चाहिए। तथाति, ऐसे मृख्य तथा बाजार मृल्य के बीच अंतर तुलन-पत्र के टिप्पण में दर्शाना चाहिए।
- 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां—सरकारी प्रतिभृतियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभृतियों को अनुमोदित प्रतिभृति माना जाए (न्यासी प्रतिभृति की तरह) और यहां सम्मिलित किया जाए।
- 3. शेयर-मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए ।
- 4. बिबेंबर एवं बंध-पत्र-मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर निवेश डिबेंबर एवं बंध-पत्र ।
- 5. सहायक कंपनी और/या संयुक्त उद्यम—सहायक कंपनियों/सहायक इकाइयों में विनिधान को यहां सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि इकाई बिना किसी वितीय निवेश के बंध/शासी निकाय की संरचना पर नियंत्रण रखती है, तो उसे सहायक संयुक्त उद्यम इकाई माना जाएगा। यदि वर्ष के आरंभ में इकाई 25 प्रतिशत से अधिक निधि अपने पास रखती है, तो उसे सहायक कंपनी माना जाएगा।
- 6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)— इसमें अपशिष्ट विनिधान, यदि कोई हो, जैसे वाणिक्यिक कागज पत्र, म्यूबुअल फंड्स में निवेश विनि किया जाए तथा शेयर/डिबेंचर/ब्रांड से भिन्न सम्मिलित हैं। संपत्ति में निवेश को भी यहां सम्मिलित किया जाएगा।

टिप्पण-साधारण

- कुल मूल्य, कुल अवक्षयण तथा विनिधान को अलग-अलग दर्शाया जाए । अनुमोदित प्रतिभृतियों उपरोक्त 1 और 2 के अंतर्गत को मूल्य में कमी के निर्धारण के लिए "स्थाई" एवं "चालू" समृह में बांटना अपेक्षित है ।
- (क) विनिधान "दीर्घकालिक" या "स्थाई" या "चालू" हो सकते हैं।
 - (ख) "चालू विनिधान से" का अर्थ है ऐसा विनिधान से जो शीच्र प्राप्ति योग्य हो और विनिधान की तारीख से एक वर्ष तक रखा ज सके।
 - ऐसे विनिधान को उनके उचित मृल्य से कम मृल्य पर दर्शाना चाहिए जो विशिष्ट आधार पर तय किया जाएगा।
 - (ग) दीर्घकालिक विनिधान वे हैं जो चालू विनिधान से अलग हैं तथा जिन्हें पूंजीगत वृद्धि के प्रयोजन से उपयोग किया जाए। हर विनिधान और कमी की जा सकती है अस्थायी से भिन्न प्रत्येक विनिधान में मूल्य में कमी हो।
- निश्चत/बिन्यास निधि के लिए विनिधान को अलग से दर्शाना चाहिए ।
- संपति में विनिधान को नियत आस्ति में निवेश की तरह दर्शाया जाए ।
- 5. आस्तित्व को विनिधान के संबंध में लेखा नीति दर्शाना होगा । दीर्घकालिक एवं चाल दोनों विनिधान के लिए ।
- 6. स्यार्ड विनिधान के अर्जन पर दिए गए कोई भी प्रिमियम को उनकी परिपक्वता अवधि तक परिशोधन किया जाएना ।
- प्राप्त नहीं किए गए परिपक्व विनिधान को अलग से प्रकट किया जाए ।

अनुस्ची-10 विनिधान अन्य

- सरकारी प्रतिभृति—इसमें केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की प्रतिभृतियां तथा सरकारी ट्रेजरी बिल सम्मिलित हैं। ये प्रतिभृतियां लागत/बुक बैल्यू पर दर्शानी चाहिए। तथापि, ऐसे मृल्य तथा बाजार मृल्य के बीच अंतर तुलन-पत्र के नोट में दर्शाना चाहिए।
- अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां—सरकारी प्रतिभृतियां से भिन्न अन्य प्रतिभृतियां को अनुमोदित प्रतिभृति माना जाए (जैसे न्यासी प्रतिभृति) और यहां सम्मिलित किया जाए ।
- श्रीयर मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियों तथा निगमों के शेयर विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए ।
- 4. डिवेंच्य एवं बंध-पत्र-मद 2 में नहीं सम्मिलित कंपनियाँ तथा निगमों के शेयर निवेश डिवेंचर एवं बंध पत्र ।
- सहायक/संयुक्त उद्यम—सहायक कंपनियाँ/सहायक इकाइयों में विनिधान को यहां दर्शाना चाहिए । यदि इकाई बिना किसी विचीय निवेश के बंध/शासी निकाय की संरचना पर नियंत्रण रखती है, तो उसे सहायक इकाई माना जाएगा ।

यदि इकाई 25% से अधिक निधि वार्षिक आरंभ में पास रखती है, तो उसे सहायक कंपनी माना जाएगा।

6. अन्य—इसमें शेष विनिधान, यदि कोई हो, जैसे वाणिज्यिक पत्र, पारस्परिक निधि में विनिधान तथा शेयर/डिबेंचर/बंध-पत्र से भिन्न सम्मिलित हैं। संपत्ति में विनिधान को भी यहां सम्मिलित किया जाएगा।

टिप्पण-साधारण

- सकल मूल्य, सकल अवश्यण तथा विनिधान को अलग-अलग दर्शाया जाए । अनुमोदित प्रतिभृतियों को मूल्य में कमी के अवधारण के लिए "स्थाई" एवं "चालु" समृह में बांटना अपेक्षित हैं ।
- 2. (क) विनिधान "दीर्घकालिक" या "स्थाई" या "चालू" हो सकते हैं।
 - (ख) "चालू विनिधान" से ऐसे विनिधान अभिष्रेत हैं से जिसकी प्रकृति ऐसी हो कि उसकी वसूली शीप्र हो और यह निवेश किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के लिए न हो।

ऐसे विनिधान कम लागत या **उसके उचित मूल्य पर दिखाए** जाने चाहिए जिसका निर्धारण व्यक्तिगत विनिधान आधार पर होगा और इसमें कमी के लिए उपबंध होगा जबकि अधिमूल्य की उपेक्षा की जाएगी।

- (ग) दीर्घकालीन विनिधान वे हैं जो चालू विनिधान से अलग हैं और ये पूंजीगत अधिमूल्य व प्राप्ति के प्रयोजन के लिए होंगे।
- ऐसे विनिधान लागत पर आधारित होते हैं और प्रत्येक विनिधान में मूल्य-कटौती में कमी होने की दशा में, अस्थाई को छोड़कर, इसमें कमी की जायेगी।
- निश्चित/विन्यास निधियों के लिए किये गए विन्यास को अनुसूची 9 में प्रकट किया जाता है।
- संम्पतियों में विनिधान, यदि धारित हो, पर विनिधान को लागत रहित मूल्यहास के साथ उस प्रकार से दर्शाया जायेगा जैसी कि स्थायी आस्ति परिसम्पत्तियों के मामले में है।
- अस्तित्व विनिधान, उनकी लागत, अवशयण और दीर्घ कालिक व वर्तमान दोनों विनिधान के लिए मूल्य आदि के संबंध में लेखा नीति को स्पष्ट करेगी।
- स्थायी विनिधान को प्राप्ति पर भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम को उनकी परिपक्वता अवधि की तिथि टक समय-अनुपात आधार पर परिशोधित किया जायेगा।
- वसूल न किये गये परिपक्व विनिधान को अलग-अलग प्रकट किया जाये।

अनुसूची-11 चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(व	F) चालू आस्ति	
1.	माल सूची	माल सूची में कारोबार के दौरान विक्रय के लिए रखी गई, या ऐसे विक्रय के लिए उल् प्रक्रिया के दौरान रखी गई अथवा अनुरक्षण आपूर्तियों सहित विक्रय के लिए सामान या सेव के उत्पादन में खपत के लिए रखी गई ठोस सम्पत्ति तथा मशोनरी भाग को छोड़कर उपभ पदार्थ सम्मिलित है।
	(क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स	Landa and the consideration of the constant of
	(ख) डोटे-छोटे औजार	
	(ग) व्यापार में स्टाक	मालस्चियों के मूल्यांकन का आधार प्रकट किया जाना चाहिए।
	— फिनिश्ड माल	अंतिम माल में क्रय किया गया/उत्पादित किया गया माल और इन्टिटी के सभी स्थलों में मी माल सम्मिलित होंगा।
	— कार्य प्रगति	त्र स्थानने विकास सम्बद्धाः । विकास
	— कच्ची सामग्री	कच्ची सामग्री में विक्रय के लिए उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त हिस्सा या घटक भी सम्मिलित हो
2.	अत्यान्य,	देनदारों में वे व्यक्ति सम्मिलित है जिनसे धनराशियां माल बेचने अथवा सेवाएं प्राप्त व अथवा सीवदात्मक बाध्यता के संबंध में देव है।
	(क) छ: माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण (ख) अन्य	जिन ऋणों को वसूली के लिए अच्छा समझा गया है और जिन्हें संदेहास्पद समझा गया है अलग-अलग दर्शाया जायेगा। यदि संदिग्ध ऋणों के लिए उपबंध किये गये है तो इसे सार समझे गये ऋणों से कम किया जाना चाहिए।
	हाथ में नकर शेष (चैक/ड्राफ्टों	The control of parents and and the con-
	और अग्रक्षय सहित)	enter a supply of the second o
4.	वैंक शेष	निश्चित/विन्यास निधियों के लिए रखे गये बैंक शेष को अलग-अलग प्रकट किया जाना चारि
	 (क) अनुसूचित बैंकों के साथ — चालू खातों पर — जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित) 	जहां जमा खातों को प्रतिभूति के रूप में बन्धक या प्रमादित किया जाता है अथवा विल्लंगमित रखा जाता है तो तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए।
	— बचत खातों पर	अतिरिक्त देय/परिपक्व निक्षेपों को अलग-अलग प्रकट किया जाना चाहिए।
	(ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	
	— चालू खातों पर	
	— जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)	

Secret to a superior to the contract of the co

. डाकघर खाते

बचत खाती पर

परिसम्प्रतियां

अनुसूची-11 चालु आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि

(ख) ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां

. ক্লেট

ऋष एवं अग्रिम जो कि अच्छे और वसूली योग्य समझे जाते हैं को प्रकट किया जाना चाहिए। सर्दिग्ध धनराशियों, यदि कोई हों, को प्रतयेक उप-शीर्ष के अंतर्गत बताया जाना चाहिए और उपबंध यदि कोई हो वहां से की जाने वाली कमी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

(क) कर्मचारी वृंद

ब्याज वाले कर्मचारी वृंद ऋणों पर अर्जित ब्याज का इसके बावजूद भी लेखा रखा जाना चाहिए कि ब्याज की वास्तविक वसूलियां मूलधन की वसूली के परचात् आरम्भ होती है।

(ख) इन्द्रिय के समान कार्यः उद्देश्य प्राप्ति में लगी अन्य इन्द्रिय इस प्रकार की अस्तित्व के अपरिवर्तनीय अनुदानों/सहायिकों/चन्दे इसमें सम्मिलित नहीं होगें। यदि ब्याज धारण हो, वर्ष के अंत तक अर्जित ब्याज को समायोजित किया जाना चाहिए ।

(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

 नकर या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य धनसशियाँ

(क) पूंजीगत खाते पर

पूंजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकत्तांऑ/ठेकेदारों के लिए अग्रिम की इस उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) पूर्व भुगतान

इसमें पूर्वदत्त व्यय सम्मिलत है।

(গ) সম্ব

इसमें देनदार को छोड़कर अन्य प्राप्तियां सम्मिलित होंगी ।

3. उदभूत आय

वर्ष के अंत तक "उद्भूत आय व देय" दोनों आय तथा "उद्भूत आय लेकिन अदेर्य आय को इस शोर्ष के अंतर्गत सम्मिलत किया जाना चाहिए।

(क) निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान पर

(ख) निवेश अन्य

निश्चित/विन्यास निधियों से विनिधान पर आय और अन्य निवेश पर आय को अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिएं।

(ग) ऋण व अग्रिम पर

(घ) अन्य (इसमें अप्राप्य देव आय सम्मिलित है रुपये।) यदि वसूली या अनीतम संग्रहण के संबंध में अनिश्चितता है तो आय की पहचान नहीं की जानी चाहिए और यदि पहचान की जाती है तो इसके लिए उपबंध किये जाने चाहिए लामंश की पहचान उनकी घोषणा की तिथि पर आधारित होनी चाहिए। उदभूत आय और देय लेकिन वसूली न की गई आय को अलग-अलग स्मष्ट किया जाना चाहिए।

4. प्राप्य दावे

केवल वही दावे सम्मिलित किये जाने चाहिए जिन्हें अच्छा और बसुली योग्य समझा गया है।

आय और व्यय खाता - आय अनुसूची-12 विक्रय/सेवाओं से आय विक्रय से आय

1. विक्रय् से आय

विक्रय में प्रभावित विक्रय की कुल सशि समाविष्ट है। धन्हें व्यावसायिक छूट, छूट और प्रतिफल काटने के पश्चात निवल दशाया जायेगा ।

- (क) ओंतम माल का विक्रय
- (ख) कच्ची सामग्री का विक्रय
- (ग) स्क्रेप का विक्रय

विक्रय तब पूर्ण होती है जब माल की सुपुदर्गी या पुगतान को समय का संबंध रखे बगैर मुख्य जोखिमों और स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रयकर्ता से क्रेता को हो जाता है ।

नियांत विक्रय को अलग से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

	GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	LIVERT H - 2B3
2. सेवाओं से आय	आय को सकल आकड़ों में दशांचा जाना चाहिए और आरम्भ में की ग रूप से उपदर्शित किया जाना चाहिए।	ाई कर-कटौती का (द
(क) श्रम व संसाधन प्रभार	अन्य अस्तित्यों के माल/सामग्रियों के ससांधन/निर्माण के लिए वसूत प्रभार इस उप-शीर्ष के अंतर्गत प्रकट किये जाने चाहिए।	ती योग्य श्रम वृ स
(ख) वृत्तिक/परामशीं सेवाएं	अस्तित्व द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के परामशों प्रभार व फीस इस उप किये जाने चाहिए।	शीर्ष केअंतर्गत समि
(ग) अभिकरण का कमीशन व दलाली	यदि अस्तित्व दूसरों के माल/सेवाओं की आपूर्ति व्यवस्था के लिए दल रूप में कार्य करती हैं, अर्थात् बिना सिद्धांत-दर-सिद्धांत आधार पर क व दलाली से प्राप्त आय को इस उप-शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जायेगा	ार्य करती है तो क
(घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/सम्पति)	जहां अस्तितव अथवा सम्पति के अनुरक्षण ठेके लेती है तो इस स्रोत से आय इस उप शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने चाहिए।	वर्ष के अंत तक (
(ङ) आय (विनिर्दिष्ट करें)		
अनुसूची-13 अनुदान/सहायकी		60
(प्राप्त परिवर्तनीय अनुदान व सब्सिडी)	FOR THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART	
।. केन्द्रीय सरकार	पूर्व अवधियाँ में कियें गये खर्च को पूरा करने अथवा अपरिवर्तनीय साधारण प्रयोजनों और लक्ष्यों के लिए प्राप्त अनुदान, सहायकी या अन्य अनुसूची में सम्मिलित किया जायेगा।	
	अनुसूचा न सान्नालत किया जायगा ।	
2 राज्य सरकार		
3. सरकारी अभिकरण	इन अनुदानों से इनकी समुपयोजन संबंधी कोई शर्ते जुड़ी नहीं हैं और ये	स्वाभव में वापस
4. संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय	जाने वाली धनराशि है जिसे कि आय में विनियोजित किया जाना है।	
5. अंतराष्ट्रीय संगठन-	सकल प्राप्तियां प्रत्येक ठप शीर्ष में दर्शाई जायेगी और अनुदान/सहर्ग अपरिवर्तनीय आधार पर अन्य संस्थाओं/संगठनों को क्रम से प्रदान की	
	अनुसूची 22 में विचार किया जाना चाहिए।	
6. अन्य (विनिर्दिए करें)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
आय एवं व्यय लेखा-आय		
अनुसूची-14 फीस/चन्दा		
।. प्रवेश फीस	प्रत्येक मद पर लेखा नीतियों को प्रकट करना चाहिए ।	
2. वार्षिक शुल्क/चन्दे	यदि प्रवेश शुल्क, चंदे जैसे फीस स्वभाव से पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो निधि/पूंजी निधि में जाती चाहिए ।	पैसी धनसशियां -
 मेमिनाए कार्यक्रम शुल्क 		
4. परामर्शी फीस	यदि अस्तितव को मुख्य क्रियाकलापों के रूप में सेमिनार/कार्यशाला और/अथवा परामशीं सेवाएं प्रदान करना है तो ऐसी आय अनुसूची 12	
 अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 	सकल प्राप्तियां यहां दर्शाई जानी चाहिएं । सेमिनार/कार्यशाला, परामश खर्च अनुसूची 21 में "अन्य प्रशासनिक व्यय" के रूप में दर्शाये जान	में संवाओं पर कि

आर्य और व्यय लेखा-आय अनुसूची-15 विनिधान से आय

- 1. ब्याज
 - (क) सरकारी प्रतिभृतियों पर
 - (ख) अन्य बंध पत्र/हिबेंचर्स
- 2. लामांश
 - (क) शेयरों पर
 - (ख) पारस्परिक निधि प्रतिभृतियां
- 3. किराये
- 4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

- विनिधान से आय का कुल अंक में प्रकटन किया जाएगा और स्रोत पर कर कटौती को अलग से बताया जाए।
- 2. सरकारी प्रतिभृतियों पर व्याज में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
 - क. ब्याज की ओंतम तारीख तक कूपन दर पर आंजित ब्याज अर्थात् उद्भूत और देव ब्याज; और
 - ख. इसके बाद कूपन दर पर वर्ष के अंत तक उद्भूत व्याज।
- बंध पत्र एवं डिबेंचरों पर आय में खूट पर जारी बंध पत्र पर वर्ष के अंत तक अर्जित छूट सम्मिलित होगी, जो शर्तों के आधार पर सममूल्य अथवा प्रीमियम पर विमोच्य होगी।
- 4. घोषणा की तारीख तापीय साम्या द्वारा प्राप्त करने के अधिकार के आधार पर लाभांश बढ़ेगा।
- 5. किराये को संपत्तियों, यदि कोई हो, पर विनिधान संबंधी आय के रूप में दर्शाया जाएगा।
- 6. विलॉबित/परिपक्व विनिधानों पर दावा किए गए ब्याज को तब तक मान्यता नहीं मिलेगी, जब तक कि ऐसी मान्यता के लिए पूर्व शर्तों का समाधान नहीं हो जाता है।
- विनिधान पर आय के संबंध में भेद किया जाए :
 क. विनिधान के माध्यम से अपनाया गया; और
 ख. अस्तित्य/विन्यास निधियों के विरूद्ध धारित ।
- वर्ष के अंत में निश्चित/विन्यास निषियों से विनिधान पर कुल आय अनुसूची के माध्यम से निषियों में अंतरित की जाए ।

आय और व्यय लेखा-आय आदि से आय

अनुसूची-16 स्वामित्व, प्रकाशन आदि से आय

स्वामित्व से आय	प्रत्येक मद पर लेखा नीतियों को प्रकट करना होगा ।
प्रकाशन से आय	यदि संस्था विशेष के प्रमुख कार्यकलाप पुस्तकों, पत्रों, दस्तावेजों आदि का प्रकाशन है तो ऐसी आय अनुसूची-12 का भाग होगी।
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	सकल प्राप्तियों को यहां दशांना चाहिए। प्रकाशन आदि पर उपगत व्यय को अनुसूची 21 में "अन्य प्रशासनिक व्यय" के रूप में दशांया जाए।

अनुसूची-17 अर्जित ब्याज

- l. सावधि जमा
 - (क) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ
 - (ख) गैर-अनुसचित बैंक
 - (ग) संस्थाओं के साध
 - (घ) अन्य
- 2. बचत खातों पर
 - (क) अनुस्चित बैंक
 - (ख) गैर-अनुसूचित बैंक
 - (ग) डाकघर बचत खाता अन्य
 - (घ) अन्य
- 3. ऋण पर
 - (क) कर्मचारी/कर्मचारिवृंद
 - (ख) अन्य
- 4. ऋणदाताओं और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज

- ब्याज के रूप में अर्जित आय को दर्शाया जाए और स्रोत पर कांटे गए कर को पृथक रूप से बताया जाए।
- 2. आय के संबंध में प्रभेद किया जाए :
- क. अस्तित्व द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति पर ; और
- ख. निश्चित/विन्यास निधियों के मुकाबले धारित

अनुसूची-18 अन्य आय

।. आस्ति विक्रय/निपटान पर लाभ

बिक्री/वसूली, आस्तियों का शुद्ध ऑकित मूल्य, यदि अधिशेष है, इसे उप शोर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।

- (क) स्वामित्व वाली आस्तियां
- (ख) अनुदान और नि:शुल्क प्राप्ति के अलावा अर्जित आस्तियां
- 2. निर्यात प्रोत्साहन

दावा किए गए निर्यात प्रोत्साहनों, जो वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुए, को आय में सम्मिलित नहीं किया जाएंगा।

- 3. प्रकीर्ण सेवाओं के लिए फीस
- प्रकीर्ण आय में सम्मिलित सामग्री गत मदों को अलग से प्रकट किया जाए।

4. प्रकीर्ण आय

आय एवं व्यय लेखा-आय अनुसूची-19 अंतिम माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति

(क) अतिम स्टॉक

स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में लेखा नीतियों की घोषणा को जानी चाहिए।

- अतिम माल
- कार्य प्रगति
- (ख) घटाएं प्रारंभिक स्टॉक
- अतिम माल
- कार्य में प्रगति

अनुसूची-20 अवस्थापना संबंधी घ्यय

The second of the second

' (क) वेतन एवं मजदूरी

प्रतिनियुक्ति पर तैनातं कर्मचारिवृदं को सहित प्रत्येक शीर्ष के लिए सकल व्यय का प्रकट किया जाए।

- (ख) भत्ते एवं बोनस
- (ग) भविष्यनिधि में अंशदान

भविष्य निषि, कर्मचारी राज्य बीमा, सेवानिवृत्ति कार्यों आदि के लिए अस्तित्व की कानूनी वाध्यता को भी स्पष्ट रूप से मदबार प्रकट किया जाए।

(घ) अन्य निधि में अंशदान

(विनिर्दिष्ट करें)

(ङ) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय

जुर्माना दंड आदि वसूली के मामले में उसे सूची 18 में व्यय शीर्ष से घटा दिया जाए लेकिन "अन्य आय" के अंतर्गत शामिल किया जाए।

- (च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत प्रसविधाएं संबंधी व्यय
- (छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

टिप्पण-साधारण

समय पूर्व मर्दे-

पूर्व अवधि तथा असाधारण मदीं को पृथक से प्रकट किया जाएगा ताकि वर्ष के लिए शुद्ध व्यय पर उसके प्रभाव का पता चल सके।

अनुसूची-21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(क) क्रय

प्रत्येक शीर्थ के विपरीत कुल व्यय को प्रकट किया जाना चाहिए।

- (ख) श्रम एवं प्रसंस्करण व्यय
- (ग) कार्टिज और वहन वार्ड्स

वस्तियों के मामले में उदाहरणार्थ किराया वस्ती, वस्त किए गए भाड़ा प्रभार, जुर्माना, दण्ड, अपूर्तिकर्वाओं की ओर से क्षति आदि के मामले में, इन वस्तियों की ग्राश को व्यय शीर्षों में से महासा नहीं जाना चाहिए बल्कि ''सूची 16 के अंतर्गत अन्य आय'' में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

- (घ) विद्युत एवं शक्ति
- (ड) जल शुल्क
- (च) बीमा
- (छ) मरम्मत और अनुरक्षण
- (ज) उत्पाद शुल्क

पूर्व अवधि एवं असाधारण मदों को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा ताकि वर्ष के लिए ब्यय पर उसका प्रभाव पता चल सके।

- (झ) किराया, दर एवं कर
- (अ) वाहन चलाना एवं देखरेख
- (ट) डाक, टेलीफोन एवं संचार प्रभार

शीर्षों की सूची पूरी नहीं है बल्कि उदाहरणार्थ है। जहां तक हो सके लेखों के केवल इन्हीं शीर्षों का प्रयोग किया जाना चाहिए जब तक कि इन शीर्षों को जोड़ने पर हटाने के कारण न हों।

the course by the men with the collection

- (ठ) मुद्रण एवं स्टेशनरी
- (ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय
- (इ) सेमीनाएकार्यशालाओं पर व्यय

*उत्पादन तथा व्यापार की गई सम्पूण वस्तुओं के लिए कच्ची सामग्री स्टोर के बीच क्यों को पृथक किया जाना चाहिए। निर्माता अस्तित्वों के मामले में, कच्चे पदार्थों एवं स्टोर की खपत क्रयों के बजाय दिया जा सकता है।

- (ण) चन्दा व्यय
- (त) फीस पर ठ्या
- (ध) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक
- (द) आतिध्य व्यय
- (ध) वृत्तिक प्रधार व्यवस्त
- (न) खराब एवं संदेहजनक ऋण/अग्रिम के लिए उपबंध
- (प) बट्टे खाते में डाली गई/वसूल न की गई शेष राशियां
- (फ) पैकिंग प्रभार
- (ब) माड़ा एवं अंग्रेषण व्यय
- (भ) वितरण व्यय
- (म) . विज्ञापन और प्रचार
- (य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

अनुसूची-22 अनुदान, सब्सिडियों आदि पर व्यय

(事)	संस्थाओं/संगठनों को दिया
	गया अनुसन

अपरिवर्तनीय आधार पर अस्तित्व के सामान्य उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए संस्थाओं/संगठनों ' को दिए गए अनुदान, सहायिका अथवा अन्य समान सहायता ।

प्रत्येक मामले में राशियों सहित संस्थाओं/संगठनों के नाम उनकी गतिविधियों का प्रकटन किया जाना चाहिए।

(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिका

ये अनुदान आदि उनके उपयोग से संबद्ध शर्ती सहित या रहित है। और गैर-वापसी ग्रशियों की प्रकृति के हैं जिन्हें व्यय के रूप में अलग किया जाना है।

सूची 13 में प्रत्येक उप-शोर्ष के सामने दर्शायी गई सकल प्राप्तियां अपरिवर्तनीय आधार पर अन्य संस्थाओं/संगठनों को दिए जाने वाले इन अनुदानों/सहायिका के साधन हो सकते हैं । प्रत्येक शीर्ष के सामने सकल का प्रकटन किया जाना चाहिए ।

आय और व्यय लेखा-व्यय अनुसूची-23 ब्याज

(क) नियत ऋणों पर

(1) ब्याज में प्रतिबद्धता प्रभार सम्मिलित होंगे।

(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) (2) नियत ऋण वे ऋण होते हैं जो कि एक निर्धारित अवधि के लिए होते हैं जैसे कि निर्धारित अवधि के ऋण आदि।

(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(3) सूची 23 के अनुसार ब्याज के माध्यम से व्यय प्रकट किए जाने की न्यूनतम आवश्यकता है। सूची 4 और सूची 5 में शीर्षों के अनुसार ऋणों एवं मांगों के साधनों के आधार पर व्यय किए गए ब्याज को दर्शाने के लिए अस्तित्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अनुसूची-26 आकस्मिक बाध्यताएं एवं लेखे पर टिप्पण

(क) आकस्मिक देयताएं

1. अस्तित्व के विरुद्ध दावें जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किए गए हैं।

भागत: संदत्त विनिधानों की बाध्यता

भागत: संदत्त शेयरों, डिबेन्चरों आदि पर बाध्यता का कथन किया जाना अपेक्षित है ।

बकाया फारवर्ड एक्सचेंन सीवदाओं के कारण बाध्यता

वर्ष के अंत में लागू विनियम दरों पर बकाया फारवर्ड एक्सचेंज सीवदाओं की ग्राश का कथन किया जाना चाहिए।

बकाया गार्रीटयां तथा साख पत्र

अस्तित्व द्वारा अथवा उसको ओर से दी गई गार्रीटयों की बाध्यता और वर्ष के अंत में बकाया साख पत्र दर्शाए जाने अपेक्षित है।

छ्ट वाले बिल

वर्ष के अंत में बकाया छूट वाले बिलों को दर्शाए जाने की आवश्यकता है।

अन्य मदें जिनके लिए अस्तित्व निरंतर दायी है

इसमें कानूनी तथा अन्य मांग, दावे, पुन: छूट प्रदान किए गए बिल, अंतर-लेखन सोंवदाओं तथा अन्य वस्तुओं के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं जिनके लिए अस्तित्व निर्रतर उत्तरदायी है इसमें सम्मिलित किए जाएंगे।

(ख) लेखे पर टिप्पण

पूंजी लेखा पर प्रतिबद्धताएं नहीं दो गई हैं। यह निबंधन की शताँ ज्यवस्थाओं में होगा जिसके संबंध में परिसम्पतियों के अर्जन/निर्माण के लिए राशियां दी जाएंगी । अग्रिम शुद्ध राशियों को प्रकट किया जाना अपेक्षित है ।

अन्य नोट

[फा. सं. 10/2/04-ई.एम.] हरीश चंद्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2007

- G.S.R. 173(E).—In exercise of the powers conferred by clause (p) of Sub-section (2) of Section 56 and sub-section (1) of Section 25 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Form of Armual Statement of Accounts and Records) Rules, 2007.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions .- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
 - (a) 'Act' means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);
 - (b) 'Audit Officer' means the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Bureau;
 - (c) 'Bureau' means the Bureau of Energy Efficiency constituted under Section 3 of the Act;
 - (d) "Director-General" means the Director-General of the Bureau appointed under Section 9 of the Act;
 - (e) "Finance and Accounts Officer" means the Finance and Accounts Officer of the Bureau or any other officer authorized to exercise the powers of the Finance and Accounts Officer;
 - (f) "Form" means a form appended to these rules;
 - (g) "Secretary" means the Secretary of the Bureau of Energy Efficiency appointed under Section 9 of the Act.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Accounts of the Bureau.— (1) The Bureau shall prepare the annual statement of accounts for every financial year commencing with 2004-05. The Director General of the Bureau may authorize the Finance and Accounts Officer to prepare the accounts on his behalf.
- (2) The Secretary of the Bureau shall supervise the maintenance of the accounts of the Bureau, the compilation of financial statement and return, and shall ensure that all accounts, books, connected vouchers and other documents and papers of the Bureau required by the audit officer for the purpose of auditing the accounts of the Bureau are placed at the disposal of that officer.
- (3) The annual statement of accounts duly approved by the Governing Council of the Bureau and after certification by the Comptroller and Auditor General of India or his authorized representative, shall be submitted by the Director-General of the Bureau to the Central Government by 15th November of each year or such other date as may be specified by the Central Government from time to time.
- (4) (a) The Bureau shall prepare the following financial statements alongwith necessary Schedules, notes on accounts and significant accounting policies in accordance with the common format of financial statements prescribed by the Government of India, Ministry of Finance, Controller General of Accounts, namely:—
 - (i) Balance Sheet in Form-A.
 - (ii) Income and Expenditure Account in Form-B,
 - (iii) Receipt and Payment Account in Form-C.
- (b) The authorized signatories to sign and authenticate the 'Receipts and Payment Account', 'Income and Expenditure Account' and 'Balance Sheet' shall be Finance and Accounts Officer, Secretary and Director-General of the Bureau;
- (c) The Bureau shall prepare these financial statements in accordance with the notes, instructions and accounting policies for compilation of financial statements as detailed in the common format of financial statements and the instruction issued by the Central Government from time to time.
- 4. Audit of Accounts.—(1) The Annual statement of accounts shall be submitted to the Audit officer on or before the 30th June, following year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the Bureau and report thereon.

726 GI/2007-5

- (2) The Bureau shall, on receipt of the Audit Report, take action to remedy any defect or irregularity pointed out therein and submit the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report and action taken note thereon to the Governing Council for approval.
- (3) The Annual Statement of Accounts, together with the Audit Report and action taken note thereon, duly approved by the Governing Council, shall be included in the Annual Report of the Bureau and submitted to the Central Government by 15th November of each year or such other date as may be specified by the Central Government from time to time.

FORMA [See Rule 3(4)(a)(l)] BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH

(Amount Rs.)

Corpus/Capital Fund and Liabilities		Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	77	1	7.	
Reserves and Surplus	Transfer	2	, -	1
Earmarked/Endowment Funds	-	3	-	-
Secured Loans and Borrowings		. 4	-	- 0
Unsecured Loans and Borrowings	-	5	-	- 4
Deferred Credit Liabilites	1.	6	-	
Current Liabilities and Provisions		7	-	-
TOTAL	Maria State	a Karametine	- 1	
ASSETS				114
Fixed Assets	The Property	8	T .	-
Investments—from Earmarked/Endowment Funds		9	-	
Investments—Others		10	-	-
Current Assets, Loans, Advances etc.		11	-	
Miscellaneous Expenditure			-	-
(to the extent not written off or adjusted)				
TOTAL	10000		Aller House	
Significant Accounting Policies		25		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		26		A CONTRACT OF THE PARTY OF THE

FORMB

[See Rule 3(4)(a)(ii)]

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH

(Amount Rs.)

PNCOME .	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/Services	12	SERVICE COLD	-
Grants/Subsidies	13		
Fees/Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/ endowment funds transferred to funds)	15		
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	_
Interest Earned	17	-	
Other Income	18	-	
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	-	-
TOTAL(A)			

PYCOME		Schedule	Current Year	(Amount-Rs.) Previous Year
EXPENDITURE	BOLLY SANSON			
Establishment Expenses	G- Marie	20		-
Other Administrative Expenses etc.	100	21	-	-
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		22		-
Interest		23		-
Testing		24	-	
Depreciation (Net total at the year end - corre-	sponding to schedul	e 8)		
TOTAL(B)		A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	÷ .	T 1
Balance being excess of Income over Expendit	ure (A-B)	1 2 2 2 2 2		
Transfer to Special Reserve (Specify each)	- 14			·—
Transfer to/from General Reserve	to Florida in		-	
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICTI) CA CAPTIAL FUND	RRIED TO CORPU	SV		+:
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES		25	1	
CONTINGENT, LIABILITIES AND NOTES OF	ACCOUNTS	. 26		

[See Rule 3(4)(a)(iii)]

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH

(Amount - Rs.) RECEIPTS Current Previous PAYMENTS Current Previous Year Year Year Year 1 2 (3 I. Opening Balances L Expenses (a) Establishment Expenses (a) Cash in Hand (Corresponding to Schedule 20) (b) Administrative Expenses (b) Bank Balances (Corresponding to Schedule 21) (i) In current accounts (ii) In deposit accounts (iii)Savings accounts II. Payments made against funds II. Grants Received for various projects (a) From Government of India (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project) b) From State Government (c) From other sources (details) (Grants of capital & revenue expenditure to be shown separately) III. Income on Investments from III. Investments and deposits made (a) Earmarked/Endowment Funds (a) Out of Earmarked/ Endowment funds (b) Own Funds (Other Investment) (b) Out of Own Funds (Investment-Others) IV. Interest Received IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress (a) On Bank deposits (a) Purchase of Fixed Assets (b) Loans, Advances etc. (b) Expenditure on capital work-in-progress

36 T	HE GA	ZETTE OF	INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II-	Sec.*3(i)]
1	2	3	4	5	6
V. Other Income (Specify)	-	=-	V. Refund of surplus money/loans a) To the Government of India	_	
		~	b) To the State Government		
			c) To other providers of funds	-	-
VL Amount Borrowed	_	-	VI. Finance Charges (Interest)	_	-
VII. Any other receipts (give details)	-	_	VII. Other Payments (Specify)	-	_
			VIII. Closing Balances		
	1		a) Cash in Hand	-	-
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts	_	
			ii) In deposit accounts	1-2	100-
			iii) Savings accounts	-	-
Total	_ :		Total	-	1

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH

(Amount - Rs.)

SCHEDULE I - CORPUS FUND/CAPITAL FUND	Current	Year	Previou	s Year
Balance as at the beginning of the year		-	1	
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund			- 1	
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	-	_		
BALANCE AS AT THE YEAR-END		-		
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS			1	
1. Capital Reserve :				
As per last Account	-		_	
Addition during the year			August 1	
Less: Deductions during the year	(-)	-	()	-
2. Revaluation Reserve:		2. 5.		
As per last Account			-	
Addition during the year	-		-	
Less: Deductions during the year	(-)	-	(-)	-
3. Special Reserves:				
As per last Account	-		-	
Addition during the year	-			
Less: Deductions during the year	(-)	-	()	-
4. General Reserve:				
As per last Account	-		The second	
Addition during the year	-		-	
Less; Deductions during the year	(-)	-	()	-
TOTAL				-

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 3-EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		FUND-V	VISEBRI	EAKUP	1	TOTALS
	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
(a) Opening balance of the funds	-	-	-	-	-	
(b) Additions to the Funds:						
i Donations/grants	_	-	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-	-	-
iii. Other additions (specify nature)	-	_	_	-	-	-
TOTAL(a+b)		_	-		, i	-
(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
I. Capital Expenditure		4 1		- 4:	1	
—Fixed Assets	-			-	-	_
Others	_	1	-	-	-	_
Total	- 1_		1.4	-	_	_
ii. Revenue Expenditure					C INTERNA	
-Salaries, wages and allowances etc.	1000	_	W. 17.	-	_	_
—Rent	-	_		-	7	_
-Other Administrative expenses	_	-	-	-		· / ·
Total	-	. 4		-		_
TOTAL(e)	_	· ,	-	-	-	-
NETBALANCE AS ATTHE YEAR END (8+b-c)	-		1 1 2 2	7 1 2	-	A A S

Notes-

- (1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
- (2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

(Amount - Rs.)

SCH	EDULE 4-SECURED LOANS AND BORROWING	S Current Year	Previous Year
1.	Central Government		-
2	State Government (Specify)		milita finar i .
3.	Financial Institutions (a) Term Loans	_	
	(b) Interest Accrued and due		
4.	Banks: (a) Term Loans —Interest accrued and due (b) Other Loans (Specify) —Interest accrued and due		
5.	Other Institutions and Agencies		_
6.	Debentures and Bonds	-	
7.	Others (Specify)	_	
	TOTAL		

Note: Amounts due within one year.

38	THE GAZETTE OF INDIA : EXT	RAORDINARY	[PART II-SEC. 3(i)
			(Amount - Rs.
SCHEDI	ULE 5—UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	Current Year	· Previous Year
1	Central Government		
2			
3.	Financial Institutions Banks:		
*			
	(a) Term Loans		
	(b) Other Loans (Specify) Other Institutions and Agencies		
	Debentures and Bonds		
	Fixed Deposits		
8.	Others (Specify)		-
	TOTAL		Action of the second
Note: Ar	nounts due within one year.		(#8K)
SCHEDU	JLE6-DEFERRED CREDIT LIABILITIES	Current Year	. Previous Year
100	(a) Acceptances secured by hypothecation of capital e	equipment .	150
	and other assets	_	-
10	(b) Others		
BIE	TOTAL		
Note: An	nounts due within one year.		1
		1	
			(Amount - Rs.)
SCHEDU	ULE 7—CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	Current Year	· Previous Year
A.CURR	ENTLIABILITIES	Total Control of	
,	1. 'Acceptances		4
	2. Sundry Creditors:		4
	(a) For Goods	No.	eria. Ta
	(b) Others		>
	3. Advances Received		-
	4. Interest accrued but not due on		ditagram of
1 7	(a) Secured Loans/borrowings	V 13 A - 15	Maria di
	(b) Unsecured Loans/borrowings		
	5. Statutory Liabilities:		
	(a) Overdue		
1	(b) Others	-	
	6. Other current Liabilities		
	TOTAL(A)	10 mg (10 mg)	
B. PROY	VISIONS		
	1. For Taxation.		-
	2. Gratuity		
	3. Superannuation/Pension		4
	4. Accumulated Leave Encashment	-	
	5. Trade Warranties/Claims		-
	6. Others (Specify)		-
-0.00	TVVFAL (D)		

TOTAL (A+B)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEETS AS AT 31ST MARCH, 2007

BLOCK			GROSS BLOCK	4.			DEPRECIATION	N	-	NET
Description	Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	Separate of the party of	Deprection other than grani-in-	Depreciation during the year on seach t-in- (grants-in- sects kind) [effect	Total up to the year-	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
A. FIXED ASSETS: 1. LAND							Sheet			
(a) Prechold (b) Lessehold	1	1	I	.1	2.1	1	,	18		1
2. INUILDINGS	1	i	Ţ	1	1.	1		1 1	1 1	
(a) On Pres Hole Land, (b) On Lessehold Land	1	.1	Î	1	1	. 1	1			
(c) Ownership Flats/Premises	1.1	1.1	ΙI	1 1	11	Ti	1-1-	ri	1 1	
a pravil Machine to the entity	r	1	Ī	1	1	1	F 1	1 1	1 1	
4. VEHICLES	PMENT	1	Î	1	1	1	. 1			
5. PURNITURE, FIXTURES	1 1	1.!	II	1	1	1	. 1	1 4	1 1	
6. OFFICE POUPMENT 7. COMPUTER/CONTINAED/MINISTER	1	Í	Î.		1 1	101	1	1	Ţ	
8. ILLECTIC INSTALLATIONS		1.	1:	1	1	1	1 1	1 1	1	
9. LIBRARY BOOKS	1	1	ΙI	1 1		1	1.	1	1, 1	
	1.1	1.1	1:	1	1		I t	Ĩ I	1.	-
TOTAL OF CURRENT YEAR			D		1		10.00		1	1 1
PREVIOUS YEAR		1 1		1	L	7	el de	-	1	1
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS					Î.	-	d	1.	1	1
TOTAL								1	1	1
(Note to be example)									,	1

		(Amount - Rs.
	MARKEDENDOWMENT FUND Current Year	Previous Year
In Government Secruities Other approved Securities	William State of the Control of the	
3. Shares	Manager and the second second	
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL	- A	_
SCHEDULE 10-INVESTMENTS OTHERS	Current Year	Previous Year
In Government Securities		111111111111111111111111111111111111111
2. Other Approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		1 Aug. 11 -
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		7
		1-14
		(A
Comment to the commen	No appropriate man Company	(Amount - Rs.)
SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOA	ANS, ADVANCES ETC. Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS		The state of the s
1. Inventories		
(a) Stores and Spares		Constitution of the consti
(b) Loose Tools		
(c) Stock-in-trade		
Finished Goods		-
Work-in-progress		· ·
Raw Materials		1 ST 7 -
2. Sundry Debtors	Manual W. C. Britan	
(a) Debts Outstanding for a period exceed	ding six months —	- T
(b) Others		
3. Cash balances in hand (including cheques	/drafts and imprest)	
4. Bank Balances		
(a) With Scheduled Banks		
-On Current Accounts		
-On Deposit Accounts (includes ma	argin money) —	- 1
-On Savings Accounts	<u> </u>	
(b) With Non-Scheduled Banks		
On Current Accounts		- 4
—On Deposit Accounts (includes ma	argin money)	
-On Savings Accounts		
5. Post Office-Savings Accounts—		

[*III II-	खण्ड 3(i)	भारत का राजपत्र : असाध	रिण	4.
				(Amount - Rs.
SCHEDUL	E 11—CU	RRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Cont	d.) Current Year	Previous Year
B. LOANS,	ADVANC	ES AND OTHER ASSETS		
1. Loans				
(a) Staff		-	
(ь		Entities engaged in activities/objectives similar of the Entity		10-
(c)	Other ((specify)		
2. Advance value to be	10 miles	r amounts recoverable in cash or in kind or for		
(a)	On Cap	rital Account	_	-
(6)	Prepayi	ments		· 2
(c)	Others			
3. Income	Accrued			September 1
(a)	On Inve	estments from Earmarked/Endowment Funds		
(b)		estments-Others		_
(c)		ns and Advances		
(d)				
(4)		s income due unrealised-Rs)		
4. Claims Re		a income due diffeatiscu-As)		A COLUMN
11004	10 141 122			
TOTAL (B)	B 750		EN PHONE TO	political management
TOTAL	A+B)	SLEW LISTERS LINE	-	
				(Amount - Rs.)
SCHEDULE	E12—INCO	DME FROM SALES/SERVICES	Current Year	Previous Year
1.	Income	from Sales		
100	(a)	Sales of Finished Goods	- 200	-
	(b)	Sale of Raw Material		-
	(c)	Sale of Scraps	-	
2	Income	from Services	-	
	(a)	Labour and Processing Charges	-	-
	(b)	Professional/Consultancy Services		_
	(c)	Agency Commission and Brokerage		-
	(d)	Maintenance Services (Equipment/Property)	-	-
	(e)	Others (specify)		

TOTAL

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 13—GRA	NTS/SUBSIDIES			Current Year	Previous Year
(Irrevocable Grants and	Subsidies received)				
And the second s	Government				
	verment(s)	2		* -	1111
	nent Agencies				
	ns/Welfare Bodies			_	
	onal Organisations			-	-
6. Others (s	pecified)			-	
TOTAL				AL SAME	-
			S. Carlon		
		1			(Amounts-Rs.)
SCHEDULE 14—FEES	SUBSCRIPTIONS			Current Year	Previous Ye
1. Entrance					7
	Pees/Subscriptions				
	Program Fees		100	and Toler	
4. Consulta					
5. Others (S	pecify)		1000	T	
TOTAL				_	-
SCHEDULE 15—INCOM	ME FROM INVESTMENTS	/ Lest Wild Devilor	it from Earmari	Ten Ten	vestment-Others
	•	urrent Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(Income on Investment for Funds transferred to Funds	rom Earmarked/Endowment nds)				
1. Interest					-
(a) On Govt. S			-	20 07 10	
	ds (Debentures)	_			
2 Dividends					
(a) On Shares	Daniel Commission				
(b) On Mutual 3. Rents	rung Securities				
4. Others (Specify)			_		
		-			
TOTAL					
· Transferred to E	armarked/Endowment Funds	_			
					(Amount-Rs.
The state of the s	MEFROM ROYALTY, PUBI	ICATIONETO	C. (Current Year	Previous Year
the state of the s	om Royalty				•
(b) income from (c) Others (S)	om Publications				. •
TOTAL					

						(Amount-Re
SCHE	DULE	17—INTEREST EARNED			Current Year	Previous Yes
	1.	On Term Deposits			-	
		(a) With Scheduled Banks			-	
		(b) With Non-Scheduled Banks			-	100
		(c) With Institutions			_	
		(d) Others			-	
•	2	On Savings Accounts				
		(a)With Scheduled Banks				
		(b) With Non-Scheduled Banks			3	
		(c) Post Office Savings Accounts			-	
		(d) Others			_	
	3.	On Loans				
		(a) Employees/Staff			400	-
- 2		(b) Others-	3		-	
	4.	Interest on Debtors and Other Receival	oles	1 1		- 15 1
		TOTAL	- Carlott	2 . Santa		-
Note:	Tax d	edacted at source to be indicated	ana	reminerate in the	with a self-	
			5 5 5			00
COURT	NITE D	18-OTHER INCOME	1 15		Current Year	(Amount-Rs. Previous Yea
SCHE	N. T. SCHOOL SHOULD	U. L. To- of the Control of the Cont	-		Current Tear	Previous Yea
	1,	Profiton sale/disposal of Assets			TO	
		(a) Owned assets				- 1
	-	(b) Assets acquired out of grants, or re	ceived fre	e of cost	1.47	
	2	Export Incentives realized		the state of		
	3.	Fees for Miscellaneous Services		ALCOHOL: NO.		
	4.	Miscellaneous Income	-		75.7	Maria Cara
		TOTAL		Total Total		18 1
		19—INCREASE/DECREASE) IN STOCI VORK IN PROGRESS	KOFFIN	SHED	Current Year	Previous Year
	(a)	Closing Stock			0.207	
		- Finished Goods		S TEX Y ME	+ 1	
215		- Work-in-progress			-	The state of the s
	(b)			111111111111111111111111111111111111111		_
		- Finished Goods				-
1		- Work-in-progress		F-12		-
		Net Increase/Decrease [a+b]			Marin To Carro	41
			1	41 2 2 2		
A PLANTA NAMED IN					10.0	(Amount-Rs.)
SCHEI	DULE	20 ESTABLISHMENT EXPENSES	-	Current year		Previous year
	0.1		EE)	(R&P)	(I&E)	(R&P)
		ics and Wages —		1		
		wances and Bonus	-	-	-	
The second second	ALC: COMPANY	ribution to Provident Fund	-	1	-	-
		ribution to Other Fund (Specify)	-	11 21 22		
		Welfare Expenses	-	-	The state of the s	-
(f)		nses on Employees' Retirement				
		Terminal Benefits	-	-		
(g)	Othe	rs (specify)	-		-	11 14 1
	TOT	AT		T	-	
	101	TIL .				

(Amount Rs

SCHEDULE 21—OTHER ADMINISTR EXPENSES	ATTVE Current year (1 & E)	(R & P)	Previous ye	ar (R
(a) Purchases	La les de Calenda	FR SEE	_	
(b) Labour and Processing Expense	es —		_	
(c) Cartage and Carriage Inwards			_	
(d) Electricity and Power		_		
(e) Water Charges	<u></u>		_	
(f) Insurance		_		
(g) Repairs and Maintenance		-	_	
(h) Excise Duty	_			
(i) Rent, Rates and Taxes	2 : 1/1	curs means		
(i) Vehicle Running and Maintenan	nce —	-		
(k) Postage, Telephone & Commun	ication	1		
Charges		-	-	
(I) Printing & Stationery		-	_	
(m) Travelling and Conveyance Exp	enses —		_	- 6
-Overseas Committee	-	_	-	
-Officers & Staff Members		-	-	
-Committee Members		State of the last	-	
(n) Expenses on Seminars/Worksho	ops —	-	-	
(o) Subscription Expenses		7-		
(p) Expenses on Fees			_	
(q) Auditor Remuneration	_	-		
(r) Hospitality Expenses	- 1	-	-	
(s) Professional Charges		-	-	
(t) Provision for Bad and Doubtful	Debts/	-		
Advances		-	-	
(u) Irrecoverable Balances Written-	off —	_	2 -	
(v) Packing Charges		-	-	
(w) Freight and Forwarding Expense	es ,—	-	W #	400
(x) Distribution Expenses		_		
(y) Advertisement and Publicity		A LINE A	1	
(z) Others (specify)	-	_	_	
TOTAL			-	-
				(Amoun
SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON	GRANT, SUBSIDIES ETC	C. Curre	nt Year	Previous
(a) 'Grants given to institution	The second secon			
(b) Subsidies given to Instit	utions/Organisations			
TOTAL			-	

		The Hotel		(Amour	nt - Rs.)
SCHEDULE 23—INT	EREST		Current Year	Previou	us Year
(a) On Fixe	d Loans				-
(b) On Oth	er Loans (including bank charges)		Charles - The sem		-
(c) Other (s	pecify)		-		- 12
TOTAL			Standard Town		
		S. See To	4	-	
SCHEDULE 24 EXPI	INDITUREON TESTING	1	Current Year	Previou	ıs Year
(a) Testing	fee paid to outside laboratories	Ć.		-	-
(b) Market	Samples				-
(c) Laborat	ery apparatus and stores		distributed the second		_
TOTAL			_		-

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED AS AT 31ST MARCH SCHEDULE 25—SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVENTORY VALUATION

- 2.1 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.
- 2.2 Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net reliable value. The cost are based on weighted averaged cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

3. INVESTMENTS

- 3.1 Investments classified as "long term investment" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 3.2 Investment classified as "current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 3.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. EXCISE DUTY

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year-end.

5. FIXED ASSETS

- 5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.
- 5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at value stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6. DEPRECIATION

- 6.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income Tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency, liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.
- 6.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on prorata basis.
- 6.3 Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

9. GOVERNMENT GRANTS OR SUBSIDIES

- Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
- Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related
- Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. RETIREMENT BENEFTIS

- 12.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.
- Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

CON	T-10-10	-	 	 -
E 2 100			A 161	

1.1	Claims against the Entity not acknowledged as debts Rs
1.2	In respect of . Bank guarantee given by/on behalf of the Entity Rs
13	Disputed demands in respect of : Income Tax Rs(Previous year Rs)
	Sales Tax Rs(Previous year Rs) Municipal Taxes Rs(Previous year Rs)
1.4	In respect of claims from parties for non-execution of orders but contested by the Entity Rs. (Previous year Rs.)
TAL	COMMITMENTS

2. CAPI

Estimated value of	contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (n	et of advances)
Rs.	(Previous year Rs)	

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under	finance lease	arrangements	for plant	and	machinery	amount	10
Rs(Previous year Rs)		100				

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loan and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income Tax Act, 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

(Amount Rs.)

Current Year Previous Year

- 6.1 Value of imports calculated on C.I.F. Basis
 - Purchase of finished goods
 - Raw materials & components (including in transit)
 - Capital Goods
 - Stores, Spares and Consumables
- 6.2 Expenditure in foreign currency
 - a) Travel
 - Remittances and Interest payment to Financial Institutions/Banks in Foreign Currency
 - c) Other expenditure
 - Commission on Sales
 - Legal and professional expenses
 - Miscellaneous Expenses
- 63 Earnings

Value of Exports on FOB basis

6.4 Remuneration to auditors

As Auditors

- Taxation matters
- For Management services
- For certification

Others

- 7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped rearranged/wherever necessary.
- 8. Schedules 1 to 26 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

NOTES; INSTRUCTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS

(1) The financial statements (viz., Balance Sheet and Income and Expenditure Account) shall be prepared on accrual basis; and shall be in the form suggested, or as near thereto as possible.

If the information required to be given under any of the item or sub-item in this Form cannot be conveniently included in the Balance Sheet or the Income and Expenditure account itself, as the case may be, it can be furnished in a separate Schedule or Schedules to be annexed to and forming part of the Balance Sheet or the Income and expenditure Account. This is recommended where items are numerous.

- (2) A statement of all significant accounting policies adopted in the preparation of the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account shall be included in the financial statements, and the significant Accounting Policies should be disclosed at one place. Accounting Policies refer to the specific accounting principles and the method of applying those principles adopted by the Britity in the preparation of the financial Statements. Where any of the accounting policies is not in conformity with accounting standards, and the effect of departures from accounting standards is material, the particulars of the departure shall be disclosed, together with the reasons therefor and the financial effect thereof, except where such effect is not ascertainable.
- (3) Accounting policies shall be applied consistently from one financial year to the next. Any change in the accounting policies which has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in latter periods, shall be disclosed. In case of change in accounting policies which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statements is affected by such change shall also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be disclosed.

- (4) The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account of transactions and events shall be governed by their substance and not merely by the legal form.
- (5) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or the Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality.
- (6) Provision shall be made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with substantial accuracy (and the amount of provision represents only a best estimate in the light of available information).

'Provision' means any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

Provisions shall be made for contingent loss if:

- (a) it is probable that future events will confirm that, after taking into account any related probable recovery, an asset has been impaired or a liability has been incurred at the balance sheet date, and
- (b) a reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made.
- If either of the above conditions is not met, the existence of the contingent loss shall be disclosed by way of a note to the Income and Expenditure account, unless the possibility of the loss is remote.
- 7. Where any amount written off or retained by way of depreciation, renewals or diminution in the value of assets or retained by way of providing for any known liability is in excess of the amount which is considered reasonably necessary for the purpose, the excess shall be treated as a reserve and not as a provision.
- 8. Revenue shall not be recognized unless:
 - (a) the related performance has been achieved;
 - (b) no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration; and
 - (c) it is not unreasonable to expect realisation and ultimate collection.
- 9. Separate disclosure shall be made in the Income and Expenditure Account in respect of :
 - (a) "Prior period" items, which comprise material item of income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more prior periods.
 - (b) "Extra-ordinary" items which are material items of income or expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the entity and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly.
 - (c) Any item under the head "Miscellaneous Expenses" which exceeds 1 per cent of the total turnover/ gross income of entity or Rs. 50,000/- whichever is higher. This shall be shown against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.
 - (d) Any item under the head "Miscellaneous Expenses" which exceeds 1 per cent of the total turnover/ gross income of entity or Rs. 50,000/- whichever is higher. This shall be shown as a separate and distinct item against an appropriate account head in the Income and Expenditure Account.
- (10) The Schedules referred to in the form, the accounting policies and explanatory notes shall form an integral part of the financial statements.
- (11) Notes to the Balance Sheet and the Income and expenditure Account shall contain the Explanatory material pertaining to the items in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account.
- (12) The figure in the Balance Sheet and Income and expenditure Account, if rounded off, shall be rounded off as below:

Amount of turnover (in Rs)

Less than One lakh

One lakh or more but less than one crore

One crore or more but less than one hundred crore

One hundred or more but less than on thousand crore

One hundred or more but less than on thousand crore

Crore

(13) Reference may also be Thade to the enclosed Notes and Instructions for compilation in relation to in the formats suggested.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR SCHEDULES

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND

- (a) Corpus/Capital Fund is akin to Capital, Share Capital or Owners', Funds. It comprises amounts received by way of contributions specifically to the Corpus, as increased/decreased by the net operating results shown in the Income and Expenditure Account (other than surplus, if any transferred to any Reserves or Earmarked Funds).
- (b) The Opening Balance, Additions to, Deductions from and Closing Balance of the Corpus/Capital Fund shall be shown under this head.
- (c) Additions to the Corpus Fund shall be net of transfers, if any, to any Reserve or Barmarked Fund required under statute or as per applicable regulations.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR SCHEDULES

CORPUS CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

1. CAPITAL RESERVES:

- · Opening Balance
- · Additions during the year
- · Deductions during the Year

2. REVALUATION RESERVE:

- Opening Balance
 Additions during the year
- · Deductions during the year

Mr. +

3. SPECIAL RESPRVES:

- · Opening Balance
- · Additions during the year
- · Deductions during the year

The expression capital reserves shall not include any amount regarded as free for distribution through the Income and Expenditure Account. Surplus on revaluation should be treated as Capital Reserve and shown separately. Surplus on translation of financial statements of foreign branches, if any, is not a revaluation reserve.

To reflect effects of changing prices, fixed assets otherwise stated at historical costs, are revalued and the historical cost substituted by a revaluation, normally done by competent valuers. Such substitution resulting in an upward revaluation is required to be shown as a "Revaluation Reserve"

This reserve is an unrealized gain and should not be credited as income in the Income and Expenditure Account.

These would comprise Special reserves requires to be created pursuant to any statutory or regulatory, requirement applicable to the Entity; and if so, should be clarified in the Notes on Accounts in Schedule 27.

4. GENERAL RESERVE:

- · Opening Balance
- · Additions during the year
- · Deductions during the year

The expression 'General Reserve' shall mean any reserve other than capital reserve and revaluation reserve.

This item will include all reserves, other than those separately classified.

Notes - General

- (a) Movements in various categories of reserves should be shown as indicated in the schedule.
- (b) The expression 'reserve' shall not include any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets or retained by way of providing for any known liability.

NOTES AND INSTRUCTIONS FOR THE SCHEDULES

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 3 EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Amount received as grants or assistance, or retained by the entity to be utilized for specific or earmarked purposes and remaining to be expended/utilized for the specific purpose for which these are intended, are required to be disclosed under this head. Such funds may be received in each or kind from Government, Govt. agencies, institutions and other agencies etc. and are subject to compliance by the entity, of certain stipulated terms and conditions. For this reason, the balances available and their utilization should be disclosed in the manner suggested in the Schedule. The Plan Funds received from the Central and/or State Governments are to be shown as distinct category of Fund.

726 GI/2007-7

Other plan funds earmarked/endowed for any chair, house, building, Trust etc. are to be shown as distinct category of Pund.

The following shall not be reckoned as part of Earmarked Funds:

- (a) Grants/funds which have the characteristics of promoters' contribution which are of the nature of additions/ to the accretion Corpus Fund;
- (b) Funds/grants received by the Entity as compensation for expenditure/losses incurred in the earlier years, as these would be reckoned only in the Income and Expenditure Account for the year.
- (c) Non-monetary grants by way of capital assets or other resources, corresponding credit of which is of the nature of capital reserve, unless such grants are specified as irrevocable contribution to the Corpus.

Notes -General

- (a) It is appropriate to ensure that the accretions to and utilization of earmarked funds is in accordance with the terms and conditions attaching to the same.
- (b) Barmarked Funds, considered their nature, are represented by specifically earmarked investments or other assets.
- (c) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.
- (d) Records relating to fixed assets acquired/constructed should be maintained for each earmarked for However, for the purpose of the annual financial statements disclosure may be made of the aggregate accumulated cost up to each year and of such fixed assets in respect of each fund, unless the assets are taken over and are incorporated in Schedule 8.

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 4—SECURED LOANS AND BORROWINGS

1. Central Government Indicate the nature of security and terms of repayment. Indicate the name of State Government State Govt. and nature of security and terms of repayment.

3. Financial Institutions Includes borrowings/refinance obtained from Industrial Development Bank of

Includes borrowings/refinance obtained from Industrial Development Bank of India, Export-Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development (including liability against participation certificates, if any).

Normally these may be in the form of Term Loans.

4. Banks

(a) Term Loans (b) Other Loans

5. Other institutions and agencies

6. Debentures and Bonds

Includes borrowings/ refinance obtained from commercial banks (including co operative banks). Term Loans need to be segregated from other facilities.

Includes institutions/agencies other than those mentioned above.

The terms of redemption of debentures and bonds should be stated with the carliest date of their redemption.

Notes - General

- (a) Information shall be given in each case as regards the nature of security given.
- (b) Secured loans and borrowings shall be such as are against hypothecation/pledge/charge on the assets of the entity.
- (c) The aggregate amount of loans under each head, as are guaranteed by the Central/State Govt. may also be mentioned along with the fact that these are so guaranteed.
- (d) Loans and borrowings include refinance from institutions and agencies and liability against participation certificates.
- (e) Amount received by way of discount of debtors or receivables or rediscount of bills, shall not be shown a borrowings.
- (f) Interest accrued and due shall be included under each sub-head. Interest accrued but not due shall not be included under this head, but shall be shown as part of current liabilities.
- (g) Unreconciled inter-branch outstanding entries at credit should not be shown as borrowings.
- (h) Amount due within a period of less than 12 months as at the balance sheet date need to be disclosed.

Banks

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 5—UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

Central Government Indicate the terms of repayment

Indicate name of the State Government and the terms of repayment. State Government(s)

Includes borrowings obtained from Industrial Development Bank of India, Export-Financial Institutions Import Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development.

Normally these may be in the form of term loans, pending creation of a charge on

assets, bridge loans may be given as 'unsecured' loans.

Includes borrowings obtained from Commercial Banks (including Cooperative

Banks)

Indicate the nature of facilities.

Overdrawn balances as per books do not constitute loans and generally arise due to cheques issued in excess of book balances. Such balances can be shown as loans only where the entity enjoys or is granted overdraft facility.

Other institutions and agencies Includes loans from institutions/agencies other than those mentioned above.

> The terms of redemption of debenture and bonds should be stated with the earliest date of their redemption.

These comprise deposits received from public or otherwise for fixed periods and

Fixed Deposits against no security.

Notes-General

Debentures and Bonds

- (a) Unsecured loans and borrowings comprise amounts in respect of which no assets of the entity is charged as security or encumbered.
- (b) Interest accrued and due shall be included under each sub-head. Interest accrued but not due shall not be included under this head, but shall be shown as part of current liabilities,
- (c) Amount due within a period of less than 12 months as at the balance sheet date need to be disclosed.

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 6-DEFERRED CREDIT LIABILITIES

- (1) Acceptances and other similar long-term obligations contracted in respect of acquisition of assets, the liability for payment of which falls in periods longer than 12 months as at the date of the balance sheet should be included here.
- (2) If the assets are charged as security or encumbered corresponding to the liability, this fact should be stated.
- (3) If the acceptances are also guaranteed for repayment by the Government, any Govt. agency, bank, institution or other body/entity, this fact should also be stated.
- (4) Amount due within one year of the date of the balance sheet need to be separately disclosed

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES

SCHEDULE 7—CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

A CURRENT LIABILITIES

Sundry creditors

Acceptances

(a) For goods

(b) Others

Included under this sub-head would be the drawer's assent on bills of exchange to the order of the drawer.

SELGARDER V

The amounts to be shown against this sub-head shall comprise amounts owned by the entity in favour of others on account of goods purchased or services rendered or in respect of contractual obligations. These good to be segregated for goods' and shown separately.

Advance received The liability against this sub-head shall comprise amounts received in respect of which goods or services have yet to be supplied/rendered or for which value

has yet to be given, and includes advance subscriptions.

Interest accrued but not due
 Secured Loans/Borrowings

(b) Unsecured Loans/Borrowings

Includes interest accrued up to the year-end but not due secured/unsecured loans and borrowings.

Statutory Liabilities
 (a) Overdue

(b) Others

These comprise liabilities in term of the Central/State laws governing the Entity; and includes unpaid liability for tax deducted at source under the Income Tax Act, 1961, statutory bonus, provident fund, pension, gratuity, ESI interest to SSI Units on their overdue, sales tax, exercise, customs duty, and other statutory levies.

Overdue liabilities are undisputed amounts which are due and remain unpaid beyond the normal due date/stipulated period i.e. those are in default.

6. Other Current Liabilities

These would include amounts not covered by the other sub-heads. Any material amount included under this sub-head may be separately shown indicating the nature thereof.

Overdrawn bank balances as per books, where the entity does not have any sanctioned limits/overdraft facilities, shall also be included under this sub-head, or separately disclosed as "Overdrawn bank balances in excess of book balances".

Notes - General:

A Current Liability is one which falls due for payment within a relatively short period, normally not more than 12 months.

B. PROVISIONS

For Taxation Provision needs to be made and retained based on the status of Tax matters as
at the year-end.

 Gratuity Provision for liability towards gratuity payable on death/retirement of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided up-to the year-end.

3. Superannuation/Pension Provision for liability payable towards superannuation of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided up to the year end.

Accumulated Leave Provision for liability towards accumulated leave encashment of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided up to the year-end.

Trade Warranties/Claims

Where the entity is manufacturing/processing goods for sale, it may be liable to trade warranty risks, which need to be provided for on a reasonable/rational basis.

a. Others These nec

These need to be specified, and shall not include provision for doubtful debta advances, which shall be reduced from the relevant asset heads.

Notes - General

Provision is an amount written off or retained by way of providing for depreciation or diminution in the value of assets, or retained by way of providing for a known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

ASSETS

SCHEDULE 8-FIXED ASSETS:

L LAND

(a) Freehold Where immovable properties are purchased/acquired by paying a composite cost, a reasonable/reliable estimate should be made of the land cost and shown

separately.

Leasehold land should be amortised over the period of lease unless the lease is in perpetuity.

2 BUILDINGS

(b) Leasehold

(a) On freehold land

As far as practicable, distinction may be made between factory and office buildings for purposes of provision for depreciation at different rates.

- (b) On leasehold land
- (c) Ownership Flats/Premises
- (d) Superstructures on Land Not belonging to the Entity
- 3. PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT

4. VEHICLES

5. FURNITURE, FIXTURES

Buildings/premises shall be those which are intended to be wholly/partly used for the purposes of the activities of the Entity and would not include "Investment Properties".

Superstructures on leasehold lands should be depreciated to be co-terminus with the amortization of land, unless the superstructures have a shorter life.

Buildings shall include roads, bridges, and culverts.

included under this Sub-head would be items like :

- Barth moving Machinery
- Boilers
- Furnaces
- Generators
- Dves/Mould
- Machinery used for specific industry/services like Building contractors, in hospitals/clinics, processing units, hydraulic works (including pipelines), Tool rooms.
- Other items used for manufacture/processing etc.

Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged.

included under this Sub-head would be items like :

- Tractors/Trailers
- Trucks, Jeeps and Vans
- Motor Cars
- Motor Cycles, Scoters, Three Wheelers and Mopeds
- Rickshaws

Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged.

included under this Sub-head would be items like :

- (a) Cabinets/Almirahs/Filing Racks
- (b) Air-Conditioners/Air Conditioning Plant
- (c) Air Coolers
- (d) Water Coolers
- (e) Tables/Chairs/Sofas/Carpets
- (f) Wooden partitions/temporary structures
- (g) Voltage Stabilisers, UPS Systems.
- (h) Other Items

Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.

included under this Sub-head would be items like :

- (a) Typewriters
- (b) Photocopiers/duplicators
- (c) Fax Machines

Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.

COMPUTER/PERIPHERALS

Computers, Printers and their peripherals like the Floppies, CDs, Software etc. would be the items under this head.

Separate Account heads should be maintained in the ledgers and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material equipment.

& ELECTRIC INSTALLATIONS

included under this Sub-head would be items like :

- (a) Electrical Machinery
- (b) Electric Lights/Fans
- (c) Switch gear instruments
- (d) Transformers
- (e) Electric Wiring and fittings

Separate Account heads should be maintained in respect of the above items and kept reconciled with the Fixed Assets registers. Disclosure of information under the above sub-heads is encouraged, for material amounts.

9. LIBRARY BOOKS

In some cases the number of Library Books could be very large or there may be an established Library. In such cases these books may be disclosed as a separate category of assets. Library books will include books/journals/information stored in CD ROMs.

10. TUBEWELLS & W. SUPPLY SYSTEM 11. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

Tubewells and Water Supply Systems may be shown as a distinct category. Fixed assets in the course of construction should be shown against this head till they are ready for their intended use. Plant, machinery and equipment acquired and pending installation should also be included here.

Notes - General

- Fixed Assets are those assets which are held with the intention of being used for the purpose of producing
 or providing services and not held-for sale in the normal course of trade.
- 2. Under each sub-head should be shown:
 - (a), the cost or the valuation as at the beginning of the year.
 - (b) additions during the year (both acquisitions and by way of grants)
 - (c) deductions (including sales, disposals, write-offs) during the year.
 - (d) the total cost/valuation as at the year-end.
 - (e) depreciation up to the previous year-end, that on additions/deductions during the year and the total accumulated depreciation up to the year-end.
 - (f) the net block of the assets as at the year-end.
- The accounting policy relating to accounting for fixed assets acquired (including by way of grants or at concessional rates), or constructed should be disclosed along with the method adopted for depreciation/ amortization.
- 4. Where sums have been written up for any assets due to their revaluation, the basis thereof should be disclosed; and every balance sheet after the first Balance Sheet subsequent to the revaluation should show the revised figures for a period of five years with the date and amount of revision.
- 5. Where grants relating to specific fixed assets are received and these are equal to the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the Fixed assets should be shown in the Balance Sheet at a nominal value.

Alternatively; grants relatable to depreciable fixed assets may be treated as deferred income and recognized in the Income and Expenditure Account on a systematic and rational basis over the useful life of such assets i.e. such grants should be allocated to income over the periods and in the proportions in which depreciation is charged.

Grants relatable to non-depreciable assets should be credited to "Capital Reserve", unless there are preconditions requiring fulfilment.

6. Depreciation

Depreciation shall be provided so as to charge the depreciable amount of a depreciable asset over its useful life.

Depreciation is a measure of the wearing out, consumption or other loss of value of a depreciable asset arising from use, effluxion of time or obsolescence through technology and market charges. It includes amortization of assets the useful life of which is determined and depletion of wasting assets.

For this purpose:

- (a) Depreciable asset means an asset which
 - i is expected to be used during more than one accounting period, and
 - il. has a limited useful life; and
 - iii. is held by the entity for use in the production or supply of goods and services, for rental to others, or for administrative purpose and not for the purpose of sale in the ordinary course of its business/operating activities.
- (b) depreciable amount of a depreciable asset means its original cost, or other amount substituted for original cost in the financial statements less the residual value.
- (c) Useful life means either
 - i the period over which a depreciable asset is expected to be used by the Entity, or
 - ii. the number of production or similar units expected to be obtained from the use of the asset by the Entity.

SCHEDULE 9-INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS:

Includes Central and State Government securities and Government Treasury

Bills. These securities should be shown at cost/book value. However, the
difference between such value and market value should be given in the notes to
the Balance Sheet.

Other approved Securities
 Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such
as Trustee securities), should be included here.

3. Shares - Investments in shares of companies and corporations not included in item 2 should be included here.

4. Debentures and Bonds Investments in debentures and bonds of companies and Corporations not included in item 2 should be included here.

Subsidiaries and/or joint ventures Investments in subsidiaries/associate entities should be included here. An entity shall be treated as a 'subsidiary' or joint venture, if the entity exercises control over the composition of management/governing body, with or without any financial investment therein.

An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification if more than 25% of the corpus of that entity is held by the entity as at the beginning of the year.

Others (to be specified)
Includes residual investments, if any, like commercial paper, investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of shares/debentures/bonds. Investment in Properties, if any, would also be included here.

Notes - General

- 1. The Gross value in aggregate, the depreciation in aggregate and net value of Investments are to be separately disclosed. Approved securities (covered by 1 and 2 above) are required to be bifurcated into "permanent" and "current" categories for valuation and determination of shortfall in value.
- 2 (a) Investments can either be "Long term" or "permanent" or "Current".
 - (b) "Current Investment" means an investment which is by its very nature, readily realizable and is intended to be held for not more than one year from the date on which it is made.

Such investments should be shown at lower of cost or their fair value, which shall be determined on individual investment basis and the shortfall shall be provided, while appreciation shall be ignored.

- (c) Long-term investments are those investments which are other than current investments, and these are intended to be held for the purposes of capital appreciation and yield.
 - Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary, in their value-reduction being made for each investment.
- 3. Investments held against earmarked/endowment funds need to be separately disclosed.
- Investment in properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case
 of fixed assets.
- The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value - both for long-term & current investments.
- Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortised on a time proportion basis upto the date of their maturity. Discount on acquisition shall not be amortised.
- 7. Matured investments, not realized may be separately disclosed.

SCHEDULE 10-INVESTMENT-OTHERS:

SCI	HEDULE 10—INVESTMENT-OTI	HERS:
1,	Government Securities	Includes Central and State Government securities and Government Treasury Bills. These securities should be shown at cost/book value. However, the difference between such value and market value should be given in the notes to the Balance sheet.
2	Other approved Securities	Securities other than Government Securities, treated as approved securities (such as Trustee securities), should be included here.
3.	Shares	Investments in shares of companies and corporations not included in item 2 should be included here.

4. Debentures and Bonds Investments in debentures and bonds of companies and Corporations not included in item 2 should be included here.

Subsidiaries and joint ventures Investments in subsidiaries/associate entities should be included here. An entity shall be treated as a 'subsidiary' or joint venture, if the entity exercises control over the composition of management/governing body, with or without any financial investment therein.

An entity will be considered as subsidiary for the purpose of this classification if more than 25% of the corpus of that entity is held by the entity as at the beginning of the year.

Includes residual investments, if any, like commercial paper, investments (to be specified) in Mutual Funds and other instruments not being in the nature of shares/debentures/bonds. Investment in Properties, if any, would also be included bere

Notes - General

Others

- 1. The Gross value in aggregate, the depreciation in aggregate and net value of Investments are to be separately disclosed. Approved securities [covered by 1 and 2 above] are required to be bifurcated into "permanent" and "current" categories for valuation and determination of shortfall in value.
 - (a) Investments can either be "Long term" or "permanent" or "Current".
 - (b) "Current Investment" means an investment which is by its very nature, readily realizable and is intended to be held for not more than one year from the date on which it is made.
 - Such investments should be shown at lower of cost or their fair value, which shall be determined on individual investment basis and the shortfall shall be provided, while appreciation shall be ignored.
 - (c) Long-term investments are those which are other than current investments and these are intended to be held for the purposes of capital appreciation and yield.
 - Such investments are held at cost and shall be reduced when there is a decline, other than temporary, in their value-reduction being made for each investment.
 - Investments held against earmarked/endowment funds are disclosed in Schedule 9.
 - Investment in Properties, if held, shall be shown at cost less depreciation in the same manner as in the case
 of fixed assets.

- The entity shall disclose the Accounting Policy in relation to investments, their cost, depreciation and carrying value - both for long-term and current investments.
- Any premium paid on acquisition of permanent investments shall be amortised on a time proportion basis
 upto the date of their maturity. Discount on acquisition shall not be amortised.
- 7. Matured investments, not realized may be separately disclosed.

SCHEDULE 11-CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC:

A. CURRENT ASSETS

1. Inventories :

Inventories comprise tangible property held for sale in the ordinary course of business, or in the process of production for such sales, or for consumption in the production of goods or services for sale, including maintenance supplies and consumable other than machinery parts

- (a) Stores and Spares
- (b) Loose Tools
- (c) Stock-in-trade
 - Finished Goods - Work-in-Progress
 - Raw Materials
- 2. Sundry Debtors :
 - (a) Debts Outstanding for a period exceeding six months
 - (b) Others
- 3. Cash balance in hand:

(including cheques/drafts and imprest)

- 4. Bank Balances:
 - (a) With Scheduled Banks
 - On Current Accounts
 - On Deposit Accounts (includes margin money)
 - On Savings Accounts
 - (b) With Non-Scheduled Banks
 - On Current Accounts
 - On Deposit Accounts (includes margin money)
 - On Savings Accounts
- 5. Post Office-Savings Accounts :

Basis of valuation of inventories should be disclosed

Finished goods would include goods purchased/produced and lying in hand at all loans of the entity

Raw materials would also include parts or components used or consumed in the process of production of goods for sale

Debtors comprise persons from whom amounts are due for goods sold or services rendered or in respect of contractual obligations

Debts considered good for recovery and those considered doubtful shall be shown separately. Provision for Doubtful debts, if made, should be shown as a reduction from the amount of debts considered doubtful.

Amounts held as bank balances against earmarked/endowment funds should be separately disclosed.

Where any deposit accounts are pledged or charged as security or are encumbered, the fact should be disclosed

Overdue/Matured Deposits should be separately disclosed

728 GI/2007-8

ASSETS

SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.:

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS

Loans

Loans and Advances as are considered good and recoverable should be disclosed. Doubtful amounts, if any, should be stated under each subhead, and provision if made, should be shown as a reduction therefrom

(a) Staff

Interest accrued on interest bearing staff loans should be accounted notwithstanding that actual recoveries of interest might commence after repayment of principal.

(b) Other entities engaged in activities/

Irrevocable grants/subsidies/donation to such entities shall not be included objectives similar to that of the entity here. If interest-bearing, the amount of interest carned up to the year-end should be adjusted.

(c) Other (specify)

Advances and other amounts recoverable

in cash or in kind or for value to be received :

(a) On Capital Account

Advances to suppliers/contractors for capital works should be sho against this sub-head

(b) Prepayments

This includes prepaid expenses.

(c) Others

This would comprise receivables other than the debtors.

Income accrued :

Both 'Income accrued and due' and 'income accrued but not due' up to the year-end should be included under this head.

(a) On Investments from Barmarked/ Endowment Funds

(b) On Investments-Others

Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds and that on Other Investment should by shown separately.

(c) On Loans and Advances

(d) Others

(includes income due unrealized-Rs..)

If uncertainty attaches to realization or ultimate collection, income should not be recognized, and if recognized, should be provided for Dividends should be recognized based on the date(s) of their declaration

Separate disclosure should be made in respect of income accrued, due but not realized.

Claims Receivable:

Only claims, which are considered good and realizable, should be included.

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT-INCOME SCHEDULE 12-INCOME FROM SALES/SERVICES

INCOME FROM SALES:

Income from Sales (a) Sale of finished Goods Sales comprise the aggregate amount for which sales are effected. These would be shown net of trade discounts, rebate and returns.

(b) Sale of Raw materials

(c) Sale of Scraps

Sales are complete when significant risks and regards of ownership get transferred from the seller to the buyer, irrespective of the time of payment or delivery of the goods

Disclosure of export sales should be made separately

2	Income	from	Services
---	--------	------	----------

Income must be shown at gross figures and Tax Deducted at Source should be indicated separately

(a) Labour and Processing Charges

Labour and processing charges realizable for processing/fabrication of goods/materials of other entities should be disclosed against this sub-

(b) Professional/consultancy Services

Consultancy charges and fee for rendition of professional services by the entity should be included under this sub-head.

(c) Agency Commission and brokerage

Where the entity acts as a broker or agent for arranging supply of goods/ services of others, i.e. without acting on a principal to principal basis, the commission and brokerage income earned would be shown against this sub-head.

(d) Maintenance Services (Equipment/ Property) Where the entity undertakes maintenance contracts for equipment or property etc. the income carned up to the year-end from this source should be included under this sub-head.

(e) Others (Specify)

SCHEDULE 13-GRANTS/SUBSIDIES:

(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

1. Central Government

Grants, Subsidies or other similar assistance received for the general purposes and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, or to cover expanditure incurred in prior periods, shall be included in this Schedule.

2. Stage Government(s)

3. Government Agencies

These grants etc. are without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of non-refundable amounts which are to be approppriated to income.

4. Institutions/Welfare Bodies

5. International Organisations

The gross receipt shall be shown against each sub-head, and grants/ subsidies which are given in turn to other institutions/organizations on irrevocable basis, as expenditure should be considered in Schedule 22.

6. Others (Specify)

SCHEDULE 14-FEES/SUBSCRIPTIONS:

1. Entrance fees

Accounting policies on each item will have to be disclosed.

2 Annual Fees/subscriptions

In case the Pees like Entrance Fee, subscriptions etc., are in the nature of capital receipt, such amount should go to the Corpus Fund/Capital Fund. Otherwise such fees will be incorporated in this schedule.

3. Seminar/Program Fees

4. Consultancy Fees

In case the major activities of the Entity are to organize seminar/workshop and/or provide consultancy services, such income should form part of the Schedule 12.

5. Others (Specify)

The gross receipts should be sown here. Expenditure incurred on seminar/ workshops, consultancy etc. should be shown as other administrative expenses' in the Schedule 21.

SCHEDULE 15-INCOME FROM INVESTMENTS:

- 1. Interest
 - (a) On Govt. Securities
 - (b) Other Bonds/Debentures
- 2 Dividends
 - (a) on Shares
 - (b) on Mutual fund Securities
- 3. Rents
- 4. Others (Specify)

- Income from investments shall be disclosed at gross figures and tax, deducted at source is to be stated separately.
- Interest on Govt. securities shall comprise
 - (a) interest earned at coupon rate upto the last applicable date of interest, i.e. interest accrued & due; and
 - (b) interest accrued thereafter upto the year-end at the coupon rate
- Income on bonds and debentures would include discount accrued upto the year-end on bonds issued at a discount, to be redeemed at par or on premium, based on the terms of their issue.
- Dividends shall be accrued, based on the dates of declaration thereof
 i.e. when the entity has a right to receive the same.
- 5. Rents shall be shown as income on Investment of properties, if any
- Interest claimed on overdue/matured investments shall not be recognized unless pre-conditions for such recognition are satisfied.
- 7. Distinction should be made in respect of income on Investments :
 - a) Owned by the Entity; and
 - b) those held against earned/endowment funds.
- At the year-end total of the income on investment from earmarked/ endowment funds should be transferred to the funds through Schedule 3.

SCHEDULE 16-INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC:

- 1. Income from Royalty
- 2 income from Publications
- 3. Others (Specify)

Accounting policies on each item will have to be disclosed.

In case the major activities of the Entity are to publish books, journals, documents etc. such income should form part of the Schedule 12.

The gross receips should be shown here. Expenditure incurred on publication etc. should be shown as other administrative expenses' in the schedule 21.

SCHEDULE 17-INTEREST EARNED:

- 1. On Term Deposits:
 - (a) With Schedules Banks
 - (b) With Non-Scheduled Banks
 - (c) With Institutions
 - (d) Others
- 2 On Savings Accounts :
 - (a) With Schedules Banks
 - (b) With Non-Scheduled Banks
 - (c) Post Office Savings Accounts
 - (d) Others
- 3. On Loans :
 - (a) Employees/Staff
 - (b) Others
- 4. Interest on Debtors & Other Receivables

- interest income earned should be shown a gross figures and tax deducted at source is to be stated separately.
- Distinction should be made in respect of income;
 - a) on assests owned by the Entity; and
 - b) those held against earmarked/endowment funds;

SCHEDULE 18-OTHER INCOME:

1. Profit on Sale/disposal of Assets

Sales proceeds/realization, net of the book value of the assets shall, if a surplus, be included under this sub-head.

- (a) Owned assets
- (h) Assets acquired out of grants or received free of cost
- 2. Export incentives realized

Export incentives claimed and no realized upto the year-end shall not be included in Income.

3. Fees for Miscellaneous Services

Items of materials amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.

Accounting policies regarding valuation of stock should be declared.

4. Miscellaneous Income

SCHEDULE 19-INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK-IN-PROGRESS:

- (a) Closing stock
 - Finished goods
 - Work-in-progress
- (a) Less : Opening Stock
 - Finished goods
 - Work-in-progress

SCHEDULE 20-ESTABLISHMENT EXPENSES:

(a) Salaries and wages

The gross expenditure against each head including in respect of staff on deputation should be disclosed.

- (b) Allowances and Bonus
- (c) Contribution to Provident Fund
- (d) Contribution to other fund (specify)

Statutory obligations of the entity towards provident fund, Employees' saate insurance, retirement benefits etc. should be disclosed clearly and item-wise.

- (c) Staff Welfare expenses
- (f) Expenses on employees' Retirement and Terminal Benefits
- (g) Others (specify)

Notes-General

In case of recoveries like fines, penalties etc. the same should not be deducted from the expense heads but included under 'Other Income' in the Schedule 18.

Prior period items

Prior period and Extraordinary items shall be separately disclosed so that the effect thereof on the net expenditure for the year is known.

SCHEDULE 21-OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.

(a) Purchase*

The gross expenditure against each head should be disclosed

- (b) Labour and processing expenses
- (c) Cartage and Carriage Inwards
- (d) Electricity and Power
- (e) Water charges
- (f) Insurance
- (g) Repairs and maintenance

In case of recoveries e.g. rent recoveries, freight charges recovered, fines, penalties, damages from suppliers etc. the amount of such recoveries should not be deducted from the expenses heads but included

under "Schedule 16-"Other Income"

- (h) Excise Duty
- (i) Rent, Rates and Taxes
- (i) Vehicles running and Maintenance
- Postage, Telephone and Communication Charges
- (I) Printing and Stationery
- (m) Travelling and Conveyance Expenses
- (n) Expenses on Seminar/Workshops
- (o) Subscription Expenses
- (p) Expenses on Fees
- (q) Auditors Remuneration
- (r) Hospitality Expenses
- (s) Professional Charges
- (t) Provision for Bad and Doubtful debts/Advances
- (u) Irrecoverable Balances Written-off
- (v) Packaging Charges
- (w) Freight and Forwarding Expenses
- (x) Distribution Expenses
- (y) Advertisement and Publicity
- (z) Others (specify)

Prior period and Extraordinary Items shall be separately disclosed so that the effect thereof on the net Expenditure for the year is known.

The list of heads is not exhaustive but illustrative. As far as possible only these heads of account should be used unless there is compelling reasons to add or delete any of these heads.

*Purchases should be segregated between raw materials and stores for manufacture and for finished goods traded in. In case of manufacturing entities, 'Consumption of Raw Materials' and 'Stores' may be given instead of 'Purchases'.

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT—EXPENDITURE

SCHEDULE 22—EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(a) Grants given to Institutions/Organisations

Grants, Subsidies or other similar assistance given to the Institutions/ Organisations for general purposes and objectives of the Entity, on an irrevocable basis, shall be included in this Schedule.

Name of the Institutions/Organisations, their activities along with the amounts in each case should be disclosed

(b) Subsidies given to Institutions/ Organisations These grants etc. are with or without any conditions attached as to their utilization and are of the nature of non-refundable amounts which are to be appropriated as expenditure.

The gross receipts shown against each sub-head in the Schedule 13, could be the sources of the grants/subsidies that are given, in turn, to other institution/organizations on irrevocable basis.

The gross expenditure against each head should be disclosed.

INCOME AND EXPNDITURE ACCOUNT—EXPENDITURE

SCHEDULE 23-INTEREST:

- (a) On Fixed Loans
- (b) On Other Loans (including Bank Charges)
- (c) Others (specify)

- Interest would include commitment charges.
- Fixed Loans are loans which are for fixed period, like Term Loans.
- Expenditure by way of interest as per Schedule 23 is the
 minimum disclosure requirement. The Entity should be
 encouraged to disclose interest expended asked on the sources
 of loans and borrowings as per the heads in Schedules 4
 and 5.

SCHEDULE 26-CONTINGENT LIABILITIES, AND NOTES AND ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

- 1. Claims against the Entity not acknowledged as debts
- 2. Liability of partly-paid investments
- Liability on account of outstanding forward exchange contracts
- 4. Guarantees and Letters of credit outstanding
- 5. Bills discounted
- 6. Other items for which the entity is contingently liable

Liability on partly paid shares, debentures etc. is required to be stated.

Amount of outstanding forward exchange contracts at the exchange rates applicable as at the year-end should be stated.

Liability towards Guarantees given by the entity or on its behalf and Letter of Credits outstanding as at the year-end are required to be disclosed.

Bills discounted outstanding as at the year-end need to be disclosed.

Included here would be disputed statutory and other demands/claims, Bills rediscounted, commitments under underwriting contracts and other items for which the entity is contingently liable.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Commitment on capital Account not provided for

This would arise in terms of contracts/arrangements in terms of which amounts would have to be paid for acquisition/construction of assets. The amount, net of advances is required to be disclosed.

2 Other Notes

[F. No. 10/2/04-EM] HARISH CHANDRA, Jt. Secy.

Annexure IV

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 793]

0

0

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2015/अग्रहायण 26, 1937

No. 793]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2015/ AGRAHAYANA 26, 1937

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 980(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 22 के साथ पठित धारा 56 की उप धारा (2) के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण निधि (बजट की तैयारी के लिए प्ररूप और समय), नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगा
- 2 परिभाषाएं:- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
 - (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ब्यूरो के महानिदेशक और उसके द्वारा अभिहित कोई अन्य सम्मलित अधिकारी हों, अभिप्रेत है;
 - (ग) "महानिदेशक" से ब्यूरो के महानिदेशक अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त ब्यूरो के नियंत्रक अधिकारी और मुख्य लेखा प्राधिकारी भी होंगे;
 - (घ) "वित्त और लेखा अधिकारी" से जो ब्यूरो में वित्त और लेखा अधिकारी या अन्य कोई नियुक्त अधिकारी जो ब्यूरो के कार्यालय में नियंत्रक अधिकारी और मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए वित्त और लेखा अधिकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अभिप्रेत है;

- (ङ) "वित्तीय वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ और आने वाले वर्ष में 31 मार्च को समाप्त 12 मास की अवधि अभिप्रेत हैं:
- (च) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ परिशिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;
- (छ) "निधि" से अधिनियम की धारा 20 के अधीन समेक्ति वित्त प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन से विद्युत मंत्रालय द्वारा तारीख 27 जनवरी, 2003 की अनुमोदन संख्या 14/03/02- ईएम स्वीकृत और जारी पचास करोड़ रुपए की आरंभिक कॉर्पस निधि के साथ स्थापित केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि अभिप्रेत है;
- "प्रबंध सलाहकार समिति" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;
- (झ) "अनुसूची" से इन नियमों में उपावध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ञ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त ब्यूरो के सचिव अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
- बजट की तैयारी:- (1) ब्यूरो द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार ब्यूरो के अनुमानित प्राप्ति और व्यय दर्शान वाले प्ररूप में होंगे, अर्थात्-
 - (क) प्राप्तियां:
 - (i) अधिनियम की धारा 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार, द्वारा ब्यूरो को दिए गए कोई भी अनुदान और उधार
 - (ii) अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा प्राप्त फीस, यदि कोई हो;
 - (iii) केन्द्रीय सरकार या ब्यूरो द्वारा लिए गए जो विनिश्चिय कर सके, उक्त अन्य स्रोतों से ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ; और
 - (ख) व्यय:

(0)

- (i) ब्यूरों के महानिदेशक, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
- (ii) धारा 13 के अधीन अपने कृत्यों में ब्यूरो के व्यय;
- (iii) ब्यूरो की शासी परिषद के सदस्यों को संदत्त की गई फीस तथा भत्ते; और
- (iv) वस्तुओं पर होने वाले और अधिनियम द्वारा अधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय।
- (2) ब्यूरो यह सुनिश्चित करेगा कि ब्यूरों की प्राप्तियों और देय राशि निधि में सही रूप से और तुरंत निर्धारित, एकव और सम्यक जमा की जा रही है।
 - (3) बजट अनुमान तथा व्यय, प्ररूप 1 में दिए गए विवरण के अनुसार दर्शाए जाएंगा
- (4) इस प्रकार तैयार किए गए बजट प्राक्कलन हर वर्ष 30 सितम्बर को ब्यूरो की प्रबंध सलाहकार समिति के समक्ष इसकी सिफारिशों के लिए रखे जाएंगे और प्रबंध सलाहकार समिति की सिफारिशें अनुमोदन हेतु शासी परिषद के सामने रखी जाएंगी।
- 4. वेन्द्रीय सरकार को बजट का अग्रेषण:- इस प्रकार तैयार बजट प्राक्कलन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सम्यक हस्ताक्षर के बाद हर वर्ष 30 नवम्बर को या उसके पहले अथवा वेन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त तिथि पर केन्द्रीय सरकार के पास अग्रेषित किए जाएंगा
- 5. बैंक खाते को खोलना और संचालन करना (1) ब्यूरो द्वारा एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्राप्तियों को जमा करने और व्यय करने के लिए खाते खोले जाएंगे।

- (2) ब्यूरो द्वारा इसके दो अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर सूचना और अभिलेख के लिए नामित बैंक में अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (3) नामित बैंक की संपर्क शाखा द्वारा ब्यूरो को दैनिक भुगतान और प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान विवरण में अने वाले चैक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए हैं और बैंक के साथ प्रत्येक लेन देने का विनियोजन किया जाएगा।
- (4) भुगतान तब तक आहरित नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तुत किए गए चैक पर ब्यूरो के प्रयोजन के लिए वित्त और लेखा अधिकारी तथा एक अधिकृत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर नहीं होते।
- 6. निधि का विनियोजन :- (1) अनुमोदन बजट में दी गई निधि को ब्यूरो के महानिदेशक के समझने पर रखा जाएगा, जिन्हें अधिकृत गतिविधियों और प्रयोजनों के लिए और बजट में दिए गए विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय पूरा करने के लिए वहां से उचित राशि के व्यय का पूरा अधिकार होगा :

परन्तु निधि को व्यय पूरा करने के लिए विनियोजित या पुन: विनियोजित नहीं किया जाएगा, जिसे स्वीकृति के लिए

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है।

- (2) ब्यूरो के महानिदेशक को निम्नलिखित के अधीन चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित बजट प्राक्कलनों के भीतर व्यय की एक प्राथमिक इकाई से निधि के पुन: विनियोजन का पूरा अधिकार प्राप्त होगा, अर्थात्:-
 - (क) निधियों का पुन: विनियोजन केवल तब किया जाएगा जब यह ज्ञात है या प्रत्याशित है कि इकाई के लिए बजट, जिसके लिए निधि का अंतरण किया गया है, उसे कथित इकाई के लिए बजट अनुमानों में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा या बचत की जाएगी; और
 - (ख) निधि को बजट के परिवर्तन को दोबारा लाने के अशाय सहित एक इकाई से पुन: विनियोजित नहीं किया जाएगा, जब वर्ष में आगे अन्य इकाइयों के तहत बचत उपलब्ध होती है:

परन्तु निधि का पुन: विनियोजन नहीं किया जाएगा -

- (i) पूंजी से राजस्व और इसके विपर्ययेन;
- (ii) वेतन शीर्ष से गैर-वेतन शीर्ष में;
- (iii) "विदेश यात्रा व्यय" के खाता शीर्ष में या उससे;
- (iv) उस व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए अनुमोदित बजट प्राक्कलित में उपावंध प्रदान नहीं किए गए;
- (v) संनिर्माण अंतर्वलित किसी परियोजना पर व्यय पूरा करना जो अनुमोदित प्राक्कलन के दस प्रतिशत से अधिक है:
- (vi) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, अनुमोदित बजट में व्यय के किसी निर्दिष्ट नए मद के लिए किए गए प्रावधान में से (नई सेवा या सेवा का नया लिखित);
- (vii) निर्माण सहित किसी परियोजना पर व्यय पूरा करने के लिए, जिसे प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई है।
- 7. लेखापरीक्षा और लेखा (1) ब्यूरो में लेखा का अनुरक्षण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उपाबंधों (लेखा के वार्षिक कथन के रूप और अभिलेख), नियम, 2007 के अनुसार किया जाएगा।
- (2) ब्यूरों के लेखा का लेखा परीक्षण अधिनियम की धारा 25 के अधीन निर्दिष्ट उक्त अंतरालों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा किया जाएगा।
- (3) ब्यूरों के लेखा को भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा या उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तथा लेखा परीक्षण रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट के साथ ब्यूरो द्वारा हर वर्ष केन्द्रीय सरकार के पास अग्रेषित किया जाएगा, जिसे संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

0

8. आकस्मिक व्यय: – एक व्यय जो तत्काल और अनिवार्य प्रकार का है और इसे अगले वित्तीय वर्ष तक मुल्तवी नहीं किया जा सक्ता तथा जिसके लिए बजट में उपाबंध विद्यमान नहीं है, जिसे केवल महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन तथा शासी परिषद की अगली बैठक में अनुसमर्थन के अधीन प्रबंध सलाहकार समिति की सम्मति से किया जाएगा।

- 9. वित्तीय औचित्य के मानक :- (1) ब्यूरो की ओर से प्रत्येक अधिकारी व्यय को निमित्त करते हुए वित्तीय औचित्य के उच्चतम मानकों से मार्गदर्शक सिद्धांत होगा, जिनमें इनके साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
 - (क) प्रत्येक अधिकारी वित्तीय आदेश और कठोर रूप से मितव्ययी सुनिश्चित करेगा तथा देखेगा कि सभी संगत वित्तीय नियमों का पालन किया जाता है;
 - (ख) प्रत्येक अधिकारी से आशियत है कि वह साधारण बुद्धिमता के व्यक्ति के रूप में किए गए व्यय के संबंध में समान निगरानी रखेगा, जो वह अपनी धनराशि के व्यय के संबंध में रखता;
 - (ग) व्यय प्रथम दृष्टि में अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए;
 - (घ) किसी प्राधिकारी द्वारा एक ऐसे आदेश को पारित करने के लिए व्यय की स्वीकृति के अधिकार का उपयोग नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए लाभकारी होगा।
- (2) ब्यूरो की धनराशि का व्यय एक व्यक्ति विशेष या लोगों के एक वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक-
 - (क) कानूनी अदालत में राशि के लिए दावा लागू किया जा सकता है, और
 - (ख) व्यय एक मान्यता प्राप्त नीति या रीति के अनुसरण में है।
- (3) एक विशिष्ट प्रकार के व्यय को पूरा करने के लिए दिए गए भत्ते की राशि इस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए कि यह भत्ते प्राप्त करने वालों को लाभ का एक मात्र स्रोत नहीं हो।
- 10. नियंत्रक अधिकारी तथा मुख्य लेखा प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व :- नियंत्रक अधिकारी और मुख्य लेखा प्राधिकारी ये : —
 - (क) सुनिश्चित करेंगे कि व्यय बजट आबंटन से अधिक नहीं होता है;
 - (ख) सुनिश्चित करेंगे कि व्यय उसी प्रयोजन में किया जाता है जिसके लिए निधियां दी गई है;
 - (ग) सुनिश्चित करेंगे कि व्यय लोकहित उपगत में किया जाता है;
 - (घ) सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग में उनके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्रवाई में अनियमितताओं और गलतियों की रोक्थाम, उनका पता लगाने की पर्याप्त नियंत्रण प्रक्रिया कार्यरत है और सार्वजनिक निधि की नष्ट और हानि से इसे सुरक्षित रखा जाता है;
 - (ङ) सुनिश्चित करेंगे कि पूरी की गई यांत्रिकी या जांचों को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है;
 - (च) ब्यूरो के वित्तीय प्रंबधन के लिए उत्तरदायित्व और जवाबदेह होंगे;
 - (छ) ब्यूरो को सौंपे गए कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के निष्पादन की नियमित पुनर्विलोकन और निगरानी से यह समुनदेशीत करना कि उद्देश्य पूरे किए जाते हैं;
 - सुनिश्चित करेंगे कि ब्यूरो द्वारा वित्तीय लेन देन के पूरे और उचित अभिलेख रखे जाते हैं और ऐसी प्रणालियां
 और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जो हर समय आंतरिक नियंत्रण में होंगी;
 - (झ) सुनिश्चित करेंगे कि ब्यूरो कार्यों के निष्पादन तथा सेवाओं और आपूर्तियों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपांत प्रक्रियाओं का पालन करता है और एक निष्पक्ष, साम्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्द्धात्मक और लागत प्रभावी रूप में इनका कार्यान्वयन करता है;
 - (ञ) यह सुनिश्चित करने के प्रभावी और उचित कदम उठाता है कि ब्यूरो -
 - (i) केन्द्रीय सरकार से सभी देय धनराशि प्राप्त करता है, और
 - (ii) अनिधकृत अनियमित और व्यर्थ व्यय की रोक्थाम करता है।

- 11. वित्त और लेखा अधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व : वित्त और लेखा अधिकारी के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मलित हैं -
 - (क) बजट की तैयारी;
 - (ख) आहरण और संवितरण, प्राप्तियों और भुगतान, आदि के कार्यों कर निष्पादन;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि व्यय बजट आबंटन से अधिक नहीं है

(घ) यह सुनिश्चित करना कि प्रदान की गई धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया गया, जिसके लिए वह दिया गया है।

 (ङ) ब्यूरों से संबंधित व्यय और अन्य विवरण तैयार करना जैसा कि ब्यूरो द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों और निदेशों में आवश्यक है; और

(च) नियंत्रक अधिकारी और मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए वित्त और लेखा संबंधी अन्य कोई कार्य। प्ररूप 1

(नियम 3 देखें) स्म / कर्स पाक्कलन (अपने विलीय वर्ष)

संशोधित प्राक्कलित (वर्तमान वित्तीय वर्ष) का / बजट प्राक्कलन (अगले वित्तीय वर्ष) का

(हजार रुपए में)

						Barrier 13	चालू वर्ष				
承 莊.	लेखा शीर्ष	पिछ्नं वर्षों वास्त	क्र	बजट प्राक्कलन (वर्तमान क्तिीय वर्ष)	आरंभिक 5 मासों न्म वास्तविक	अगले 7 मासों के लिए प्राक्कलन	पुनरीक्षित प्राक्कलन	भित्रता के कारण (व. कनु. (स्तंभ 5) और सं. अनु. (स्तंभ 8)	मिन्नता के कारण सं. अनु. (स्तंम 8)	बजट प्राक्तलन (अगले वित्तीय वर्ष)	भिन्नता के करण (सं. अनु. (स्तंभ 8) और ब. अनु. (स्तंभ 10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Ŋ	(8) = (6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	,							1	1 1		

टिप्पण 1: लेखाशीर्ष (प्राप्ति और व्यय) उपाबंध 1 की सूची के अनुसार होगा।

टिप्पण 2: बजट उपबंध अनुसूची 2 में सूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापनों के साथ स्पष्टीरूप से किए जाएंगा

टिप्पण 3 : जहां भी 'प्रकीर्ण मद', 'अन्य व्यय' आदि का उल्लेख प्ररूप 1 में किया गया, इसका व्यौरा पादटिप्पण में निर्दिष्टानुसार होने चाहिए।

> <u>अनुसूची — ।</u> पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शीर्ष वार पुनः विनियोजन और बचत प्रदर्शित करने वाला कथन (हजार रुपए में

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वजट प्राक्केलन वर्तमान वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष के दौरान पुनः विनियोजन +/-	वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष के दौरान बचत / अतिरिक्त	बचत / अतिरिक्त के कारण
	राजस्व					
	वेतन					

8	पोई			-	
	बोर्ड डीटीर्ड				
	गादि				
	पूं जी				
1	पूंजी मशीनरी	TEST.			
7	उपस्कर			2151	
39	गदि				
	कुल	1			

अनुसूची-2

उर्जा दक्षता ब्यूरो के पुनरीक्षित प्राक्कलन / बजट प्राक्कलन कथन के लिए स्पष्टीकारक ज्ञापन

- 1 स्थापना और उपाबंधों की अनुमानित सामर्थ्य प्रदर्शित करने वाला कथना
- 2 बजट या पुनरीक्षित प्राक्कलन में विदेशी मुद्रा घटक का ब्यौरा।
- 3. बजट वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वित्तीय परिणाम दर्शान वाला कथना

अनुसूची-3

00 00	0	0	4
वित्तीय वर्ष के	लएमा	सिक व्यय	योजना
 	COLUMN CO.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	10077

(हजार रुपए में)

乘	प्राप्तियों के शीर्ष		पह	ले पांच	मासों का	वास्तविक		अगले सात मासों के लिए अनुमान						कुल
H.		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	3
	प्रारंभिक शेष													
	आय कुल (क)													

戒 桩.	व्ययों के शीर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अन्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल
	व्यय कुल (ख)													
	समापन शेष (क- ख)													
-	Marine Committee of the													

	<u>उपाबंध - 1</u> ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेखा शीर्ष के विवरण (वर्णन सहित) जिसके अधीन ब्यूरो बजट क्यनों को प्रस्तुत करेगा
क्र. सं.	प्राप्तियों के शीर्ष
1	सेवाओं से आय
2	अनुदान / समनुषंगी
3	फीस और सदस्यता
4	विनिधान से आय
5	स्वामित्व, प्रकाशन आदि से होने वाली आय
6	अर्जित ब्याज
7	अन्य कोई आय
8	अंशदान, यदि कोई हो
9	परियोजना या स्कीम व्यय को पूरा करने के लिए ऊर्जी संरक्षण निधि से निधि
10	कमी की पूर्ति के लिए ऊर्जा संरक्षण निधि से राशि अग्रेषित करना, यदि कोई है
	आय कुल (क)
क्र. सं.	व्यय के शीर्ष
ৰ	राजस्व व्यय
1	स्थापन व्यय
	(1) वेतन
	(2) मजदूरी
	(3) भत्ते और बोनस
	(4) भविष्य निधि में अंशदान
	(5) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)
	(6) कर्मचारीवृन्द कल्याण खर्च
-	(7) कर्मचारीवृन्द सेवानिवृत्ति व सेवांत लाभ पर व्यय
	(8) अन्य (निर्दिष्ट वर्रे)
2	अन्य प्रशासनिक व्यय
	(क) यात्रा व्यय
	(i) देशी
	(ii) बिंदेशी
	(iii) स्थानीय वाहन

000000

0

0

0

	(ख) कार्यालय व्यय	
	(i) बीमा	
5	(ii) मरम्मत व अनुरक्षण	
	(iii) वाहन चलाना तथा रखरखाव	
	(iv) डाक्, टेलीफोन और संचार प्रभार	
	(v) मुद्रण और लेखन सामग्री	
	(vi) सदस्यता, पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं	
	(vii) आईटी सुविधाएं	
	(viii) बैंक प्रभार	
	(ग) किराया, दरें और कर	
	(i) जल और विद्युत	
	(ii) शुल्क और कर	
	(i) किराया	
	(घ) अन्य व्यय	1 7 7 7 7 7
	(i) सेमिनार, कर्मशाला, बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	(ii) विज्ञापन और प्रचार	, i
	(iii) लघु कार्य	
	(iv) व्यावृतिक और विधिक प्रभार	
	(iv) अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत अंशदान / व्यय	
	(vi) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	
	(vii) परियोजनाओं / स्कीमों पर व्यय	
	(viii) आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो	
	पूंजीगत व्यय	
	(i) स्थिर आस्तियां	
	(ii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

[No.13/15/2014-EC] सतीश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the December, 2015.

- G.S.R. 980(E).—In exercise of powers conferred by clause (n) of sub-section (2) of Section 56 read with Section 22 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency, Energy Conservation Fund (Form and Time for Preparation of Budget) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions .- In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
 - (b) "competent authority" means the Director-General of the Bureau and includes any other officer so designated by him for any specific purpose;
 - (c) "Director-General" means the Director-General of the Bureau appointed under sub-section (1) of Section 9 of the Act who shall also be the Controlling Officer and Chief Accounting Authority of the Bureau;
 - (d) "Finance and Accounts Officer" means the Finance and Accounts Officer of the Bureau or any other officer appointed in the Bureau to exercise the powers of the Finance and Accounts Officer as assigned by the Controlling Officer and Chief Accounting Authority in the office of the Bureau;
 - (e) "financial year" means a period of twelve months commencing from the 1st day of April and ending on the 31st day of March of the following year;
 - (f) "Form" means a Form appended to these rules;
 - (g) "Fund" means the Central Energy Conservation Fund established under Section 20 of the Act with a initial corpus fund of fifty crore rupees sanctioned and released by the Central Government in the Ministry of Power with the approval of Integrated Finance Division, Ministry of Power vide its sanction No.14/03/02-EM dated the 27th January, 2003;
 - (h) "Management Advisory Committee" means the Advisory Committee established under Section 8 of the Act;
 - (i) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;
 - "Secretary" means the Secretary of the Bureau appointed under sub-section (2) of Section 9
 of the Act.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.
- 3.Preparation of Budget.- (1) The Bureau shall prepare budget estimates for the next financial year and revised estimates for the current financial year in the Form showing the estimated receipts and expenditure of the Bureau as per details given below, namely:-
 - (a) Receipts:
 - (iv) any grants and loans made to the Bureau by the Central Government under Section 19 of the Act;
 - (v) fees received by the Bureau under the Act, if any;
 - (vi) all sums received by the Bureau from such other sources as may be decided upon by the Central Government or the Bureau; and
 - (b) Expenditure:

- (i) the salaries, allowances and other remuneration of Director General, Secretary, officers and other employees of the Bureau;
- (ii) expenses of the Bureau in the discharge of its functions under section 13;
- (iii) fee and allowances to be paid to the members of the Governing Council of the Bureau; and
- (iv) expenses on objects and for the purposes authorised by the Act.
- (2) The Bureau shall ensure that the receipts and dues of the Bureau are correctly and promptly assessed, collected and duly credited to the Fund.
 - (3) The Budget estimates and expenditure shall be shown as per details given in Form I.
- (4) The budget estimates so prepared shall be placed before the Management Advisory Committee of the Bureau by the 30th day of September every year, for its recommendation and the recommendations of the Management Advisory Committee shall be placed before the Governing Council for approval.
- 4. Forwarding of Budget to the Central Government. The Budget estimates so prepared and duly signed by the authorised signatories shall be forwarded to the Central Government on or before the 30th day of November of each year or such date as may be decided by the Central Government.
- 5. Opening and operating of bank account.-(1) The Bureau shall open account(s) in one or more nationalised banks to deposit receipts and incur expenditure specified in rule 3.
- (2) The Bureau shall make available the specimen signatures of two of its officers to be the authorised signatories to the nominated bank for their information and records.
- (3) The link branch of the nominated bank shall furnish daily payments and receipts scrolls to the Bureau so as to ensure that the cheques appearing in the payment scrolls are those issued by the Bureau and reconcile each transaction with the bank.
- (4) Payments shall not be withdrawn except on presentation of cheque signed jointly by the Finance and Accounts Officer and an officer authorised for such purpose by the Bureau.
- 6. Appropriation of Funds.-(1) The funds provided in the sanctioned budget shall be deemed to be placed at the disposal of the Director-General of the Bureau, who shall have full powers to appropriate sums there from to meet expenditure under different heads of accounts for activities and purposes authorised and provided for in the budget:

Provided that funds shall not be appropriated or re-appropriated to meet expenditure which has not been sanctioned by an authority competent to sanction it.

- (2) The Director-General of the Bureau shall have full powers to re-appropriate funds from one primary unit of expenditure to another within approved budget estimates for the current financial year subject to the following, namely:-
 - (a) re-appropriation of funds shall be made only when it is known or anticipated that the budget for the unit from which funds are to be transferred will not be utilised in full or that savings can be effected in the budget estimates for the said unit; and
 - (b) funds shall not be re-appropriated from a unit with the intention of restoring the diversion of budget to that unit when savings become available under other units later in the year:

Provided that funds shall not be re-appropriated -

from Revenue to Capital and vice-versa;

- (i) from salary head to non-salary head;
- (ii) from or to head of account "Foreign Travel Expenditure";
- (iii) to meet the expenditure for which provisions are not provided in the approved budget estimates:
- (iv) to meet expenditure on any project involving construction, in excess of ten per cent. of the approved estimates;

- from the provision made for any specified new item of expenditure (New Service or New Instrument of Service) in the approved budget for any other purpose;
- (vi) to meet the expenditure on any project involving construction which have not received administrative approval and technical sanction from the competent authority.
- 7. Audit and Accounts (1) The accounts of the Bureau shall be maintained in accordance with the provisions of the Bureau of Energy Efficiency (Form of Annual Statement of Accounts and Records), Rules, 2007.
- (2) The accounts of the Bureau shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by him under section 25 of the Act.
- (3) The accounts of the Bureau as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report shall along with the annual report shall be forwarded to the Central Government annually by the Bureau to enable it to place the audit report together with the annual report before each House of Parliament.
- 8. Contingent Expenditure.— An expenditure which is of an emergent and essential in character and cannot be postponed to the next financial year and provision for which does not exist in the budget, shall be incurred only with the prior approval of the Director-General and concurrence of Management Advisory Committee subject to ratification by the Governing Council at its next meeting.
- 9. Standards of Financial Propriety.- (1) Every officer incurring or authorising expenditure on behalf of the Bureau shall be guided by high standards of financial propriety which shall, inter-alia, include the following, namely:-
 - (a) every officer should ensure financial order and strict economy and see that all relevant financial rules are observed;
 - (b) every officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money;
 - (c) expenditure should not be prima facie more than the occasion demands;
 - (d) no authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to its own advantage.
- (2) Expenditure from Bureau's moneys should not be incurred for the benefit of a particular person or a section of the people, unless,-
 - (a) a claim for the amount could be enforced in a court of law; or
 - (b) the expenditure is in pursuance of a recognised policy or custom.
- (3) The amount of allowances granted to meet expenditure of a particular type should be so regulated that the allowances are not on the whole a source of profit to the recipients.
- 10. Duties and responsibilities of Controlling Officer and Chief Accounting Authority.— The Controlling Officer and Chief Accounting Authority shall,-
 - ensure that the expenditure does not exceed the budget allocation;
 - (b) ensure that the expenditure is incurred for the purpose for which funds have been provided;
 - (c) ensure that the expenditure is incurred in public interest;
 - ensure that adequate control mechanism is functioning in his department for prevention, detection of errors and irregularities in the financial proceedings of his subordinate offices and to guard against waste and loss of public money;
 - (e) ensure that mechanism or checks contemplated are effectively applied;
 - (f) be responsible and accountable for financial management of the Bureau;
 - review and monitor regularly the performance of the programmes and projects assigned to the Bureau to determine whether the objectives are achieved;
 - ensure that the Bureau maintains full and proper records of financial transactions and adopts systems and procedures that will at all times afford internal controls;

- ensure that the Bureau follows the procurement procedure recognised by the Central Government for execution of works, as well as for procurement of services and supplies, and implements it in a fair, equitable, transparent, competitive and cost-effective manner;
- (j) take effective and appropriate steps to ensure that the Bureau-
 - (i) collects all moneys due to the Central Government; and
 - (ii) avoids unauthorised irregular and wasteful expenditure.
- 11. Duties and responsibilities of Finance and Accounts Officer.- The duties and responsibilities of a Finance and Accounts Officer include,-
 - (a) preparation of Budget;
 - (b) perform the function of drawing and disbursement, receipts and payment, etc;
 - (c) ensure that the expenditure does not exceed the budget allocation;
 - (d) ensure that the expenditure is incurred for the purpose for which funds have been provided;
 - (e) preparation of expenditure and other statements relating to the Bureau as required by the regulations, guidelines or directives issued by the Bureau; and
 - (f) any other work related to Finance and Accounts assigned by the Controlling Officer and Chief Accounting Authority.

Form 1

(See Rule 3)

Revised Estimates of (Current Financial Year)/Budget Estimates of (Next Financial year)

(Rupees in thousands)

						Cur	rent Year			Budget	Reasons for
SL No.	Heads of Accounts	last	mals two ars	Budget Estimates (Current financial year)	Actuals of first 5 months	Estimates for next 7 months	Revised Estimates	Reasons for variation (BE(Col.5) & RE (Col.8))	Reasons for variation RE (Col.8)	Estimate (Next financial Year)	variation (RE (Col.8) & BE (Col.10))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)

Note 1: Heads of Accounts (receipts and expenditure) shall be as per list at Annexure 1.

Note 2: Budgetary provisions shall be explained with detailed Memoranda as listed in Schedule II.

Note 3: Wherever items such as 'miscellaneous items', 'other expenditure', etc., are mentioned in the Form 1 the details should be specified in the footnote.

Schedule - I

Statement showing the head wise re-appropriation and savings during the previous financial year

(Rupees in Thousands)

SI. No.	Account head	Budget Estimate Current financial Year	Re- appropriation +/- during the financial year.	Total Fund	Actual expenditure during the financial year	Savings / excess during the financial Year	Reasons for savings/excess
	Revenue						
	Salary						
	OE						
	DTE						

	1- 1			
-	Etc.	-		
	Capital			
	Machinery			
	Equipments			
	Etc.		1	
	Total			

Schedule-II

Explanatory Memoranda to Revised Estimate/Budget Estimate Statements of Bureau of Energy Efficiency

- 2 Statement showing the estimated strength of establishment and provisions therefor.
- 2. Details of foreign exchange component in the Budget or Revised estimates.
- Statement showing financial results of Bureau of Energy Efficiency for the budget year and previous financial year.

Schedule-III

Monthly Expenditure Plan for the Fla	esectal Year
--------------------------------------	--------------

Duness in Theorem det

St. Ne.	Heads of Receipts Opening Balance	Actuals of first Five months						Estimates for next seven months						Total
		April	May	Jane	July	August	September	October	November	December	January	February	March	
	Income Total (A)								10					
ACTIVATION AND AND	-	No. of the last of												
57 C				1 3				1.70						
St. No.	Heads of Expenditure	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Tetal
		April	May	June	0.0		Sepiember	21/9	November	December	January	February	March	Total
SI. No.	Expenditure	April	May	June	0.0		September	21/9	November	December.	January	February	March	Total

Annexure - I Bureau of Energy Efficiency

Detailed Heads of Account (with description) under which the Bureau shall furnish budget Statements.

SI. No.	Heads of Receipts					
1	Income from Services					
2	Grants/Subsidies					
3	Fees and Subscriptions					
4	Income from Investments					
5	Income from Royalty, Publication etc.					
6 .	Interest Earned					
7	Any other Income					
8	Contribution, if any					
9	Fund from Energy Conservation Fund to meet Project or Scheme expenditure					
10	Amount brought forward from Energy Conservation Fund to meet shortfall, if any.					
2	Income Total (A)					

SL No.	Heads of Expenditure	
A	REVENUE EXPENDITURE	et a little of
1	Establishment Expenses	
	(1) Salaries	
	(2) Wages	3 14 2
	(3) Allowances & Bonus	
	(4) Contribution to Provident Fund	
	(5) Contribution to other Fund (Specify)	
	(6) Staff Welfare Expenses	
	(7) Expenses on Employees retirement & terminal Benefits	
	(8)Others (Specify)	
2	Other Administrative Expenses	
	(a)Travel Expenses	
	(ii) Domestic	
	(ii) Foreign	
	(iii) Local Conveyance	
	(b) Office Expenses	
	(vii) Insurance	
	(viii) Repair & Maintenance	
	(iii) Vehicles Running & Maintenance	
	(iv) Postage, Telephone & Communication Charges	
	(v) Printing & Stationery	A COLOR
	(vi) Subscription, Books, News Papers & Periodicals	
	(vii) IT Facilities	
	(viii)Bank Charges	
1	(c) Rent, Rates & Taxes	
	(i) Water & Electricity	
	(ii) Duties & Taxes	
	(iii) Rent	
	(d)other Expenses	
	(i) Seminars, Workshops, Meetings & Training Programme	
	(ii) Advertisement and Publicity	
	(iii) Minor works	
	(iv) Professional and Legal Charges	
	(v)Subscription/ expenditure under International Cooperation	ATT HACKET
	(vi)Auditor remuneration	
-	(vii)Expenditure on Projects/ Schemes	
	(viii)Contingent expenditure, if any	
	CAPITAL EXPENDITURE	
	(i) Fixed Assets	Tuk Maria
	(ii) Others (Specify)	

[No.13/15/2014-EC] SATISH KUMAR, Jt. Secy.